लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४६, १९६०/१८८२ (शक)

[१२ से २३ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण से २ पौष, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
18-5-91
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४६ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[द्वितीय माला--खण्ड ४६--अंक २१ से ३०--१२ से २३ दिसम्बर १९६०/ अग्रहायण २१ से २ पौष १८८२ (शक)]

पृष्ठ

अंक २१--सोमवार, १२ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८३६, ८३८, ८४० और ८४१ . २४२३--४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३७, ८३९ और ८४२ से ८६५ . . २४४२--५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६२१ से १७०० . . . . २४५२—८९

निधन सम्बन्धी उल्लेख २४८९

सभा पटल पर रखा गया पत्र . २४८९

विशेषाधिकार समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन २४८९

लोक लेखा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन . . २४८९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

श्री ए० के० चन्दा की वित्त आयोग के सभापति के पद पर नियुक्ति २४९०–९१

तारांकित प्रश्न संख्या २६९ के उत्तर की शुद्धि . . . २४९१

कांगों की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . . . २४९१—९८

भैरवपुर (सिलचर) में डकैती के सम्बन्ध में वक्तव्य . २४९८–९९

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर . . २४९९

रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . २४९९—२५०२

खंड २ और १ . . . . . २५०२

पारित करने का प्रस्ताव २५०२

	पृष्ठ
त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	२५०२–०५
खंड २, ३ और १	२५०५
पारित करने का प्रस्ताव	२५०५
पशु नि यता निवारण विधेयक	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२५०५—२४
कार्य मत्रगा समिति—	
उ्सठवां प्रतिवेदन	२५२४
दैनिक संक्षेपिका—	२५२५—३१
अंक २२—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९६०/२२ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	२५३३
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ से ८७०, ८७२ से ८७४, ८७६ से ८७८ और ८८६	२५३३—५५
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७१, ८७५, ८७९ से ८८५ और ८८७ से ८९१	२५५५—६१
अतारांकित प्रश्न संख्या १७०१ से १७७२	२५६१–९४
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	२५९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५९५–९६
राज्य सभा से सन्देश	२५९७
दहेज निषेध विधेयक—राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में	२५९७
बाल विधेयक--	
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में	२५९८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
सरकारी आदेश के फलस्वरूप ऊनी कपड़ा मिलों की कठिनाइयां	२५९८–९९
कार्य मंत्रणा समिति—	
उनसठवां प्रतिवेदन	२५९९
पशु निर्दयता निवारण विधेयक--	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२५९९—२६०७
खड २ से ४१ और १	२६०४—०७
पारित करने का प्रस्ताव	२६०७

	पृष्ठ
औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	२६०७–२०
सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और उपक्रमों सम्बन्धी प्रकाशन के बारे में प्रस्ताव	२६२०–३३
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	२६३४
दैनिक संक्षेपिका	२६३५–४२
अंक २३—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९६०/२३ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ८९४, ८९६, ८९७, ८९९, ९०२ से ९०४ और ९०७ से ९१६ . .	२६४३–६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८, ९००, ९०१, ९०५ और ९०६	२६६५–६८
अतारांकित प्रश्न संख्या . १७७३ से १८३६	२६६८–९४
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . .	२६९४
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर प्रदेश गन्ना उप-कर अधिनियम, १९५६ के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय . . .	२६९५-९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	२६९६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
चौहत्तरवां प्रतिवेदन . . .	२६९६
प्राक्कलन समिति —	
एक सौ एक वां प्रतिवेदन	२६९७
औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक . . .	२६९७–९९
विचार करने का प्रस्ताव	२६९७
खंड २ से ६ और १	२६९७–९९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९९
प्रसूति लाभ विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	२६९९–२७१४
अधिमान–प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२७१४–२०
खंड २ से ७ और १ . .	२७२०
पारित करने का प्रस्ताव . .	२७२०

पृष्ठ

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २७२०–२१

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों सम्बन्धी प्रकाशन और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में प्रस्ताव . २७२१—४७

दैनिक संक्षेपिका २७४८—५३

अंक २४—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९६०/२४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१७ से ९२०, ९२२ से ९२६ और ९२९ . २७५५—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२१, ९२७, ९२८ और ९३० से ९४३ . २७७७—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३७ से १८६८ और १८७० से १८९९ . २७८५—२८०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . २८०९—१०

राज्य सभा से सन्देश २८१०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

बाईसवां प्रतिवेदन २८१०

भारत और पाकिस्तान के बीच बेरूबाड़ी यूनियन के प्रस्तावित विभाजन बारे में याचिका २८१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा विद्रोहियों द्वारा मनीपुर राइफल्स के दो सिपाहियों का मारा जाना २८१०—१२

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक . . . २८१२—३९

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २८१२—३४

खंड २ से ४० और १ . . २८३४—३८

पारित करने का प्रस्ताव २८३९

निवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २८३९—५२

कच्चे माल सम्बन्धी समिति के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . २८५३—५७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २८५८—६३

अंक २५—शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९६०/२५ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४५, ९४७ से ९५३, ९५७, ९५८, ९६० और ९६१ . . . . २८५८—८९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४६, ९५४ से ९५६, ९५९ और ९६२ से ९६७ . २८८९—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या १९०० से १९५८ . . . २८९४—२९२०

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेपाल नरेश द्वारा नेपाली मंत्रिमंडल की बरखास्तगी . २९२१—२२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९२२—२३

प्राक्कलन समिति—

अट्ठानवेवां प्रतिवेदन २९२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राउरकेला उर्वरक कारखाने के मजदूरों द्वारा हड़ताल २९२३

सभा का कार्य २९२४

औचित्य प्रश्न के बारे में . . . २९२४—२५

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक—पुरस्थापित २९२५—३२

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित २९३२—३३

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक . . २९३४—४३

विचार करने का प्रस्ताव २९३४—३८

खंड २ और १ . . २९३८—४३

पारित करने का प्रस्ताव २९४३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चौहत्तरवां प्रतिवेदन २९४३

सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . २९४४

निशान लगा कर मतदान करने की नई प्रणाली के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . . . २९४४—७४

कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर बढ़ाये जाने के बारे में संकल्प . २९७४

कार्य मंत्रणा समिति— . . . . . .

साठवां प्रतिवेदन २९७४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २९७५—८०

अंक २६—सोमवार, १९ दिसम्बर, १९६०/२८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २९८१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८ से ९७२ और ९७४ से ९७८ . . २९८१—३००३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . ३००३—०५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ६७३ और ६७६ से ६६७ . . . ३००५—१४
अतारांकित प्रश्न संख्या १६५६ से २०४७ . . ३०१४—५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३०५२
राज्य सभा से सन्देश . . . ३०५२
सालारजंग संग्रहालय विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ३०५३
विधेयक पुरःस्थापित—
(१) औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . ३०५३
(२) तार विधियां (संशोधन) विधेयक . ३०५३
कार्य मंत्रणा समिति—
साठवां प्रतिवेदन . . . ३०५३
अनुपस्थिति की अनुमति ३०५४–५५
मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि ३०५५
अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक और संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३०५५—८६
असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेन्टों की परीक्षाओं के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३०८६–९२
दैनिक संक्षेपिका ३०९३–३१००
अंक २७—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९६०/२९ अग्रहायण, १८८२ (शक)
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ३१०१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ से १००३ और १००५ से १००८ ३१०१—२२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ से ७ ३१२२—३०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १००४ और १००९ से १०२६ ३१३०—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या २०४८ से २१२१ . . . ३१३७–६९
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३१६९
प्राक्कलन समिति—
निन्यानवेवां प्रतिवेदन . . . ३१७०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
त्रिपुरा के जोतदारों द्वारा कुर्फा-उप-काश्तकारों के विरुद्ध की गई आक्रामक कार्यवाही ३१७०

पृष्ठ

लाओस की स्थिति के बारे में वक्तव्य ३१७०

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) संशोधन विधेयक तथा संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ३१७०—३२०२

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक के खण्ड २, ३, प्रथम और द्वितीय अनुसूचियां और खण्ड १ . . . . ३२०२–०३

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक के खण्ड २ से ११, प्रथम और द्वितीय अनुसूची . . . . ३२०३—०५

मत्स्य पालन शिक्षा की केन्द्रीय संस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३२०५—१०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३२११—१७

अंक २८—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९६०/३० अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०३८ और १०४५–क ३२१९—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२७, १०३९, १०४०, १०४०–क, १०४१, १०४१-क, १०४२ से १०४५, १०४६ से १०५२, १०५२–क, और १०५३ . . . . ३२४३—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२२ से २२०२, २२०४ से २२१९, २२२१ से २२२४ और २२२४–क . . . ३२५३—९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३२९८–९९

राज्य सभा से सन्देश ३२९९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

पिचहत्तरवां प्रतिवेदन . . ३३००

लोक-लेखा समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन ३३००

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में दासता का प्रचलन. ३३००—०२

कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य . . . . ३३०२—०६

भारी बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित ३३०६

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . . ३३०७—२१

खंड २ से ८ और १ . . . . . . ३३२१—२३

पारित करने का प्रस्ताव . . . ३३२३

मध्यम पत्तन विकास समिति को प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ३३२४—३८

श्री ए० के० चन्दा को वित्त आयोग का सभापति नियुक्त किये जाने के बारे में चर्चा ३३३९—५३

आधे घंटे की चर्चा के बारे में . ३३५३

दैनिक संक्षेपिका . ३३५४—६०

अंक २९—गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९६०/१ पौष, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५४ से १०५९, १०६१, १०६२, १०६४, १०६५, १०६७ और १०६८ . . . . . ३३६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ से १० . ३३८४—८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६३, १०६६ और १०६९ से १०७९ ३३८९—९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २२२५ से २२७४ और २२७६ से २३११ . ३३९५—३४३१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ३४३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३४३१-३२

राज्य सभा सन्देश ३४३२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

कार्यवाही सारांश ३४३३

सभा का कार्य ३४३३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश . . . ३४३३

याचिका समिति—

कार्यवाही सारांश और ग्यारहवां प्रतिवेदन . . ३४३३

प्राक्कलन समिति—

एक सौ दोवां प्रतिवेदन ३४३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रुद्रसागर, आसाम में तेल मिलने का समाचार . . ३४३४

पृष्ठ

ई० एन० आई० के दल के साथ चर्चा के बारे में वक्तव्य . ३४३४—३६

बाल विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३४३६—६०

निर्वाचनआयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३४६०—६५

राज्य व्यापार निगम के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ३४६५—६९

दैनिक संक्षेपिका . . . ३४७०—७६

अंक ३०—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९६०/२ पौष, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८० से १०८९, १०९१ से १०९३ और १०९७ ३४७७—३५०१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ से १४ . . . ३५०१—१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९०, १०९५, १०९६ और १०९८ से ११०६ . ३५१०—१५

अतारांकित प्रश्न संख्या २३१२ से २४०३ . . . ३५१५—६०

निधन सम्बन्धी उल्लेख ३५६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ३५६०—६२

तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप संबंधी समितियों के कार्यवाही-सारांश . ३५६२–६३

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ३५६३

कार्यवाही-सारांश तथा दसवां प्रतिवेदन . . . ३५६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

(१) गुजरात में तेल साफ करने का कारखाना . . ३५६४—६६

(२) दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों के झोंपड़ों का गिराया जाना ३५६६

(३) जम्मू तथा काश्मीर में विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान और

(४) शरणार्थियों को दंडकारण्य में ले जाने के बारे में योजना ३५६६

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) दण्ड विधि संशोधन विधयेक ३५६७

(२) द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक . . ३५६७

(३) विशिष्ट सहायता विधेयक ३५६७

(४) अवधि विधेयक ३५६८

	पृष्ठ
बाल विषयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	३५६८—७३
खंड २ से ६० तथा १	३५७३
पारित करने का प्रस्ताव	३५७३—७५
तार विधियां (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३५७५—८०
खंड २ से ५ और १	३५८०
पारित करने का प्रस्ताव	३५८०
ब्रिटिश संविधियां (भारत पर लागू होना) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	३५८०—८२
खंड २, ३ और १	३५८२
पारित करने का प्रस्ताव	३५८२
निरसन तथा संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—पारित	३५८२–८३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	३५८३
पिचहत्तरवां प्रतिवेदन	३५८३
छोटे कलाकार (रोजगार का विनियमन) विधेयक [श्री नारायण गणेश गोरे का]—पुरःस्थापित	३५८३
गोवध पर प्रतिबन्ध (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक [पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" का]—	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत	३५८३–८४
भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक [श्री नरसिंहन् का]—वापस लिया गया परिचालित करने का प्रस्ताव	३५८५—८६
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १६८ का संशोधन) [श्री मती सुभद्रा जोशी का]	३५८६–६०
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत	३५६०
दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक (धारा १०७, १२६, १४४ का संशोधन और नई धारा १३१क का रखा जाना) [श्री तंगामणि का]—	
विचार करने का प्रस्ताव	३५६०—३६०५
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३६०६—१५
कार्यवाही संबंधी उल्लेख	३६१५
दैनिक संक्षेपिका	३६१६—२४

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्नों में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GIPD—LS III—1724(Ai) LSD—12-1-61—115.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, १२ दिसम्बर, १९६०

२१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दंड विधि का संशोधन

†*८३०. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान दंड विधि में एक ऐसा संशोधन प्रस्तुत करने का सरकार का विचार है जिससे उन व्यक्तियों को दंड देने की शक्ति सरकार को दी जा सके जो अपने भाषणों और कार्यों से सीमा की एकता को खतरे में डालते हों ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख) जो लोग भारत की प्रादेशिक अखंडता और भारत की सीमाओं के बारे में इस तरह से संदेह उठायें जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो, उन्हें दंड देने की व्यवस्था करने वाली दंड विधि में संशोधन करने के लिये तथा अन्य संबंधित मामलों के लिये सरकार का सुविधानुसार यथाशीघ्र संसद् के समक्ष विधान के लिये प्रस्थापनायें प्रस्तुत करने का विचार है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वर्तमान कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार ऐसे व्यक्तियों को दंड दिया जा सके और यदि हां, तो अन्य विधान प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता है ।

†मूल अंग्रेजी में

1630 (Ai) LS.—1.

†श्री गो० ब० पन्त : विधान में उन विषयों की व्यवस्था की जायेगी जिनकी व्यवस्था वर्तमान विधि में नहीं है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस प्रस्तावित कानून के अन्तर्गत भारतीय प्रदेश के किसी अन्य देश को हस्तांतरण के विरोध में किसी प्रकार की आवाज उठाना भी जुर्म माना जायेगा और यदि हां, तो बेरूबाड़ी के हस्तांरतण के संबंध में उठाये जाने वाले आन्दोलन के प्रति सरकार का क्या रुख होगा ?

†श्री गो० ब० पन्त : विधेयक सभा-पटल पर रखा जायेगा और प्रत्येक सदस्य उसके उपबन्धों का अध्ययन कर सकेगा और अपने विचार प्रकट कर सकेगा ।

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई आंकड़े हैं कि पिछले एक या दो वर्ष में कितने व्यक्तियों ने देश की अखंडता को चुनौती दी है और इस नये उपाय के द्वारा सरकार उन लोगों से कैसे निबटेगी ?

†श्री गो० ब० पन्त : वह तरीका विधेयक में स्पष्ट कर दिया जायेगा ।

†श्री हेम बरुआ : क्या इस प्रस्तावित विधान में उन लोगों के बारे में भी उपबन्ध किया जायेगा जो श्री नेहरू द्वारा दिनांक ८ सितम्बर, १९५९ को श्री चाउ एन लाई को भेजे गये पत्र की दृष्टि में, जिसमें यह बताया गया था कि कुछ सीमा का परिसीमन नहीं हुआ है और ऐसा बातचीत द्वारा होना चाहिए, सीमा के पुनरीक्षण के लिये चीन का समर्थन करते हैं ?

†श्री गो० ब० पन्त : जब विधेयक सभा में आयेगा तो माननीय सदस्य इसका परीक्षण कर सकेंगे और अपने सुझाव दे सकेंगे ।

†श्री हेम बरुआ : क्या इसके बारे में कुछ पहले से बताया जा सकता है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को प्रासंगिक प्रश्न पूछना चाहिए । वर्तमान प्रश्न दंड विधि पारित करने तथा उसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड देने के बारे में है । हम इस प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं कि भारत की ठीक-ठीक सीमा क्या है, क्या इसका परिसीमन हो चुका है अथवा नहीं । माननीय गृह मंत्री से ऐसा प्रश्न पूछने से क्या लाभ जो कि वैदेशिक कार्य मंत्री से पूछा जाना चाहिए ?

†श्री हेम बरुआ : यह एक बहुत ही संगत प्रश्न है । मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या इस विधान में उस कमी को दूर करने के लिये भी कोई उपबन्ध किया जायेगा ।

†अध्यक्ष महोदय : वह कमी क्या है ?

†श्री हेम बरुआ : प्रधान मंत्री ने ८ सितम्बर, १९५९ के अपने पत्र में श्री चाउ एन लाई को लिखा था कि अभी कुछ सीमा का निर्धारण किया जाना है और यह बातचीत द्वारा तय होना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें उसका उपबन्ध किया जायेगा अथवा यदि कोई चीन का समर्थन करता है कि श्री नेहरू जी के विचारानुसार बातचीत द्वारा यह तय होना चाहिए . . . ।

†अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्य यह है कि माननीय सदस्य वकील नहीं हैं । केवल वकील ही इस मामले को समझ सकता है । माननीय सदस्य इस संबंध में वकील से परामर्श लें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बहुत से लोगों ने चीन के पक्ष में कहा है और यह मामला बहुत ही आवश्यक है, क्या यह विधेयक संसद के वर्तमान सत्र में ही प्रस्तुत किया जायेगा तथा इसी सत्र में पास हो जायेगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं विधेयक को इसी सत्र में पेश करने की आशा करता हूं किन्तु इसका पास होना इस बात पर निर्भर है कि इसके लिये वर्तमान सत्र में कितना समय मिल सकेगा, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस बात के लिये आतुर हैं कि यह पास हो जाना चाहिए । अतः माननीय मंत्री उन पर भरोसा कर सकते हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : बात यह है कि अन्यथा इसमें दो मास का विलम्ब हो जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय गृह मंत्री कभी देरी नहीं करते हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । पिछले एक या दो वर्ष में कितने व्यक्तियों ने देश की अखंडता पर संदेह किया है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : इस तरह से अखंडता का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की कोई गणना नहीं की गई है ।

†**श्री सूपकार** : देश की अखंडता के विरूद्ध गतिविधियां चलाने वाले इन व्यक्तियों के खिलाफ निवारण निरोध अधिनियम के अन्तर्गत क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी से यह बताना कठिन है । यदि माननीय सदस्यों का ख्याल है कि यह एक दूसरे अधिनियम की पुनरावृत्ति है, तो हम उस संबंध में विचार करने के बाद ही उसे पारित करेंगे ।

पैराशूट तैयार करना

†***८३१. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर की आर्डिनेंस पैराशूट फैक्टरी में पैराशूट तैयार करने का काम शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) क्या शाहजहांपुर की आर्डनैन्स क्लोदिंग फैक्टरी में भी पैराशूट तैयार करने का काम शुरू हो गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) गत महायुद्ध के दौरान आयातित माल से बड़ी मात्रा में उत्पादन किया गया था । देशी माल से उत्पादन कार्य फरवरी १९५९में प्रारम्भ हुआ यद्यपि नमूने पहले ही बनाये जा चुके थे ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ; उत्पादन की योजना तैयार कर ली गई है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या आर्डनेन्स पैराशूट फैक्टरी, कानपुर अथवा आर्डनेन्स क्लोदिंग फैक्टरी शाहजहांपुर में सेना के लिये भी पैराशूट बनाये जा रहे हैं अथवा केवल विमान से सामान गिराने के लिये ही बनाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुरामैया : दोनों प्रकार के पैराशूट बनाये जा रहे हैं ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस देश में पैराशूटों की कुल आवश्यकता की पूर्ति इन आर्डिनेन्स फैक्टरियों द्वारा की जा रही है अथवा उनका कुछ भाग अब भी ठेकेदारों द्वारा दिया जा रहा है ?

†श्री रघुरामैया : फिलहाल सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से हम इस सम्बन्ध में एक पृथक व्यवस्था करने की सोच रहे हैं । यह अनुमान है कि शायद इससे भी आवश्यकता की पूर्ति न हो सके । अतः हम आगरा में भी एक उत्पादन एकक खोल सकते हैं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : पैराशूट बनाने के लिये इस विकास कार्यक्रम की दृष्टि में क्या सरकार कानपुर की फैक्टरी में एक विशेषज्ञ नियुक्त करेगी जो पैराशूट बनाना जानता हो ।

†श्री रघुरामैया : विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है । हम कुछ समय से ऐसा कर रहे हैं ।

†श्री चें० रा० पट्टाभिरामन : यह देखते हुये कि मैसूर में पैराशूट की बढ़िया किस्म की रेशम तैयार होती है, क्या उसको काम में लाया जायेगा ?

†श्री रघुरामैया : यहां जिस किस्म की रेशम की आवश्यकता होगी, वह जहां भी उपलब्ध होगी उसका उपयोग किया जायेगा किन्तु वस्तुतः हमारे पास कुछ सामान की कमी है ।

†श्री जोकीम आल्वा : क्या पैराशूट बनाने के स्थानों तथा प्रशिक्षण के स्थानों के बारे में बताना देश की सुरक्षा के हित में है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह एक दूसरा मामला है । माननीय सदस्यों को इतना चिंतित नहीं होना चाहिए । यदि माननीय मंत्री जानकारी देना ठीक नहीं समझेंगे, तो वे नहीं देंगे । इसके अलावा, शिकायत यह रहती है कि कुछ माननीय मंत्री जानकारी नहीं देते हैं ।

बैंकों द्वारा उधार लेने पर निर्बन्धन

†*८३२ { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री महन्ती :
श्री हेम बरुआ : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों द्वारा उससे उधार लेने पर अभी हाल में जो निर्बन्धन लगाये हैं उनसे मुद्रा की मांग का दबाव कहां तक कम हुआ है ; और

(ख) मूल्यों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) वर्तमान निर्बन्धनों के परिणामस्वरूप अनुसूचित बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से ऋण लेने तथा जनता को ऋण देने में कुछ कमी आई है ;

(ख) निर्बन्धनों का सामान्य मूल्य स्तर पर ठीक-ठीक क्या प्रभाव पड़ा है इसका निर्णय करना संभव नहीं है किन्तु निर्बन्धनों से इस बात की सम्भावना है । कि मूल्य बढ़ने से रुक जायेंगे ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : इस सम्बन्ध में अनुसूचित बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत : उन्होंने इसे अच्छा ही माना है ।

†श्री महन्ती : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह देखते हुए कि खाने की वस्तुओं की वजह से मूल्य बढ़ते जा रहे हैं तथा यह भी देखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्र में ऋणों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण लिये जाने पर यह निर्बन्धन लगाने से मूल्यों पर क्या असर पड़ेगा ?

†श्री ब० रा० भगत : सिलेक्टिव ऋण नियंत्रण योजना द्वारा इसकी व्यवस्था कर दी गई है जिसके अन्तर्गत जब कभी खाद्यान्नों, चीनी तथा अन्य चीजों की कीमतें बढ़ती हैं और ऋण भी बढ़ जाता है, रिजर्व बैंक इन चीजों के ऋण पर प्रतिबन्ध लगा कर उनकी व्यवस्था कर देता है ।

†श्री महन्ती : माननीय मंत्री ने बताया है कि ऋण लेने पर निर्बन्धन लगाने से मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका है । तो फिर उस मामले में सरकार ने ऋण पर नियंत्रण क्यों लगाया है ?

†श्री ब० रा० भगत : मेरे विचार में मेरे उत्तर को गलत समझा गया है । कई कारणों से मूल्यों में वृद्धि होती है, उनमें से कुछ कारण बड़े ही जटिल हैं । सरकार द्वारा किये गये कुछ उपायों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि इनसे मूल्य इतने अधिक गिर जायेंगे । मैंने केवल इतना कहा था कि इन उपायों से मूल्य अधिक नहीं बढ़ने पायेंगे और यही उद्देश्य था ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि इन उपायों का बैंकों में अल्पावधि के लिये धन जमा करने पर बुरा असर पड़ा है क्योंकि जो धन अल्पावधि के लिये जमा किया जाता था, वह अब सट्टे आदि की ओर जा रहा है ।

†श्री ब० रा० भगत : उसे रोकने के लिये ही ऐसा किया जाता है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि इसका नये व्यापारियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि अब उन्हें दूसरी जगहों से ऊंची दरों पर उधार लेना पड़ता है ?

†श्री ब० रा० भगत : रिजर्व बैंक इसकी पूरी निगरानी रखता है और यह नीति लचीली है । प्रथमतः हमें यह विश्वास नहीं कि इससे ऐसे नये व्यापारियों के काम में अथवा उत्पादन की प्रक्रिया पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा है । हाल ही में हमने इसके कुछ उपाय शिथिल कर दिये थे ताकि देश में उत्पादनकर्त्ता लाभ उठा सकें किन्तु हम स्टाक एक्सचेंज में मूल्यों का बढ़ना रोकना चाहते हैं और हमने उपाय किये हैं ।

†श्री त्यागी : सरकार की सिलेक्टिव ऋण नियंत्रण नीति तो ठीक ही है, किन्तु क्या यह पर्याप्त नहीं होगा कि इस नीति पर ही जोर दिया जाये और सम्पूर्ण बैंक ऋण पर निर्बधन न लगाये जायें क्योंकि उनसे तो लघु और मध्यम उद्योगों का विकास भी रुकता है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सम्पूर्ण बैंक ऋण पर बन्धन नहीं लगाये गये हैं अपितु उसमें विभेद रखा गया है । केवल सट्टेबाजी पर निर्बन्धन लगाये हैं किन्तु साथ साथ यह संभव है कि कुछ व्यापार में बाधा पहुंचे । उस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है और यदि सरकार को उस बारे में बताया जायेगा, तो वह निर्बन्धन शिथिल कर दिया जायेगा ।

†श्री त्यागी : क्या इसका मतलब यह है कि बैंक विकास कार्यों के लिय रिजव बक से ऋण ले सकते हैं किन्तु अन्य कामोंके लिये नहीं जिन पर निर्बन्धन लगा दिये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : जी, हां।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : रिजर्व बैंक के गवर्नर अग्रिम धन में ११० करोड़ रुपये की कमी करना चाहते थे किन्तु वे केवल ३२ करोड़ रुपये की कमी ही कर पाये हैं। इसको देखते हुये क्या बैंकों पर वर्तमान प्रतिबन्धों को शिथिल करने की वर्तमान नीति से मूल्य में वृद्धि नहीं होगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : ११० करोड़ रुपये से भी कम की यदि अग्रिम धन में कमी रहेगी, तब भी मूल्य नहीं बढ़ेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को मालूम है कि मुद्रा स्फीति सम्बन्धी प्रवृत्तियां, जो मूल्य में वृद्धि के लिये उत्तरदायी हैं, तब तक प्रभावी ढंग से नहीं दबाई जा सकतीं जब तक चल मुद्रा जारी करने पर बन्धन न लगा दिया जाये, यदि हां, तो सरकार इन उपायों को क्यों नहीं अपनाती ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इस विषय पर तर्क कर रहे हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह कभी दावा नहीं किया गया कि इन उपायों से ही सारा काम चल जायेगा।

†**श्री त्यागी** : माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि विकास सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में ऐसे कोई बन्धन नहीं हैं किन्तु जो नीति घोषित की गई है उससे मैं समझता हूं कि ऋण लेने से पूर्व उन्हें कुछ जमा करना होता है और जमा करने की राशि बढ़ा दी गई है। चाहे विकास कार्यों के लिये ऋण मांगा जाये अथवा सट्टे सम्बन्धी कार्यों के लिये, जमा करने की राशि में वृद्धि कर दी गई है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक में अधिक राशि जमा की जाने लगी है। अन्य उपायों द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति के बाद उसे अब दे दिया जाता है। किन्तु वह केवल इसी दृष्टि से किया गया था कि वे सट्टे के कार्यों के लिये रुपया न दे दें क्योंकि बैंक उत्पादन कार्यों के लिये जितना रुपया दे सकते थे उससे अधिक उनके पास था और इसीलिये वे दूसरे कामों के लिये रुपया दे रहे थे। इसीलिये उनसे कहा गया कि वे रिजर्व बैंक के पास जितना जमा करते थे, उससे अधिक जमा करें।

दोहरा कर दूर करना

†*८३३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहरा कर दूर करने के लिए भारत ब्रिटिश करार करने के संबंध में भारत और ब्रिटेन की सरकारों के बीच बातचीत असफल हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषय में आगे और क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**वित्त उपमंत्री** (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) दोहरा कर दूर करने के लिये भारत ब्रिटिश करार करने के संबंध में भारत और ब्रिटेन की सरकारों के बीच जो बातचीत चल रही थी, उसका कोई निष्कर्श नहीं निकला।

(ख) और (ग) सभी बातों के बारे में अभी समझौता नहीं हो सका है क्योंकि उनमें से कुछ बातों के संबंध में भारत और ब्रिटेन की सरकारों के अलग-अलग मत हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच है कि एक कठिनाई यह अनुमान लगाने की रही है कि भारतीय उद्योगपतियों को कितने की प्रविधिक जानकारी दी गई है और जब तक यह कठिनाई दूर नहीं हो जाती, हमें इंग्लैंड से प्रविधिक ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन हो जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : दोनों बातें अलग-अलग हैं । दोहरे कर से छूट में यह प्रश्न नहीं उठता ।

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चे

+

*८३४. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री ११ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा संबंधी सुविधायें देने की जो योजना स्वीकार की गई थी, उसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने बच्चों को अब तक ये सुविधायें प्रदान की गई हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये कितनी वित्तीय सहायता मांगी थी और उन्हें अब तक कितना-कितना अनुदान दिया जा चुका है ; और

(ग) इस योजना को और अधिक व्यापक व लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला०श्रीमाली) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३१]**

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण में बताया गया है कि विभिन्न राज्यों में कितने छात्रों ने इस सुविधा से लाभ उठाया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन राज्यों में इस बात की पूरी जांच पड़ताल कर ली गई थी कि वहां कुल कितने छात्र हैं या प्रचार का पूरा मौका दिया गया था ताकि कोई छात्र न बच रहेने पाये या कोई असन्तोष न रहने पाये ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । मैं आशा तो करता हूं कि उन्होंने पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ली होगी ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण में उत्तर प्रदेश का नाम महीं है । वहां की सरकार ने क्या कोई इसके लिए दूसरी स्कीम दी है या कोई इस बारे में लिखा पढ़ी चल रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : उनको स्कीम तो भेजी थी लेकिन उनका इरादा १९६०–६१ में इसको इम्प्लीमेंट करने का है ।

श्री भक्त दर्शन : जिन राज्यों में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार को आश्वासन दिया है कि अगली जुलाई से कम से कम इसे वे लागू कर देंगे ?

डा० का० ला० श्रीमाली : केन्द्रीय सरकार के पास कोई आश्वासन नहीं आया है । हमने सरकारों को लिखा है । हम जो कुछ कर सकते हैं, किया है । उनको यह लिख दिया है कि उनको

---

†मूल अंग्रेजी में

सहायता मिल सकती है। अब मैं मैम्बर साहिबान से दरख्वास्त करूंगा कि वे भी अपने अपने राज्यों में इस बात की कोशिश करें और अगर उन्होंने ऐसा किया तो यह स्कीम आगे बढ़ सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं। वे लोग मदद तो करना चाहते होंगे किन्तु मदद करने में असमर्थ होंगे। ऐसे मामले में सरकार क्या करती है? उन्होंने ही इस योजना को आरम्भ किया था। जब कि दसरे सहायता करने के लिये असमर्थ हैं तो क्या वे इसी अवस्था में पड़े रहेंगे? सिपाहियों, नाविकों और उनकी तरह अन्य व्यक्तियों का ध्यान केन्द्रीय सरकार रखती है। इसी प्रकार, जिन राजनैतिक पीड़ितों ने सम्पूर्ण देश को स्वतंत्रता दिलाई, क्या वे केवल राज्य सरकारों पर ही निर्भर रहें? मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा।

†**श्री वारियर** : सारे उत्तर हिन्दी में हैं और प्रश्न भी हिन्दी में है उन राज्यों के बारे में क्या स्थिति है। जिनका विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है?

†**डा० राम सुभग सिंह** : विवरण अंग्रेजी में भी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा के लिये अनुमति देने को तैयार हूं। तब माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि क्या कठिनाइयां हैं और क्या उनके राज्य सहायता करने की स्थिति में हैं या नहीं। यदि वे ५०:५० के आधार पर सहायता नहीं चाहते और उससे अधिक सहायता चाहते हैं तब वे यह कह सकते हैं कि यह सहायता ७५:२५ के अनुपात होनी चाहिए अथवा केन्द्र को ही शत प्रतिशत सहायता देनी चाहिए।

†**श्री वारियर** : मुझे विवरण से प्रतीत होता है कि केवल सात राज्यों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसीलिये मैंने कहा था कि आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : मैं स्वतंत्रता के सेनानियों की अखिल भारतीय संसदीय समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया हूं। मैं चाहता हूं कि स्वतंत्रता के सेनानियों अथवा आन्दोलनकारियों के बारे में भी सभा में चर्चा की जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा, चर्चा के दौरान वे ऐसा कर सकत हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। पंडित द्वा० ना० तिवारी। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। श्री वै० चं० मलिक। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। श्री राजेन्द्र सिंह, श्री प्र० के० देव। यह दोनों सदस्य भी अनुपस्थित हैं। अगला प्रश्न।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं उपस्थित हूं। मैं प्रश्न रखता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्य नाम पुकारे जाने तक प्रतीक्षा क्यों करते रहते हैं। जो सदस्य यहां नहीं हैं, वे कम से कम मुझ को लिख कर दे दें कि वे यहां उपस्थित नहीं हो सकते। इन सब सदस्यों के नाम छापना व्यर्थ सा ही है। मैं देखता हूं कि सदस्यगण संकल्प या विधेयक या प्रश्न की सूचना देकर चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि वे कम से कम मुझे लिख दें कि वे उपस्थित नहीं होंगे। अन्यथा, भविष्य में प्रश्न स्वीकार करते समय मैं चार में से एक प्रश्न की अनुमति नह दूंगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : किन्तु उनको यह पता नहीं होता कि कौन से प्रश्न स्वीकार किये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

पहाड़ी राज्य का निर्माण

+

†*८३५. श्री हेम बरुआ :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री बं० च० मलिक :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पहाड़ी राज्य बनाने के लिए संविधान की छटी अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संशोधनकारी विधेयक कब पुरःस्थापित किया जायगा ; और

(ग) क्या असम सरकार की राय मालूम की गयी है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (ग) संविधान की छटी अनुसूची में एक पृथक पहाड़ी राज्य की रचना का उपबन्ध नहीं किया गया है । तथापि, जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित अनुसूची के उपबन्धों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचर किया जा रहा है । इन उपबंधों पर आसाम सरकार के विचार प्राप्त हो गये हैं ।

†श्री बि० दास गुप्त : आसाम सरकार के क्या विचार हैं ?

†श्री गो० ब० पन्त : आसाम सरकार ने अपनी प्रस्थापनायें भेजी हैं जो विचाराधीन हैं । उनका उद्देश्य उपबन्धों को और उदार बनाने तथा इन क्षेत्रीय और जिला परिषदों को और अधिक अधिकार सौंपने का है :

†श्री बि०दास गुप्त : क्या सरकार एक पृथक पहाड़ी राज्य की स्थापना करना ठीक समझती है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह अपनी-अपनी राय की बात है ।

†श्री गो० ब० पन्त : सरकार यह नहीं समझती कि एक पृथक पहाड़ी राज्य बनाने से आदिम जाति के लोगों का हित होगा अथवा ऐसा करना संभव भी होगा । राज्य पुनर्गठन आयोग की भी यही राय थी जैसा कि उसने इन पंक्तियों में बताया है :

"हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस क्षेत्र में एक पहाड़ी राज्य की रचना करना न तो आदिम जाति के लोगों के हित में है और न संभव ही है । अत : पहाड़ी जिले आसाम के अन्तर्गत ही रखे जायें तथा उनके वर्तमान सांविधानिक रूप में कोई परिवर्तन न किया जाये ।" किन्तु हम पहाड़ी लोगों को यथाशक्ति सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं । उनके क्षेत्रों का विकास करने तथा आसाम राज्य के अन्तर्गत ही उनकी इच्छाओं की पूर्त्ति करने के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुग्रा :** क्या पृथक पहाड़ी राज्य की यह मांग ग्रासाम राज्य में राजभाषा विधेयक के पारित होने के परिणामस्वरूप ग्राई ग्रथवा गत कई वर्षों से इसकी मांग की जा रही है ?

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** राज्य पुनर्गठन ग्रायोग का प्रतिवेदन बहुत पहले पेश हुग्रा था । ग्रतः माननीय सदस्य यह प्रश्न माननीय मंत्री से क्यों पूछते हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** कुछ समय से इसकी मांग की जा रही है । भाषा विधेयक के पुरः-स्थापन के पूर्व भी इसकी मांग की जा रही थी । जहां तक भाषा विधेयक का सम्बन्ध है मैंने ग्रासाम के लोगों ग्रथवा उनके प्रतिनिधियों को इस बात के लिये मना लिया है कि राज्य की राज भाषा के रूप में ग्रंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी भी रखी जाये क्योंकि पहाड़ी प्रतिनिधि केवल हिन्दी को राज्य भाषा बनाना चाहते थे । मैं ने सोचा कि ग्रसमिया के साथ-साथ हिन्दी करने से उनकी इच्छा पूरी हो जायेगी किन्तु उन्होंने कहा कि भाषा सम्बन्धी समस्या के संतोषजनक रूप से हल हो जाने के बाद भी ग्रौर यह बहुत ही कठिन था कि केवल हिन्दी को ही राज्य भाषा बनाया जाता तथा ग्रसमिया को बिल्कुल उड़ा दिया जाता--तब भी वे पृथक राज्य की मांग करेंगे ।

†**श्री हेम बरुग्रा :** यह देखते हुए कि १९५१ की जनगणना के ग्रनुसार राज्य में केवल ३ लाख लोग ही हिन्दी भाषा भाषी हैं ग्रौर उस राज्य के हिन्दी भाषा भाषी लोगों के प्रतिनिधि संगठनों ने यह मांग की थी कि ग्रसमिया राज्यभाषा हो ग्रौर पहाड़ी लोगों की ग्राकांक्षा पूर्ति के लिये विधेयक में हिन्दी को राज्य की राज भाषाग्रों में से एक राज भाषा के रूप में माना गया है, किस विशिष्ट ग्राधार पर ग्राज पहाड़ी राज्य ग्रांदोलन के नेता ग्रपने लिये वहां एक पृथक पहाड़ी राज्य की मांग करते हैं ?

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि ग्रौर क्या कारण हैं ।

†**श्री गो० ब० पन्त :** मैं प्रश्न के ग्रभिप्राय को नहीं समझ पाया किन्तु मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जो ग्रधिनियम बना है उस में हिन्दी का उपबन्ध नहीं किया गया है किन्तु उस समय भी जबकि मल विधेयक में उसका उपबन्ध किया गया था तो स्वायतशासी पहाड़ी जिलों के लोगों के प्रतिनिधियों ने मुझे बताया था कि वे पृथक्करण के लिये जोर देंगे क्योंकि यही बात कि राज भाषा विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उनके इस विचार को दृढ़ करता है कि ग्रासाम से ग्रलग होने की ग्रावश्यकता है ।

†**श्रीमती मफीदा ग्रहमद :** माननीय गृह मंत्री ने ग्रभी सभा में बताया कि सरकार छठी ग्रनुसूची में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है । क्या संशोधन को ग्रन्तिम रूप देने से पूर्व उस पर सभा में विचार किया जायेगा ?

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** उसके बिना यह कैसे संभव है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** सरकार जब ग्रन्तिम रूप से संशोधन के बारे में निर्णय कर लेगी तभी सभा को उसकी जानकारी दी जायेगी ।

†**श्री ग्रमजद ग्रली :** भाषा के प्रश्न के ग्रलावा, क्या कोई ग्रन्य कारण भी हैं जिनकी वजह से पहाड़ी लोग एक पृथक पहाड़ी राज्य की मांग कर रहे हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** पहाड़ी लोग कहते हैं कि ग्रासाम के ग्रन्तर्गत स्वायत्तशासी पहाड़ी जिलों की वर्तमान व्यवस्था से वे संतुष्ट नहीं हैं ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†**श्री बसुमतारी :** छठी अनुसूची में संशोधन करने में सरकार का क्या उद्देश्य है ? क्या वहां जिला परिषदों को अधिक अधिकार देने का विचार है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** जी हां, जिला परिषदों तथा क्षेत्रीय परिषदों को अधिक अधिकार देना है। हम राज्य के पहाड़ी क्षेत्र के प्रतिनिधियों की एक क्षेत्रीय परिषद् भी बनाने की सोच रहे हैं जो प्रशासन के अधीन काम करेगी।

†**श्री बसुमतारी :** क्या माननीय गृह मंत्री को आदिम जाति के नेताओं से, जब वे यहां आये थे, बातचीत करने पर यह मालूम हुआ है कि यदि जिला परिषदों को अधिक अधिकार दे दिये गये तो क्या वे पहाड़ी राज्य के लिये अपना आन्दोलन समाप्त कर देंगे ?

†**श्री गो० ब० पन्त:** क्षेत्रीय तथा जिला परिषदों को अधिक अधिकार देने के अलावा हम राज्य स्तर पर भी कुछ अन्य सुधार करने की सोच रहे हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि नागाओं के लिये एक पृथक राज्य की घोषणा करने से पहाड़ी राज्य की मांग बहुत जोर पकड़ गई है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** जी नहीं, यह मांग वहां बहुत पहले से की जा रही थी।

†**श्री अ० चं० गुह :** भाषा प्रश्न के अलावा, असमिया भाषा भाषी क्षेत्र तथा गैर-असमिया भाषा भाषी क्षेत्र के बीच प्रथम और द्वितीय योजनाओं में विकास कार्यों तथा कार्यक्रमों के वितरण के सम्बन्ध में पहाड़ी लोगों तथा अन्य गैर-असमिया भाषी लोगों की ओर से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं देखा गया कि वहां के लोग उस क्षेत्र के विकास कार्य से पूर्णतः संतुष्ट हों।

†**डा० राम सुभग सिंह :** यह देखते हुए कि आसाम तथा उसके चारों ओर के अन्य क्षेत्रों, जैसे नागा क्षेत्र की स्थिति सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या माननीय गृह मंत्री 'पंत सूत्र' पर चलेंगे जो कि हाल ही में निकाला गया था और जो अभी पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हुआ है और इस बात की कोशिश करेंगे कि यह सब क्षेत्र पूरी तरह से एक दूसरे से मिल जायें ताकि पृथक्करण की ये भावनायें समाप्त हो जायें ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** मेरी हमेशा यह कोशिश रहती है कि पृथक्करण की प्रवृत्तियां खत्म हो जायें और हर प्रकार से एकीकरण हो।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** माननीय मंत्री ने हमें बतया है कि क्षेत्रीय तथा जिला परिषदों को अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव है। इन परिषदों को कौन-कौन से अधिकार और देने का विचार है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** मैंने बताया था कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये परिवर्तन करने के हेतु संशोधन विचाराधीन है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह अभी ब्योरा बताने के लिये तैयार नहीं हैं। माननीय मंत्री के उत्तर से यह स्पष्ट है कि वहां लोगों की मांग पूरी करने के लिये अतिरिक्त शक्तियां दी जायेंगी। ये प्रस्थापनाएं सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि आसाम भाषा विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि सचिवालय स्तर पर और विभागों के अध्यक्षों के स्तर पर असमिया के साथ-साथ हिन्दी का प्रयोग किया जाये ? क्या यह भी सच नहीं है कि सचिवालय और विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रयोग में आने वाली भाषा से ही यह देखा जाता है कि कौन सी भाषा राज भाषा है ? यदि हां, तो क्या हिन्दी वहां एक राज भाषा नहीं है ?

†श्री गो० ब० पन्त : किन्तु उस अधिनियम की धारा ३ के प्रथम खण्ड में यह दिया गया है कि असमिया राज भाषा होगी । द्वितीय खण्ड में बताया गया है कि असमिया और अंग्रेजी, जब तक वह प्रयोग में है, सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों की भाषायें होंगी और जब हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी तथा असमिया और हिन्दी उनकी भाषायें होंगी । यह सही है ।

योगिक आसन

†*८३६. { +श्री रा० चं० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बालकृष्णन् : }

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्मित समिति ने योगिक आसनों का चिकित्सा विषयक मूल्य मालूम किया है; और

(ख) क्या उस समिति ने योगिक संस्थाओं के वैज्ञानिक विकास के साधनों का सुझाव दिया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० श्रीमाली): (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

समिति ने २० अगस्त १९६० को अपनी नियुक्ति की तिथि से ले कर २१ सितम्बर १९६० और ६ नवम्बर १९६० को दो बैठकें की हैं । समिति की पहली बैठक में की गई सिफारिशों के अनुपालन में, देश की ६१ योगिक संस्थाओं को उन संस्थाओं की स्थिति-स्थल तथा उनकी गतिविधियों के स्वरूप और क्षेत्र सम्बन्धी कुछ बुनियादी सांख्यिकी एकत्रित करने के लिये एक प्रश्नावलि भेजी गई थी । ३८ संस्थाओं से प्राप्त उत्तरों पर समिति ने ६ नवम्बर १९६० को हुई अपनी दूसरी बैठक में विचार किया था । इस तरह प्राप्त सूचना के आधार पर समिति ने मौके पर अध्ययन करने के लिये २० संस्थाओं में जाने का फैसला किया है ।

†श्री रा० चं० माझी : समिति कब तक अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : कोई अवधि-सीमा निश्चित नहीं की गई है, परन्तु हम ने समिति से प्रार्थना की है कि वह यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेश कर दे ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि योगिक आसन सिखाने वालों ने हाल ही में कुछ शिविर लगाये थे जिन में उन्होंने मधुमय बीमारी के कुछ रोगियों का इलाज किया है ? यदि हां, तो क्या चिकित्सकों (फिज़िशनों) ने उन बीमारियों का इलाज करने में योगिक आसनों की उपयोगिता को जानने के लिये परीक्षण किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** समिति द्वारा यही तो करने की अपेक्षा है । समिति में प्रसिद्ध चिकित्सक, डाक्टर और औषधि विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले लोग हैं ।

डा० गोविन्द दास : जहां तक इस कमेटी के सदस्यों का सम्बन्ध है, क्या इस बात पर विचार किया जायेगा कि इस में कुछ ऐसे सदस्यों को भी बढ़ाया जाय जो इन योगों का ज्ञान रखते हैं और जिन का सम्बन्ध इस प्रकार की कुछ संस्थाओं से भी है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : चूंकि इस में इस खास बात की जांच करनी है कि इन क्रियाओं का शरीर पर क्या असर पड़ता है, इस दृष्टि से इस में अधिकतर वही लोग रखे गये हैं जो मेडिसिन में दक्ष हैं ।

†**श्री संगामणि:** विवरण से हमें पता चलता है कि इस समिति के पास जो अगस्त में नियुक्त हुई थी, ६१ में से ३८ संस्थाओं के उत्तर आ चुके हैं और केवल २० संस्थायें ऐसी हैं जिन के उत्तर आने की संभावना है । इस प्रकार की समिति के महत्व की दृष्टि से क्या इसे कम से कम जनवरी १९६१ तक अपना प्रतिवेदन देने को कहा जायगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं पहले ही सभा को बता चुका हूं कि मैं ने समिति से यथाशीघ्र प्रतिवेदन देने की प्रार्थना की है । उन्हें अपना प्रतिवेदन देने से पूर्व कुछ संस्थाओं में जाना होगा ।

कुछ माननीय सदस्य उठे ––

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण में बताया गया है कि वे २० योगिक संस्थाओं में जायेंगे । ये २० संस्थायें किस आधार पर चुनी गई हैं और भारत सरकार कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि केवल ३५ संस्थायें ही इस प्रकार की चीज में दिलचस्पी रखती हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समिति ने पहले एक प्रश्नावलि उन सब संस्थाओं को भेजी, जो मंत्रालय को मालूम थी । देश की ६१ संस्थाओं को यह भेजी गई । कुछ ने उस का उत्तर दिया और कुछ ने नहीं । तब समिति ने इन संस्थाओं से प्राप्त उत्तरों के आधार पर २० संस्थाओं में जाने का फैसला किया ।

रूरकेला में आक्सीजन संयंत्र

†*८३८. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में आक्सीजन संयंत्र लगाने में या उस की नींव में कोई दोष पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह दोष क्या है ; और

(ग) उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग) कम्प्रैशर से जो कंपनें आईं उन के कारण सप्लाई पाइप लाइन में कुछ दरारें पड़ गई हैं । कंपनों के प्रभाव को कम करने के लिये, पाइप लाइनों को और सहारा दिया गया है और अब इन पाइप लाइनों का अवलोकन किया जा रहा है । अभी तक संयंत्र हिन्दुस्तान इस्पात कम्पनी द्वारा ठेकेदारों से नहीं लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच है कि इस ग्राक्सीजन गैस के उचित संभरण न होने के कारण एल० डी० कनवर्टर चलाए नहीं जा सके, इसीलिये रूरकेला संयंत्र में इस्पात का उत्पादन कम हुआ ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह स्पष्ट है कि एल० डी० कनवर्टर चलाये नहीं जा सकते जब तक कि वहां पर्याप्त मात्रा में ग्राक्सीजन का संभरण न हो। ग्राक्सीजन के संभरण का स्रोत वह संयंत्र है जिस के बारे में मा० सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। ग्राक्सीजन संयंत्र को चलाने में कुछ विलम्ब हो गया ग्रौर उस कारण एल० डी० कनवर्टर चलाने में विलम्ब हो गया। परन्तु ग्रब यह कई महीने पहले की बात है।

†**श्री मुरारका** : क्या इस नुक्स के कारण उत्पादन में हुई हानि का ग्रनुमान लगाया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी नहीं।

†**श्री सूपकार** : उस संयंत्र का संचालन ग्रनुसूची से कितना पिछड़ गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : संविदा के ग्रनुसार, ग्राक्सीजन संयंत्र की तीनों इकाइयों में से पहली इकाई का निर्माण १५ दिसम्बर १९५९ तक पूर्ण होना था। यह इकाई २० दिसम्बर १९५९ को चलाई गई थी। दूसरी ग्रौर तीसरी इकाइयां जून १९६० में चलाई गई थीं।

†**श्री मोरारका** : इन नुक्सों को ठीक करने में कितना व्यय हुग्रा ग्रौर क्या यह खर्च हिन्दुस्तान इस्पात कम्पनी देगी या विदेशी संयंत्र देने वाले ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस विशिष्ट संविदा में, हिन्दुस्तान इस्पात कम्पनी ने इस बात की ग्रोर बहुत ध्यान दिया था कि संभरणकर्ता किसी भी त्रुटि को ठीक करने के लिये उत्तरदायी है विलम्ब से माल देने ग्रौर बनाने के लिये जुर्माने के ग्रतिरिक्त, संविदा में ग्राक्सीजन के उत्पादन में कमी के लिये ग्रौर बिजली तथा जल के उपभोग में वृद्धि के लिये पृथक जुर्मानों का उपबंध है। ठेकेदार ग्रपने मूल्य पर संयंत्र ग्रौर उपकरण के सब पुर्जों को बदलने के लिये बाध्य है, जो इकाई के लगातार ग्रौर विश्वसनीय संचालन के १२ महीनों के ग्रन्दर खराब हो जायें या उन में त्रुटि दिखाई दे। जैसाकि मैं ने पहले बताया है, संयंत्र का कब्जा ग्रभी लिया नहीं गया है। इस लिये ग्रपनी लागत पर ठीक करना ग्रौर त्रुटियां दूर करना संभरणकर्ता का काम है।

†**श्री मुरारका** : हमें उत्पादन में जो हानि हो रही है क्या उस की क्षतिपूर्ति भी संभरणकर्ता को करनी चाहिये ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह कल्पनात्मक प्रश्न है।

†**ग्रध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री का कहने का यह ग्रभिप्राय है कि उत्पादन को बिल्कुल हानि नहीं होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह संविदा का ग्रंग है कि वे ग्राक्सीजन के उत्पादन में कमी ग्रौर बिजली तथा जल के उपभोग में वृद्धि के लिये उत्तरदायी होंगे।

†**श्री सूपकार** : मा० मंत्री ने कहा कि उत्पादन ग्रनुसूची से पिछड़ा नहीं था। साथ ही यह भी कहा गया है कि संयंत्र का कब्जा हिन्दुस्तान इस्पात कम्पनी को नहीं दिया गया है। कब तक उन्हें इस संयंत्र का कब्जा दे देना चाहिये था ग्रौर इसे कब कार्य ग्रारम्भ करना चाहिये। मैं समझता हूं कि इन त्रुटियों के कारण यह इस समय नहीं चल रहा है। समय में ग्रन्तर कितना है ?

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे पता नहीं कि मा० सदस्य ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला है जो उन्होंने अपने प्रश्न में कहा है। आक्सीजन संयंत्र चल रहा है और एल० डी० संयंत्र भी काम कर रहा है और इस्पात तैयार कर रहा है। मा० सदस्य को यह सब सूचना कहां से मिली है, मुझे पता नहीं है ।

†**श्री नरसिंहन्** : मा० मंत्री ने कहा है कि उत्पादन में कमी का अनुमान नहीं लगाया गया था। जब एक भाग अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है और उत्पादन की कमी होती है, तो उसका उत्तर न देने का क्या कारण है ? हानि या संभावित हानि का अनुमान लगाया जाना चाहिये। मा० मंत्री का ना कहने का क्या कारण है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : कारण यह है कि एक एकीकृत संयंत्र में, जहां बहुत से तत्व अन्त में उत्पादन की मात्रा निर्धारित करते हैं, यह बहुत सुरक्षित नहीं होता—केवल इसलिये कि कुछ बात बिगड़ गई है, कि शीघ्र यह निष्कर्ष निकाल लिया जाय कि जो कुछ भी उत्पादन में कमी होती है उसका सर्वथा कारण यही है। यह बहुत पेचीदा तरीका होता है और बहुत से पहलु और अन्त में, इस्पात संयंत्र जैसे लगातार संयंत्र के उत्पादन पर प्रभाव डालते हैं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : इस आक्सीजन संयंत्र की कुल लागत क्या है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कुल लागत लगभग १.४६ करोड़ रुपये है ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या हिन्दुस्तान इस्पात संयंत्र ने इस बात के बारे में विदेशी संभरण कर्ताओं को सूचना दी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : निस्सन्देह मैं पहले कह चुका हूं कि हम ने उन्हें अपनी लागत पर त्रुटियों को ठीक करने के लिये कहा है ।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्था, मैसूर

†*८४०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्था, मैसूर ने क्या पेटेन्ट निकाले हैं और उनका किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि वह वनस्पति के लिये कोई रंग निकाल सकी है ; और

(ग) जो लोग वाणिज्यिक महत्व का अनुसंधान करते हैं उन को क्या लाभ प्रदान किया जाता है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३२]** ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किये गये अनुसंधान कार्य के सब एकस्व राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के द्वारा वाणिज्यिक विकास के लिये नीलाम कर दिये जाते हैं। इन से जो आय होती है वह ७० : ३० के अनुपात में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के बीच बांटी जाती है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के भाग में से ४० प्रतिशत अन्वेषण करने वाले तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों में विभाजित की जाती है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मा० मंत्री ने कहा है कि रंग देने के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है । क्या अनुसंधान किया जा रहा है और यदि हां तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

†**डा० म० मो० दास** : मूल प्रश्न के उत्तर में मैंने यह कहा है कि केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था एक उपयुक्त रंगने की चीज बना नहीं सकी है । परन्तु मैं मा० सदस्य को बता दूं कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना ने एक उपयुक्त रंगने की चीज निकाली है जिसका परीक्षण किया जा रहा है । इस चीज में सब आवश्यक बातें हैं । परन्तु अन्तिम परीक्षण केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्था, लखनऊ में विषाक्तता के बारे में किया जा रहा है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : रंगने का कार्य पूरा करने से पूर्व, क्या वनस्पति पर प्रतिबन्ध लगने के बारे में अन्तरिम कार्रवाई की जा रही है ? क्या अन्तरकाल में कोई दूसरी कार्रवाई की जा रही है ?

†**डा० म० मो० दास** : जब तक अन्तिम प्रयोग नहीं किये जाते और यह सिद्ध नहीं हो जाता कि रंगने की वस्तु का कोई विषैला प्रभाव नहीं होता, हम इसका उपयोग नहीं कर सकते ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : आप हमें विभिन्न प्रयोगशालाओं में जाने को कहते रहते हैं । मैं मैसूर प्रयोगशाला में पिछले महीने गया था जिसका मैंने उल्लेख किया है और मुझे वहां निदेशक ने पूरा तरीका दिखाया जिसके द्वारा वे दावा करते हैं कि वे निश्चित रूप से वनस्पति के लिये रंग मालूम करने में सफल हुये हैं । मा० मित्र इससे बिल्कुल विपरीत कहते हैं । क्या उनके पास नवीनतम सूचना है ? निदेशक ने मुझे वह तरीका पिछले महीने में ही दिखाया था । उन्होंने कहा था कि एक रंग निकाला गया है जिसे अब सरलतापूर्वक प्रयोग में लाया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मा० सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या माननीय मंत्री की सूचना आधुनिकतम है या मा० सदस्य की ।

†**डा० म० मो० दास** : मैंने जो सूचना दी है वह उस पत्र पर आधारित है जो हमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निदेशक से प्राप्त हुई हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : फिर भी उनको अग्रेतर जांच कर लेनी चाहिये, क्योंकि सभा के एक मा० सदस्य कहते हैं कि वह प्रयोगशाला में गये थे और उन्हें स्वयं वहां से पता चला कि एक औषध मालूम कर लिया गया है । दोनों गलत नहीं हो सकते और दोनों सही नहीं हो सकते । इसलिये मा० उपमंत्री को इसके बारे में और जांच करनी चाहिये ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले में और अधिक क्या जरूरत है ?

†**श्री तंगामणि** : विवरण में भिन्न-भिन्न बातें कही गई हैं ।

†**श्री तिरुमल राव** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वनस्पति को रंगने का यह प्रश्न पिछले दस वर्ष से चल रहा है, क्या सरकार अब सन्तुष्ट है कि किसी वैज्ञानिक या अनुसंधान संस्था ने सब प्रकार के प्रयोग पूरे करने के पश्चात् कोई कायम रहने वाला रंग मालूम किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० म० मो० दास : मैं पहले कह चुका हूं कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना ने एक ऐसा रंग मालूम किया है जो सब आवश्यक परीक्षणों में पूरा उतरता है—केवल विषाक्तता सम्बन्धी प्रयोग राष्ट्रीय औषध अनुसंधान संस्था में किया जा रहा है । सभा यह अनुभव करेगी कि विषाक्तता सम्बन्धी परीक्षण का प्रयोजन यह मालूम करना है कि क्या इस रंग के लगातार और बहुत देर तक उपयोग करने से मानव शरीर पर कोई विषैला प्रभाव पड़ता है या नहीं । स्वभावतः इसमें कुछ समय लगता है ।

†डा० सुशीला नायर : इस बात की दृष्टि से कि मैडिकल विज्ञान ने हमें यह स्पष्ट रूप से बताया है कि वनस्पति का मानव के हृदय पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, सरकार क्यों ये रंगने वाली चीजों को ढूंढने में लगी हुई है और सरकार क्यों वनस्पति का उत्पादन बन्द नहीं करती ?

†श्री त्यागी : क्या सरकार ने अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया है—

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । क्या मैं मा० सदस्य के प्रश्न को डा० सुशीला नायर के प्रश्न का उत्तर समझूं ? मा० उपमंत्री ।

†डा० म० मो० दास : मा० सदस्या के प्रश्न का उत्तर स्वास्थ्य मंत्री अच्छी तरह दे सकते हैं ।

†श्री त्यागी : क्या सरकार ने अब अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है कि उनकी नीति इन वनस्पति उत्पादों को रंगने की है ? ज्योंही उपयुक्त रंग मिल जाता है, तो क्या वह रंगने की पद्धति को लागू करेंगे ?

†डा० म० मो० दास : मैं मा० सदस्य के इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता । परन्तु मैं उन्हें बता दूं कि हमने चीनी और वनस्पति निदेशालय के मुख्य निदेशक को प्रार्थना की है कि वह इस मामले को कि एक विशिष्ट प्रयोगशाला ने लगभग उपयुक्त रंग मालूम किया है, इस प्रयोजन के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञों की समिति के सामने लाये ।

†श्री त्यागी : किसी निश्चित नीति के न होने की हालत में, रंग मालूम करने का क्या उपयोग है ?

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह प्रश्न प्रति वर्ष और प्रति सत्र में प्रायः प्रति दिन आता है । जब मा० स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वे उचित रंग की तलाश में हैं । वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री ने उत्तर दिया है कि उपयुक्त रंग मालूम कर लिया गया है और यह जानने के लिये कि क्या इसका मानव शरीर पर विषैला प्रभाव होता है या नहीं, इसका परीक्षण हो रहा है ।

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : क्या मैं इसका उत्तर दे सकता हूं ?

†अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

†श्री अ० म० थामस : भारत सरकार ने यह सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है कि एक उपयुक्त रंग मालूम करना होगा । विशेषज्ञों की एक समिति खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई है जो अब तक किये गये अनुसन्धानों का अध्ययन करेगी और तब यदि संभव हुआ तो उपयुक्त रंग का निर्णय करेगी । समिति की बैठक इस महीने की २१ तारीख को होने वाली है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्था ने अब तक कम से कम २७ एकस्व निकाले हैं। मैं एकस्व सं० ५१५२५ के बारे में जानना चाहता हूं—संकेन्द्रित और पौष्टिक दृष्टि से संतुलित खुराक जो दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों को मुफ्त बांटी जा रही है। इसे कितने राज्यों ने स्वीकार कर लिया है और कितना उपयोग किया जा रहा है ?

†**डा० म० मो० दास** : उसका विवरण का कितना नम्बर है ?

†**श्री त्यागी** : नम्बर ७।

†**डा० म० मो० दास** : संकेन्द्रित और पौष्टिक दृष्टि से संतुलित खुराक दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों को मुफ्त बांटी जाती है।

†**श्री तंगामणि** : कितने राज्यों ने इसे स्वीकार किया है और उन्होंने इसका कितना उपयोग किया है ?

†**डा० म० मो० दास** : सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। यदि मा० सदस्य पृथक प्रश्न पूछें तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

†**श्री कर्णीसिंहजी** : कल रात मैंने एक प्रलेख चित्र देखा जिसमें यह दिखाया गया था कि वनस्पति में प्रयुक्त होने वाले कुछ रंग देने वाले तत्वों से कैंसर हो सकता है। मुझे आश्चर्य है कि यदि हमारे विशेषज्ञ इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि कुछ रंगों के कुछ समय तक प्रयोग करते रहने से कैंसर हो सकता है।

†**डा० म० मो० दास** : अब तक वनस्पति के रंगने के लिये किसी रंग का प्रयोग नहीं किया जाता। हम केवल रंग ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मुझे दो प्रश्न पूछ लेने दीजिये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उन्हें चार प्रश्नों की अनुमति दे रखी है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मा० उपमंत्री को पता है कि सरकारी प्रकाशनों में भी जहां लगातार विज्ञान होते हैं और एक प्रकार का प्रचार हो रहा है कि वनस्पति के रंगने की कोई आवश्यकता नहीं और यह हानिकारक होगा ?

†**डा० म० मो० दास** : मुझे इसका पता नहीं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस विवरण में मैं देखता हूं कि राष्ट्रीय महत्व के बहुत से अनुसंधान किये गये हैं। क्या मा० उपमंत्री हमें बता सकते हैं कि इन अनुसन्धानों के वाणिज्यिक विकास के परिणाम स्वरूप कितना उत्पादन हुआ है ? इन अनुसंधानों के पौष्टिक मूल्य को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में भी कुछ करने का विचार रखती है ?

†**डा० म० मो० दास** : क्या मा० सदस्य धन के बारे में पूछ रहे हैं, जो हमने खर्च किया है या इन अनुसन्धानों के फलस्वरूप कुल खाद्य उत्पादन के बारे में पूछ रहे हैं ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : आपने कहा है कि बहुत सी चीजें पाई गई हैं। मैं खाद्य उत्पादन के बारे में जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि मा० सदस्य ने अपने प्रश्न में यह भी शामिल किया होता, तो मैं इसे सभा के सामने लाता। मैं इसे अतारांकित प्रश्न समझता। मा० सदस्य जानना चाहते हैं कि अनुसंधानों के क्या परिणाम हैं, और वे उद्योगों द्वारा किस प्रकार किये गये हैं, वे कहां तक सफल रहे हैं आदि आदि। इसके लिये विस्तार पूर्वक उत्तर की जरूरत है। हमें अगला प्रश्न लेना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात के टुकड़ों¹ का निर्यात

+

†*८४१. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात के टुकड़ों को बेलने और तैयार करने के लिये पश्चिम जर्मनी भेजने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे किन्हीं प्रस्तावों के सम्बन्ध में किस फर्म के साथ चर्चा की गयी है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हिन्दुस्तान इस्पात कम्पनी ने पश्चिम जर्मनी को १२००० टन टुकड़े बेचे हैं और पूरा माल भेज दिया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त :क्या किसी स्तर पर ये बड़े आकार की इस्पात छड़ें बड़ी मात्रा में—मुझे ठीक टन भार मालूम नहीं–परन्तु यह बहुत बड़ी मात्रा में १५००० से २०००० टन तक थीं,जर्मनी को भेजनी पड़ी थीं ताकि वे इनको पाइपों में बदल सकें और वे फिर देश में आयात की गई थीं ताकि बरौनी और गौहाटी में पाइप लाइनें डाली जा सकें क्योंकि हमारे पास इन बड़ी छड़ों से पाइप लाइन बनाने के लिये कोई बेलन मिल नहीं है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : इस समय रूरकेला के टुकड़े बनाने वाले कारखाने ने टुकड़ों का उत्पादन आरम्भ कर दिया है। मेरा अनुमान है कि जब मा० सदस्य ने "छड़ों" का प्रयोग किया था तो उनका अभिप्राय इन टुकड़ों से था। इन टुकड़ों को प्लेटों और पट्टियों में बेलने की क्षमता अभी आ रही है और इस बीच हिन्दुस्तान इस्पात कम्पनी ने एक निर्णय किया है—जो सही है—कि इन टुकड़ों का विदेशों को निर्यात किया जाये। उसने इंगलिस्तान, पश्चिम जर्मनी, हालैंड और इटली को इनका निर्यात किया है। इन टुकड़ों को ऐसे सामान में बेलने का कोई प्रश्न नहीं, जिस से फिर पाइप बनाये जा सकें। यह टुकड़ों का सीधा विक्रय है ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न यह था कि क्या इस टुकड़े बनाने के मिल के कार्य आरम्भ करने से पूर्व, ये टुकड़े तैयार किये जाते थे किन्तु गलत योजना के कारण रूरकेला में इनके बेलन के लिये कोई प्रबन्ध नहीं था और इसलिये काफी खर्च कर के इनको पश्चिम जर्मनी को भेजना पड़ता था, वहां इनके पाइप बनवा कर इन्हें वापिस भारत मंगवाना पड़ता था ?

†अध्यक्ष महोदय : मा० मंत्री ने कहा है कि बेलन मिल काम कर रहे हैं किन्तु वे बाद में इन टुकड़ों का भी उपयोग करेंगे ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : बहुत सा धन नष्ट हो चुका है ।

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि मा० सदस्य को इसका पूरा पता नहीं है। और वह कहते हैं कि टुकड़े बनाने वाले मिलों के न चलने के बिना भी टुकड़े तैयार हो रहे थे। जब तक टुकड़े बनाने वाले मिल न चलें, कोई टुकड़ा तैयार नहीं हो सकता। यह अच्छी किस्म का टुकड़ा है और हमें इन्हें निर्यात करके प्रति टन ३७५ रुपये से ४०० रुपये तक प्राप्त होते हैं और इसका स्वागत

---

†मूल अंग्रेजी में

¹Steel Slabs

होना चाहिये न कि इस का विरोध होना चाहिये । जब तक प्लेट मिल और पट्टी मिल तैयार होंगे, हम टुकड़े बना रहे हैं और उस से धन कमा रहे हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** हम विदेश से इस्पात का आयात कर रहे हैं और जब हम इस्पात मंगवाते हैं, तो हम इस का निर्यात क्यों करते हैं ? हम इस का अपने ही देश में क्यों उपयोग नहीं करते।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह बहुत अच्छा सुझाव है । हमें उत्पादन करना चाहिये, हमें उपयोग करना चाहिये हमें निर्यात करना चाहिये, और हमें आयात करना चाहिये जैसाकि अन्य सब देश कर रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिर्री डोलोमाइट खान

†*८३७. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २० अगस्त, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या हिर्री डोलोमाइट खान के मजदूरों, परिवहन ठेकेदारों और छोटे मोटे ठेकेदारों को इस बीच भुगतान किया जा चुका है ;

(ख) किस आधार पर भुगतान किया गया है ;

(ग) खान प्रबन्धक से जो कारण पूछा गया था क्या वह इस बीच प्राप्त हो चुका है ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). सब उपस्थित श्रमिकों को २ अक्तूबर, १६५६ और २६ जनवरी, १६६०, दो छुट्टी के दिनों, के लिये भुगतान किया जा चुका है। अनुपस्थित व्यक्तियों से अपनी रकम लेने को कह दिया गया है। अभी तक तीन खोई हुई संनामावलियों (मस्टर रोल्स) में से किसी श्रमिक ने अपनी मजूरी के भुगतान के लिये दावा नहीं किया है। तथापि अभी परिवहन ठेकेदारों और छोटे मोटे ठेकेदारों के कुछ बिलों की जांच हो रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

†*८३६. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ नाम का कोई नया संगठन बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस संघ को अपना अंशदान देने का वचन दिया है ; और

(ग) संघ के क्या उद्देश्य हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी, हां । विश्व बैंक से सम्बद्ध संघ बनाया गया है ।

(ख) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) संघ का उद्देश्य कम विकसित सदस्य देशों को सुगम शर्तों पर आवश्यक विकास आवश्यकताओं के लिये वित्त दे कर आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना है । इस बारे में व्यौरा संघ के करार पत्र में दिया गया है जिस की प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व

†*८४२. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी आदेशों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये सम्पर्क पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) ये पदाधिकारी कब नियुक्त किये गये थे और उन के प्रयत्न से कितने प्रतिशत सुरक्षित पदों पर नियुक्तियां की गई हैं ; और

(ग) क्या आदेशों का पालन न किये जाने के कारणों के सम्बन्ध में सम्पर्क पदाधिकारियों के दल ने कोई रिपोर्ट पेश की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां । प्रत्येक मंत्रालय में एक ।

(ख) वे अप्रैल-मई, १९५९ में नियुक्त किये गये थे । उन के प्रयत्नों द्वारा भरे गये रिक्त स्थानों की प्रतिशतता के बारे में कोई पृथक हिसाब नहीं रखा जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

कोलार की सोने की खानें

†*८४३. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री जीन चन्द्रन :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री आचार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोलार की सोने की खानों को केन्द्रीय सरकार को सौंप देने के बारे में मैसूर सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : प्रश्न विचाराधीन है ।

कोयला उद्योग

†*८४४. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में कलकत्ते में कोयला उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्रीय मंत्री की जो बैठक हुई थी उस में क्या निर्णय किये गये ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : यह कोयला उत्पादन कार्यक्रम सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये उद्योग के साथ जानकारी और विचार करने के लिये समय समय पर होने वाली एक बैठक थी । उस में जिन विषयों पर विचार किया गया उन में से कुछ ये थे :

> कोयले के लिये तृतीय योजना का लक्ष्य, खराब दशा में कार्य कर रही खानों को राज-सहायता देना, अनियमित सीमाओं को ठीक करना और कोयला परिवहन के लिये सुविधायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान

†*८४५. { **श्री कालिका सिंह :**
डा० विजय आनन्द :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६५ वर्ष की आयु में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान की सेवा-निवृत्ति के बारे में नियम अगस्त, १९५६ में श्री सी० डी० देशमुख की उस पद पर नियुक्ति के बाद बनाया गया था, और यदि हां, तो क्या नियम बनाते समय आयोग के प्रधान से राय ली गई थी ; और

(ख) अगस्त, १९५६ में प्रधान की नियुक्ति ठेके अथवा नियमों के आधार पर हुई थी और उस समय ठेके या नियम के क्या उपबन्ध थे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) सम्बन्धित नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवा-निवृत्ति और सेवा की शर्तें) नियम, १९५६ का नियम ५(३) है जो निम्न प्रकार है :

> "यदि इस के विपरीत कोई शर्त न हो, तो प्रधान ६५ वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा-निवृत्त हो जायेंगे ।
>
> यदि केन्द्रीय सरकार किन्हीं विशेष कारणों से उचित समझे, तो वह प्रधान की सेवा-निवृत्ति के बारे में समय से पहले भी आदेश दे सकती है ।"

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मूलतः एक गैर-स्वायत्तशासी निकाय था जो सरकारी संकल्प के अधीन स्थापित किया गया था । श्री देशमुख को २७ अगस्त, १९५६ से इस निकाय का प्रधान नियुक्त किया गया था । उस समय लागू सरकारी संकल्प के अधीन आयोग के सब सदस्यों को स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनने तक सदस्य बने रहना था । प्रधान के कार्य-काल के बारे में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया था ।

स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा ४(१) के अनुसार अध्यादेश द्वारा ५ नवम्बर, १९५६ को की गई थी । श्री देशमुख को इस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था और वह ५ नवम्बर, १९५६ से इस के प्रधान मनोनीत किये गये थे ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवा-निवृत्ति और सेवा की शर्तें) नियम, १९५६ को भी ५ नवम्बर, १९५६ से लागू किया गया था ।

नियमों को अन्तिम रूप देने और उन्हें प्रकाशित करने से पूर्व उन का प्रारूप श्री देशमुख को भी अनौपचारिक रूप से दिखा दिया गया था । श्री देशमुख द्वारा देखे गये प्रारूप में उपरोक्त नियम ५(३) भी शामिल था । सरकार द्वारा नियमों को अन्तिम रूप देने के समय केवल परन्तुक शामिल किया गया था ।

(ख) श्री देशमुख के साथ उन के प्रधान के रूप में कार्यकाल के बारे में, न तो अगस्त, १९५६ में उन के गैर-संविहित आयोग के प्रधान नियुक्त किये जाने के बारे में अथवा नवम्बर, १९५६ में उन के संविहित आयोग के प्रधान नियुक्त किये जाने के बारे में कोई संविदा नहीं किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुरातत्वीय खुदाई

†*८४६. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो :

(क) उन स्थानों की सूची जहां १९४८ से पुरातत्वीय खोज और/अथवा खुदाई की गई है किन्तु जिन के बारे में कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है ;

(ख) उन पदाधिकारियों की सूची जो उपरोक्त स्थानों पर खोज और/अथवा खुदाई करा रहे थे ; और

(ग) वे किन कारणों से रिपोर्टें नहीं निकाल सके ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है? **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३३]**.

भारतीय छात्रों के लिये विदेशी पुस्तकें

†*८४७. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री हेम राज :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री २९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय छात्रों को विदेशी पुस्तकें, खास कर चिकित्सा के विषय पर, सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने की योजना पर विचार करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

प्रकाशन के लिये आधारभूत विज्ञान, मानवशास्त्र, औषधि, कृषि और पशुचिकित्सा विज्ञान और इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में विषयों की एक सूची तैयार की गयी है ।

२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विज्ञान और मानव शास्त्र सम्बन्धी पाठ्य पुस्तकों की बिक्री के लिये गारण्टी देने को सहमत हो गया है ।

३. शिक्षा मन्त्रालय इस कार्य के लिये एक ब्यौरेवार परियोजना तैयार करने के लिये भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अमरीकी दूतावास के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त बोर्ड बना रहा ।

४. ब्रिटेन की सरकार ने भी भारत में उपयोग के लिये कम मूल्य वाली पुस्तकें निकालने की कार्यवाही आरम्भ कर दी है । विज्ञान, इंजीनियरी और अन्य प्रौद्योगिकीय विषयों पर २३ पाठ्य पुस्तकों की प्रथम माला निकाली जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में बकाया रकमें

†*८४८. { श्री राधा रमण :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न विभागों से सम्बन्धित राज व जिसमें आयकर, बिक्रीकर, मालगुजारी, पानीकर और सरकारी ऋण शामिल हैं, की बड़ी रकम लोगों पर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो लगभग कितनी रकम है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत से लोग, जिनसे रुपया लेना बाकी है, लापता है ; और

(घ) यदि हां, तो रकम वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). ५.२६ करोड़ रुपये की मांग के अतिरिक्त, वसूली के लिये १ नवम्बर, १९६० को ५.६१ करोड़ रुपये की रकम बकाया थी, जिसकी वसूली या तो न्यायालय के आदेशों अथवा सम्बन्धित विभागों के आदेशों पर रोक दी गयी है ।

(ग) कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें वे लोग, जिनसे रुपया लेना बाकी है, लापता हैं

(घ) लापता व्यक्तियों को खोजने अथवा ऋण के मामले में उनके जमानतियों को खोजने और रकम वसूल करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

लुब्रिकेटिंग आयल का कारखाना

†*८४९. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लुब्रिकेटिंग आयल का एक कारखाना खोलने के लिये सरकार ने स्टैन्डर्ड वैक्यूअम, आयल कम्पनी से बातचीत शुरू की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली

†*८५०. **श्री झूलन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसव और अरिष्ट के उत्पादन पर विधि द्वारा लागू किये गये निर्बन्धनों के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के वैद्यों में असन्तोष की ओर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कारण जो शिकायतें हैं, उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) इस बारे में कुछ व्यक्तिगत वैद्यों और उनके कुछ संगठनों से कुछ अभ्यावेदन मिले हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आसव और अरिष्ट, जिनका उपभोग सामान्य मद्यसारिक पेयों के रूप में किया जा सकता है, सदा लाइसेंस प्रणाली के अधीन होता रहा है। वैद्यों को लाइसेंस लेने पर, जिसकी फीस केवल एक रुपया है, अपने रोगियों के लिये बिना शुल्क दिये आसव और अरिष्ट तैयार करने और औषधि के रूप में उसे देने के लिये रियायत दी जाती है। अतः असन्तोष का कोई कारण नहीं है।

तेल पर रायल्टी

†*८५१. **श्री प्र० चं० बरूआ : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य में निकाले गये अशोधित तेल पर असम राज्य की रायल्टी बढ़ाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय**: (क) पैट्रोल के लिये दरों में वृद्धि के सुझाव के बारे में आसाम सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

केन्द्रीय अंग्रेजी इन्स्टीट्यूट, हैदराबाद

†*८५२. **श्री तंगामणि : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अंग्रेजी इंस्टीट्यूट, हैदराबाद के प्रशासक मण्डल के अध्यक्ष तीन भाषाओं वाले सूत्र का समर्थन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या राय है; और

(ग) कितनी उम्र में भाषाओं का अध्ययन आरम्भ होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) सरकार को तीन भाषाओं वाले सूत्र पर अध्यक्षके विचारों का पता नहीं ही है और न अध्यक्ष के रूप में किसी सूत्र का समर्थन करने के लिये उनकी कोई जिम्मेदारी है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भविष्य निधि से रकम वापस लेना

†*८५३. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन पदाधिकारियों को, जिन्होंने २० वर्ष की सेवा की हो यह सेवा-निवृत्ति की आयु तक पहुंचने के लिये जिनकी १० वर्ष से कम की सेवा बाकी हो, मकान बनाने के लिये भविष्य निधि से अन्तिम रूप से रकम वापस लेने की अनुमति देने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सम्भवतः कब तक आदेश जारी किये जायेंगे ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**:(क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में चीनियों को भारत छोड़ने के नोटिस

†*८५४. **श्री हेम बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ते और कालिम्पोंग में कुछ चीनी राष्ट्र जनों ने, जिन्हें ९० दिन के अन्दर भारत से चले जाने के नोटिस दिये गये थे, उस नोटिस के अधीन ९० दिन की सीमा का उल्लंघन कर भारत छोड़ कर जाने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों को दिये गये आदेश लागू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या इन आदेशों के उल्लंघन के कारण मालूम किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विदेशी अधिनियम[1], १९४६ के उपबन्धों के अधीन उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। उनमें से कुछ व्यक्तियों ने अभ्यावेदन किया है कि उन्हें, भारत में अधिक समय तक रहने, उनके व्यापारिक सम्बन्धों और अन्य सम्बन्धों के कारण ठहरने की आज्ञा दी जाये।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र

†*८५५. { **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोदी एस्टेट, नयी दिल्ली के पास भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र पूर्णत: गैर-सरकारी संस्था है या उसे सरकार का आश्रय प्राप्त है ; और

(ख) यदि उसे सरकार का आश्रय प्राप्त है, तो किस हद तक ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) यह बिल्कुल गैर-सरकारी संस्था है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जामा मस्जिद, दिल्ली

*८५६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की धार्मिक तथा ऐतिहासिक जामा मस्जिद की देख रेख तथा मरम्मत आदि पर भारत सरकार द्वारा कुछ राशि व्यय की जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) किस मद के अन्तर्गत भारत सरकार यह राशि व्यय करती है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) सरकार ने कुछ विशेष मरम्मतें की हैं, पर चूंकि यह रक्षित स्मारक नहीं है इसलिये सरकार मस्जिद की देखरेख के लिये जिम्मेदार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Foreigners Act.

(ख) (१) १९५८-५९ ४१,१३३ रुपये।
(२) १९५९-६० ३४,२८८.३३ रुपये।

(ग) विशेष मरम्मत के लिये पुरातत्व विभाग के बजट में रखी गई रकम से।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कर्मचारी

†*८५७. **श्री प्र० गं० देव : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अधीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों में नये वेतन क्रमों के बारे में असन्तोष है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) और (ख). वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ने वेतन आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन-दरों को मंजूर कर लिया है। नयी वेतन-दरों का स्वागत किया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तेल का मूल्य

†*८५८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री दामानी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २९ अगस्त, १९६० को लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों ने तेल का दाम और अधिक घटाना मंजूर कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) और (ख). इस समय जो मूल्य लिये जा रहे हैं वे प्रतियोगी वाणिज्यिक मूल्य हैं जिनका त्रैमासिक पुनर्विलोकन किया जाता है। अगला पुनर्विलोकन जनवरी, १९६१ में किसी समय किये जाने की सम्भावना है।

दिल्ली में मूर्तियों की स्थापना

*८५९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, स्वामी श्रद्धानन्द,

†मूल अंग्रेज़ी में

पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय आदि की मूर्तियां स्थापित करने के जो प्रस्ताव थे, उनमें से प्रत्येक के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्री(श्री गो० ब० पन्त): जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या १०८७ के उत्तर में बताया गया है, मूर्ति-स्थापना की परामर्शदात्री समिति ने, जिसने कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, स्वामी श्रद्धानन्द, पं० मदन मोहन मालवीय, महारानी लक्ष्मी बाई तथा ला० लाजपत राय की मूर्तियों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया था, ऐसा पाया कि या तो प्रस्तावित स्थान उपयुक्त नहीं थे, या आवश्यक वित्त प्रदान नहीं किया गया था। अत: इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

सरदार पटेल की मूर्ति के विषय में सुझावदाताओं से परामर्श करके प्रारम्भिक व्यौरा तैयार किया जा चुका है और इसकी स्थापना का कार्य पूरा करने के लिये आगे कार्यवाही की जा रही है। पंडित मोतीलाल नेहरू की मूर्ति स्थापित करने का भी निश्चय किया गया है। इसकी स्थापना के लिये स्थान का निश्चय भी शीघ्र कर लिया जायगा।

कच्चे लोहे और इस्पात का उत्पादन

†*८६०. { **श्री मुरारका** :
श्री सूपकार :
श्री पांगरकर :
श्री दां० चं० शर्मा :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) तीनों इस्पात कारखानों में आज तक तैयार इस्पात और कच्चे लोहे का कुल कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) कुल कितना निर्यात किया गया और किस-किस देश को निर्यात किया गया ; और

(ग) कितना स्थानीय रूप से बेचा गया और किस अभिकरण के जरिये बेचा गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). अक्तूबर, १९६० तक राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में तीनों इस्पात संयंत्रों में १,५५६,५२५ टन कच्चे लोहे का उत्पादन किया गया जिसमें इस्पात बनाने के लिये भी कच्चा लोहा शामिल है और ५५०,०७३ टन आधा तैयार और तैयार इस्पात का उत्पादन किया गया। इसमें से ६१३,७६९ टन कच्चा लोहा और २६८,०९७ टन आधा तैयार और तैयार इस्पात स्थानीय रूप से बेचा गया है। बिक्री या तो सीधे इस्पात कारखानों से की गयी है या नियंत्रित और रजिस्टर्ड स्टाकिस्टों द्वारा।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें देश-वार निर्यात के आंकड़े दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

जवाहरात का तस्कर व्यापार

†*८६१. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १५ लाख रुपये के जवाहरात १६ अक्तूबर, १९६० को पालम हवाई अड्डे पर एक ईरानी यात्री के पास चावल के थैले से बरामद किये गये ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : १६ अक्तूबर, १९६० को पालम अड्डे पर एक ईरानी यात्री के पास चावल के एक थैले और बटुवे में से लगभग १५ लाख रुपये के जवाहरात बरामद किये गये ।

रूरकेला इस्पात कारखाने के प्राक्कलन

†*८६२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने के प्राक्कलनों में अभी हाल में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). राउरकेला इस्पात कारखाने के प्राक्कलनों में अभी हाल में कोई वृद्धि नहीं हुई है । तथापि, असैनिक इंजीनियरी कार्यों आदि की मात्रा में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, प्राक्कलन प्रत्याशित से अधिक हो सकते हैं । इस समय हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तीनों कारखानों के एक समान आधार पर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने में लगे हैं और उन्हें शीघ्र ही सभा पटल पर रखने की प्रस्थापना है ।

साहित्य अकादमी

†*८६३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने साहित्य अकादमी की स्थापना से अब तक उसे कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) क्या सरकार उपरोक्त रकम के उपयोग पर कोई नियंत्रण रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो वह रकम किस ढंग से खर्च की गयी थी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) २४,८१,३१५ रुपये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) रकम वार्षिक प्रतिवेदन में बतायी गयी कार्यवाहियों पर खर्च की गयी है जिसकी वर्ष १९५८–५९ तक की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । वर्ष १९५९-६० और १९६०-६१ की कार्यवाहियां भी उसी प्रकार की हैं । इन प्रतिवेदनों की प्रतियां भी तैयार होने पर हमेशा की तरह संसद् पुस्तकालय को भेज दी जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विमान दुर्घटनाएं

†*८६४. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २४ नवम्बर, १९६० को भारतीय वायु सेना के दो जेट विमान दुर्घटना-ग्रस्त हो गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : वायु सेना नियमों के अनुसार एक जांच न्यायालय का आदेश दे दिया गया है । जब तक उसकी कार्यवाही को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता, परिणाम बताना सम्भव नहीं है ।

तेल सर्वेक्षण

†*८६५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को तेल की खोज में सहयोग के लिए इटली से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव क्या है और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव का स्वरूप और ब्यौरा बताना जनहित में नहीं है ।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक अनुदान

†१६२१. **श्री पांगरकर :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष १९५९-६० में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये जिन संस्थाओं को अनुदान दिया गया, उनके क्या नाम हैं ; और

(ख) उनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि मंजूर की गयी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) कालिदास समारोह समिति, मध्य प्रदेश ।

(ख) ७,५०० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में पुरातत्वीय सर्वेक्षण

†१६२२. श्री पांगरकर : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक प्राचीन मन्दिरों और पुरातत्वीय और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के बारे में मध्य प्रदेश में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) जी, हां ।

(ख) (१) जिला भिण्ड : असोहना, बरौली, जमदारा और गोहद तहसील के मऊ स्थान पर काले और लाल बरतन पाये गये हैं । बरहाट से भी कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं ।

(२) जिला जबलपुर : भिण्डारी-कलां, पाटन, फुलर, भीटा पिपरिया और कुन्डा में कालाचूरी तरीके के दस से बारहवीं शताब्दी की मूर्त्तियां मिली हैं । परियाट, गैर और हीरन की घाटियों में पत्थर की वस्तुएं मिली हैं । प्रथम सीरीज़ के औजार पिपरी में मिले और द्वितीय सीरीज़ के बटई, बिठौला-खेडा, देवरी, डोली, डान्डा, गौरिया, कलां, केवलारी, खजारवाडा, नीमखेडा और सलीवदा में । निरन्दपुर, पाटन और भीटा में पत्थर के शस्त्र और काले और लाल बर्तन मिले हैं ।

(३) जिला नीमर (पूर्व) : तापती में कुछ पत्थर के अस्त्र और रंगे हुए बर्तन (काले और लाल) मिले हैं । जमदहाद मतूरपूर, चनेरा, मोजवाडी, गरबारडी, चलापा खुर्द, टोसानिया और बुरहनपुर के करौली और हरसुद तहसील में प्राचीन प्रस्तर युग के पत्थर के औजार मिले हैं ।

(४) जिला विदिशा : शमसाबाद में ८ बड़ी संख्या में मध्ययुगीन मूर्त्तियों का पता लगा है ।

(५) जिला बिलासपुर : सर्वेक्षण से प्राचीन समय के कुछ प्राचीन बौद्ध वस्तुएं और मन्दिर और किलों का पता लगा है ।

(६) जिला रीवा : १२३ गांवों का सर्वेक्षण किया गया है और कार्य प्रगतिपर है । निपानिया, कोठार, घोरचटा-व्रत, बैजनाथ, कचूर, अधदाल और ढोचार के गांवों में शिव मन्दिर और अन्य कला सम्बन्धी वस्तुएं मिली हैं । इनमें से अन्तिम तीन स्थान राजा अजित सिंह की रानी कुन्दार कुंवर (१७५५-१८०९) से सम्बद्ध हैं ।

पंजाब में चाय पर उत्पादन-शुल्क

†१६२३. श्री हेमराज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में अर्थात् १९५५ से १९६० तक पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पृथक् पृथक चाय पर उत्पादन-शुल्क के रूप में कितनी रकम वसूल की गयी ; और

(ख) इन वर्षों में इन राज्यों को चाय के विकास के लिये राजसहायता अथवा अनुदान के रूप में कितनी रकम दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क)

वर्ष	पंजाब	हिमाचल प्रदेश
	(रुपयों में)	(रुपयों में)
१९५५-५६	१,३३,५९८.५५	८,९६३.०७
१९५६-५७	१,०२,२४८.३८	६,४८६.१८
१९५७-५८	१,२८,९५०.३०	९,०३२.२९
१९५८-५९	८५,५८०.७४	११,०१८.५७
१९५९-६०	५७,५६१.७५	६,१२६.३३
१९६०-६१ (अक्तूबर, १९६० तक)	३३,०४३.५०	२,२११.५८

(ख) जी कुछ नहीं।

वर्ष १९६०-६१ में पंजाब में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

†१६२४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष १९६०-६१ में पंजाब में राजनीतिक पीड़ितों को कोई सहायता अथवा सुविधा दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में कितनी रकम दी गयी है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) ५०० रुपये।

आन्ध्र प्रदेश में पुरातत्वीय खुदाई

†१६२५. श्री मं० वें० कृष्ण राव : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में आन्ध्र प्रदेश में पुरातत्वीय खुदाई करने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो खुदाई किन स्थानों पर की जायेगी ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) जी, हां।

(ख) (१) १९६०-६१ : जिला नालगोन्डा में येलेश्वरम् के मन्दिर का स्थान।

(२) १९६१-६२ : अभी कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

इस्पात पुनर्बेलन कारखाना

†१६२६. श्री रामी रेड्डी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में इस्पात की एक पुनर्बेलन फैक्टरी की स्थापना के सम्बन्ध में कोई विचार है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी और उसकी कितनी क्षमता होगी; और

(ग) उस फैक्टरी की अन्य प्रमुख बातें क्या हैं और उनका व्योरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जिन राज्यों में इस प्रकार की मिलें कम हैं या नहीं हैं, जिन में आन्ध्र प्रदेश भी सम्मिलित है, उन में नये इस्पात पुनर्बेलन मिलें स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). फिलहाल व्योरा देना सम्भव नहीं है।

अम्बाला छावनी बोर्ड

†१६२७. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६-६० में विकास परियोजनाओं के लिये भारत सरकार की ओर से अम्बाला छावनी बोर्ड को सहायक अनुदान के रूप में कुल कितनी राशि मंजूर की गयी थी; और

(ख) जिन योजनाओं के लिये यह राशि मंजूर की गयी थी, उनका व्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) ४५,०५० रुपये।

(ख) योजना	राशि
सड़कों में बिजली लगाना	२०,००० रुपये
हरिजनों के लिये क्वार्टर	२५,०५० रुपये
कुल .	४५,०५० रुपये

दिल्ली के कालेजों के शिक्षकों के वेतन-क्रम

†१६२८. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके सम्बद्ध कालेजों को अपने शिक्षकों के वेतन-क्रमों में वृद्धि करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो १६५८-५६ और १६५६-६० में प्रत्येक को कितनी राशि प्राप्त हुई थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, उसके शिक्षकों के वेतनक्रमों में वृद्धि करने पर आने वाला खर्च १६५६—६१ के पांच वर्षों के लिये निर्धारित किये गये इकट्ठे अनुदान में ही सम्मिलित है। जहां तक सम्बद्ध तथा संघटक कालेजों का सम्बन्ध है, इन कालेजों के लिये संधारण अनुदान निर्धारित करते समय स्वीकृत व्यय राशि के एक भाग के रूप में समझा जाता है।

इस प्रयोजन के लिये आयोग द्वारा विश्वविद्यालय या किसी भी सम्बद्ध या संघटक कालेज को कोई विशेष अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिये बस्तियां

†१६२९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिये बस्तियों के विकास के लिये कोई अनुदान मंजूर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो १९५८-५९ और १९५९-६० में कितनी राशि मंजूर की गयी थी; और

(ग) अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा

†१६३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा के विकास के लिये उस राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी थी; और

(ख) १९६०–६१ के लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १९५९-६० में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों की प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के लिये, जिन में पूर्व प्राइमरी, प्राइमरी, मिडल और बुनियादी शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को १२६.५५ लाख रुपये दिये गये थे । उसका व्योरा निम्नलिखित है :—

१. 'राज्य' योजनायें	९६.८५ लाख रुपये
२. केन्द्र द्वारा चलायी गयी योजनायें :—	
(१) लड़कियों के लिये शिक्षा का विस्तार तथा प्राथमिक श्रेणी की शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण	७.६६ लाख रुपये (यह राशि १४.०० लाख रुपयों की स्वीकृत वित्तीय राशि में से मंजूर की गयी है और उसकी शेष राशि १९६०-६१ में मंजूर की जायेगी)
(२) निशुल्क तथा अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था—शिक्षक शिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार .	२२.०० लाख रुपये
(३) प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा में सुधार—एक अग्रिम परियोजना . . .	०.०४ लाख रुपये
मद २ का योग . . .	२९.७० लाख रुपये
कुल योग . . .	१२६.५५ लाख रुपये

†मूल अंग्रेजी में

(ख) शिक्षा सम्बन्धी 'राज्य' योजनाओं (प्रविधिक शिक्षा के अतिरिक्त अन्य योजनाओं) और केन्द्र द्वारा चलायी गयी प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं की कार्यान्विति के लिये १९६०-६१ के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को २३२.६८ लाख रुपये मंजर किये गये हैं। [उक्त (क) के २(१) के ६.३४ लाख रुपयों की राशि इस में सम्मिलित नहीं है] जिनका व्यौरा निम्नलिखित है :—

	राशि
१. **'राज्य' योजनायें :**	
(१) शिक्षित लोगों में बेरोजगारी को कम करने और प्राइमरी शिक्षा के विस्तार की योजना . .	६४.७१ लाख रुपये
(२) **अन्य योजनायें :**	
(प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा सम्बन्धी योजनायें) .	१०६.९० लाख रुपये
योग .	१७१.६१ लाख रुपये
२. **केन्द्र द्वारा चलायी गयी योजनाएं :**	
(१) प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा और शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण का विस्तार . .	१३.८४ लाख रुपये
(२) निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था—शिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार .	४४.२५ लाख रुपये
(३) प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा का सुधार—एक अग्रिम परियोजना .	०.१७ लाख रुपये
(४) शिक्षकों के शिक्षा सम्बन्धी पर्यटन . .	०.०१ लाख रुपये
(५) शिक्षा संस्थाओं के लिये छात्रावासों के निर्माण के लिये ऋण	२.८० लाख रुपये
योग	६१.०७ लाख रुपये
कुल योग	२३२.६८ लाख रुपये

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पीड़ित

†१६३१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पीड़ितों को कोई सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां।

(ख) १६,५५० रुपये।

†मूल अंग्रेजी में

भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान

†१६३२. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक साल में भारत और रूस के बीच कोई सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, हां।

(ख) व्यौरा निम्नलिखित है :—

(१) **सांस्कृतिक करार :**

भारत और रूस में पारस्परिक सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक सहयोग के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किया गया है और उसका अनुसमर्थन भी कर दिया गया है।

(२) **प्रतिनिधि मण्डल :**

१. टैगोर के चित्रांगदा के आधार पर एक भारतीय बैलट के निर्माण में क्यूबाइशेव थियेटर की सहायता करने के लिये श्रीमती नन्दिता कृपालानी रूस गयी थीं।

२. अगस्त, १९६० में मास्कों में हुई २५वीं अन्तर्राष्ट्रीय प्राच्य विद्या विद कांग्रेस में भाग लेने के लिये भारतीय भारती विद्या विदों का १३ सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल वहां गया था।

३. जिस भारतीय सांस्कृतिक-मण्डल को मंगोलिया भेजा गया था, उसने ताशकन्त, रूस में भी अपने सांस्कृतिक-कार्यों का प्रदर्शन किया था।

(३) **प्रदर्शनियां :**

१. रूसी चित्रकारों द्वारा भारतीय विषयों के बारे में बनाये गये चित्रों की एक प्रदर्शनी मार्च से जून, १९६० तक यहां दिखायी गयी थी। वह अहमदाबाद, हैदराबाद, कलकत्ता और दिल्ली में दिखायी गयी थी।

२. नवम्बर, १९५९ से फरवरी, १९६० तक रूसी वास्तुकला सम्बन्धी स्मारकों के छाया चित्रों की एक प्रदर्शनी भारत में की गयी थी। यह प्रदर्शनी दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद और लखनऊ में की गयी थी।

३. रूसी सरकार के आमंत्रण पर श्री एस रोरिच के चित्रों की एक प्रदर्शनी रूस में की गयी थी। इस सम्बन्ध में श्री और श्रीमती रोरिच को भी वहां पर आमंत्रित किया गया था।

(४) **छात्रवृत्तियां :**

कृषि तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विशिष्ट शाखाओं में स्नातकोत्तर अध्ययन/अनुसंधान कार्यों के लिये १२ विद्यार्थियों को रूस भेजा गया था।

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की विशिष्ट शाखाओं में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये १३ अध्यापकों को रूस भेजा गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) उपहार :

१. रूसी संस्कृति-मंत्रालय को लगभग ५०० रुपये की कीमत की पुस्तकें भेंट की गयी हैं।

२. लूनाकरसकी इन्स्टीच्यूट, मास्को को भारतीय संगीत वाद यंत्रों का एक सेट भेंट किया गया था।

३. रामायण के सम्बन्ध में एक बैलट के निर्माण के लिये तथा अभिनय के लिये मास्को के एक नाट्यगृह को भारतीय वेश-भूषा तथा जवाहरात भेंट किये गये थे।

४. लेनिनग्रेड के टाल्सटाय संग्रहालय तथा आश्रम को श्री नन्दलाल बोस का एक चित्र और कुछ पुस्तकें भेंट की गयी हैं।

५. टाल्सटाय के निधन अर्द्ध-शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी और पुस्तकें मास्को स्थित भारतीय राजदूतावास को भेज दी गयी हैं ताकि वे पुस्तकें आदि रूसी प्राधिकारियों को दी जा सकें।

६. रूसी चित्रकार द्वारा भारतीय विषयों पर बनाये गये दो चित्र रूसी राजदूतावास द्वारा नेशनल गैलरी आफ माडर्न आर्ट, नई दिल्ली को भेंट किये गये थे।

७. श्री गोरिन ने, जो कि रूसी स्मारकों के छायाचित्रों की प्रदर्शनी के साथ यहां आये थे, नेशनल गैलरी आफ माडर्न आर्ट को रूसी चित्रों और मूर्तियों के २४ छायाचित्र भेंट किये गये हैं। इसके बदले में नई दिल्ली स्थित रूसी राजदूतावास के द्वारा नेशनल गैलरी आफ माडर्न आर्ट के चित्रों के २३ छायाचित्र उसे भेज दिये गये हैं।

हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज, गुलबर्ग

†१६३३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री १७ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुलबर्ग में हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये एक सरकारी कालेज प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में व्योरे निर्धारित करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उस कालेज के प्रारम्भ हो जाने की कब तक आशा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). मैसूर सरकार ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष में वह कालेज चलाना सम्भव नहीं है।

यूनानी यात्री द्वारा सोने का तस्कर व्यापार

†१६३४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री १७ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २२ मई, १९६० को पालम हवाई अड्डे पर थल सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जिस यूनानी यात्री को पकड़ा गया था और जिसके पास से १,७०,००० रुपयों की कीमत का सोना पाया गया था, उसके विरुद्ध जांच कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). उस सम्बन्ध में जांच कार्य पूरा हो गया है। उससे यह ज्ञात हुआ है कि इस यूनानी यात्री तथा ६ अन्य व्यक्तियों ने बम्बई तथा अन्य स्थानों पर अपने अड्डे बना रखे हैं और वे मार्च से २२ मई, १९६० तक लगभग २००० तोला तस्कर व्यापार का सोना विदेशों से भारत ला चुके हैं। उस यूनानी यात्री से १३५९.६७ तोले सोना पकड़ा जा चुका है और सरकार द्वारा जब्त किया जा चुका है। शेष ६ व्यक्तियों के नाम ये हैं :—

(१) हैदर अली आर० दोसा, कौसर कम्पनी, लन्दन का भागीदार।

(२) बी० बी० झावेरी, कौसर कम्पनी, लन्दन का भागीदार।

(३) बेरूट का बशीर मोहेश।

(४) बेरूट का गारबिस आवेदिस कासेलियन।

(५) बम्बई के जीवन बीमा निगम का वली मुहम्मद रा० मरचेंट।

(६) दमश्क का अब्दुल मजीद।

इन उपपत्तियों के परिणामस्वरूप नई दिल्ली के रेजिडेंट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इन व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज कर दिये गये हैं। ये मामले अभी न्यायालय में ही हैं।

मिट्टी के तेल आदि की आवश्यकता

†१६३५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में मोटर स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी के तेल, और लुब्रिकेटिंग तेलों की वार्षिक आवश्यकता कितनी होती है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : पैट्रोलियम वस्तुओं की खपत के बारे में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और न ही उनके आधार पर प्राक्कलन तैयार किये जाते हैं, अपितु उन क्षेत्रों के आधार पर रखे जाते हैं जिन्हें किन्हीं विशिष्ट पत्तनों से इन वस्तुओं का संभरण किया जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार के सभी डिपुओं को संभरण कलकत्ता, कांडला और बम्बई के पत्तनों से किया जाता है। १९५९ में इन डिपुओं को हलके किस्म के तेलों (मुख्यतया मोटर स्पिरिट) तथा मध्यम किस्म के तेलों (मुख्यतया मिट्टी के तेल और डीज़ल तेल) का किया गया संभरण क्रमशः १.७० और ७.५० लाख मीट्रिक टन था। स्नेहन तेल के सम्बन्ध में संभरण क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

रेडियो इंजीनियर

†१६३६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में रेडियो इंजीनियरों की बड़ी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) फिलहाल तो रेडियो इंजीनियरों की अधिक कमी महसूस नहीं की गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चालू योजनाकाल में अतिरिक्त केन्द्रों में भी रेडियो इंजीनियरिंग के कोर्स चालू कर दिये गये हैं ।

दिल्ली में चोरियां

†१६३७. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में चोरियों के कितने मामले हुए हैं; और

(ग) इन चोरियों की रोकथाम के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, १९६० में ६५१ चोरियों के सम्बन्ध में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) पुलिस सम्पूर्ण क्षेत्र में पैदल, साइकलों पर तथा गाड़ियों में गश्त करती है और सतर्कता रखती है ।

उड़ीसा का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१६३८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ३१ अक्तूबर, १९६० तक भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उड़ीसा के कुल कितने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या उड़ीसा में चिलका झील के निकट तटाग्र क्षेत्रों का भी कुछ सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में किस प्रकार के और कितनी मात्रा में खनिज पदार्थों का पता लग सका है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा में ६,६१८ वर्ग मील क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था । द्वितीय योजना काल में १९५६–६० तक ३,९२६ वर्ग मील क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था । लक्ष्य यह है कि १९६०–६१ तक १२०० वर्गमील क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जायेगा ।

(ख) और (ग). भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा १९५९ के पूर्वार्ध में चिलका झील के पश्चिमी तट के साथ साथ लगभग ४५ मील के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था । भारत के भूतत्वीय सवक्षण विभाग चिलका झील के पश्चिमी तट के साथ साथ चूने के पत्थर की प्राप्ति के सम्बन्ध में संकेत नहीं मिला है ।

यह रिपोर्टें मिली हैं कि उड़ीसा के खनन तथा भूतत्वीय विभाग द्वारा किये गये प्रारम्भिक गवेषणा कार्यों से यह ज्ञात हुआ है कि जाटिया पर्वतीय क्षेत्र में मेगनेटाइट विद्यमान है जो कि इधर उधार बिखरा सा हुआ है और उसके निक्षेप बहुत कम मात्रा में हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडो-स्टानवक पैट्रोलियम परियोजना

†१६३९. श्री सै० अ० मेहदी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डो-स्टानवक पैट्रोलियम परियोजना को बन्द कर देने के सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार कर लिया गया है और होने वाले नुकसान की गणना कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे मालवीय) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रतिरक्षा संस्थापनों में असिस्टेंट सर्जन

†१६४०. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संस्थापनों में ग्रेड १ और २ के असिस्टेंट सर्जनों को मिला देने का कोई विचार है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) और (ख) इस सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और वह इस समय विचाराधीन है । इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि इस बारे में अन्तिम निर्णय क्या होगा ।

सोने का पकड़ा जाना

†१६४१. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कुन्हन :

क्या वित्त मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वित्त मंत्री श्री (मोरारजी देसाई): कलकत्ता सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा श्री एम०जे० ब्लेक्ले को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया । बैरकपुर के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा २३ और समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा १६७ (८१) के अधीन उसके विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया है । मुकदमे पर अभी विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब के उपमंत्री के लिये विदेशी मुद्रा

†१६४२. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामसेवक यादव :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के एक उपमंत्री ने विदेश जाने के लिये विदेशी मुद्रा के लिये आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्हें जरा भी विदेशी मुद्रा मंजूर नहीं की गयी थी, फिर भी वे विदेश गये थे; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने अपने खर्च के लिये क्या इन्तजाम किया था ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पंजाब सरकार से प्राप्त जानकारी से यह ज्ञात हुआ है कि वे विदेशों में अपने मित्रों के पास ठहरे थे, इसलिये उन्हें अपनी ओर से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा था ।

अभ्रक के सम्बन्ध में अनुसंधान

†१६४३. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २९ अगस्त १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करगे कि कलकत्ता की केन्द्रीय शीशा तथा चीनी मिट्टी अनुसन्धान संस्था में एक अभ्रक अनुसन्धान यूनिट स्थापित करने की योजना किस स्थिति में है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास): वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के प्रशासन निकाय ने ५ नवम्बर, १९६० की अपनी बैठक में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि कलकत्ता की केन्द्रीय शीशा तथा चीनी मिट्टी अनुसन्धान संस्था में एक अभ्रक अनुसन्धान यूनिट स्थापित किया जाये । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

दिल्ली के प्राइवेट स्कूल

†१६४४. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री २० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली नगर निगम के इस सुझाव के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है कि उसे प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने अथवा इंकार करने का और उन स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों की सेवाओं को नियमित बनाने आदि के सम्बन्ध में पूर्व प्राधिकार दिया जाये ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : मामला अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुरुकुल विश्वविद्यालय एक्ट

१६४५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुरुकुल विश्वविद्यालय एक्ट बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह एक्ट कब तक बन जायेगा; और

(ग) क्या गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का जो आदर्श रूप है उसके संरक्षण की इस एक्ट में व्यवस्था रहेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). यद्यपि गुरुकुल विश्वविद्यालय अधि)-नियम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार को संसद् के एक अधिनियम द्वारा उपाधियां प्रदान करने का अधिकार दे दिया जाय ।

देहरादून में भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण विभाग का प्रादेशिक केन्द्र

**१६४३. { श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ११ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण विभाग का जो प्रादेशिक केन्द्र देहरादून (उत्तर प्रदेश) में खोला जाने वाला था, उसके बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसमें क्या विशेष कार्य किया जा रहा है या किया जायेगा ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) देहरादून के प्रादेशिक केन्द्र ने १ अगस्त, १९६० से काम करना शुरू कर दिया है ।

(ख) केन्द्र को संगठित करने के अलावा, देहरादून और उसके आसपास का फौनिस्टक सवक्षणकिया जा चुका है । कई प्राणकीय नमूने इकट्ठे किये गये हैं और उनका मोटे तौर पर वर्गीकरण किया गया है । नीचे लिखे काम करने का प्रस्ताव है :—

१. विस्तृत फौनिस्टक सर्वेक्षण, नमनों को इकट्ठा करना और क्षेत्रीय इकौलोजी तथा इस प्रदेश के महत्वपूर्ण प्राणियों की आदतों और जीवन-चक्र का पर्यवेक्षण करना;

२. इस प्रदेश के फौनिस्टिक अध्ययन के लिये पुस्तकालय और प्रयोगशाला की व्यवस्था करना और दिलचस्पी रखने वालों के लिये देश के प्रतिनिधि-प्राणियों का एक छोटा सा संग्रहालय स्थापित करना ।

जनता कालेज जांच समिति

†१६४७. { श्री रा० च० माझी :
{ श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान जनता कालेजों के कार्य की जांच करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की प्रमुख उपपत्तियां क्या हैं ;

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लद्दाख के क्षेत्र में सौर शक्ति का उपयोग

†१६४८. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार लद्दाख के क्षेत्र में गरमी के प्रयोजनों के लिये सौर शक्ति का उपयोग करने के सम्बन्ध में एक सुझाव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की सहायता से इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्रयोग कर रहा है ।

(ग) कार्य अभी हाल ही में प्रारम्भ किया गया है इसलिये अभी कुछ भी प्रगति नहीं हुई है ?

राष्ट्रीय छात्रसेना दल

१६४९. श्री पद्म देव : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन मिलिटरी अकादमी, देहरादून में प्रति वर्ष जो छात्रसैनिक प्रवेश पाते हैं उन में राष्ट्रीय छात्रसेना दल के छात्रसैनिकों का क्या अनुपात होता है ; और

(ख) इस अकादमी में प्रवेश के नियम क्या हैं ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) पिछले पांच वर्षों में इंडियन मिलिटरी अकादमी, देहरादून में जितने कुल छात्र सैनिक दाखिल किये गये हैं, उस में राष्ट्रीय छात्रसेना दल द्वारा लिये जाने वाले उम्मीदवारों और कुल दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ५० प्रतिशत से कुछ ही कम था, इस में जे० सी० ओ० तथा अन्य श्रेणियों में से लिये जाने वाले छात्रसैनिक शामिल नहीं हैं, जिन के लिये कुल दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या का १० प्रतिशत रिजर्व है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में इंडियन मिलिटरी अकादमी के जो विभिन्न प्रकार के दाखिले बतलाये गये हैं, उन के लिये अलग अलग नियम हैं। राष्ट्रीय छात्रसेना दल के विशेष कोर्स के लिये उम्मीदवारों में निम्नलिखित योग्यतायें होनी चाहियें:--

(१) ग्रेजुएट का होना, जिस की अवस्था १९ से २२ वर्ष के अन्तर्गत हो।

(२) राष्ट्रीय छात्रसेना दल के सीनियर डिवीजन में कम से कम तीन शैक्षणिक वर्ष की सेवा और "सी०" प्रमाण-पत्र की प्राप्ति।

(३) सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा योग्यता प्राप्त करना ; और

(४) पूर्ण स्वस्थ होना।

गंगस्तांग अभियान

†१६५०. श्री प्र० के० देव :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों का वैज्ञानिक अन्वेषण करने के लिये गंगस्तांग शिखर पर अभियान करने का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दल में कौन कौन लोग थे और इस बारे में उन लोगों द्वारा किये नये सवक्षण का व्योरा क्या है ;

(ग) इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिये भारत सरकार से कोई सहायता मांगी गई थी ; और

(ङ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) भारत की भौगोलिक संस्था द्वारा यह सूचित किया गया है कि गंगस्तांग चोटी तक नहीं अपितु गंगस्तांग हिमनद तक जाने के लिये सितम्बर/अक्तूबर, १९६० में एक अभियान संगठित किया गया था।

(ख) इस अभियान-दल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे :--

१. श्री बोस,
राष्ट्रीय एटलस संगठन--(नेता)

२. प्रो० आर० के० दास,
विद्यासागर कालेज, कलकत्ता

३. श्री डी० एन० घोष,
राष्ट्रीय एटलस संगठन

४. प्रो० एम० बनर्जी,
गोहाटी विश्वविद्यालय, आसाम

---

†मूल अंग्रेजी में

५. श्री एच० सरकार,
राष्ट्रीय एटलस संगठन

६. प्रो० एस० मुंशी,
विद्यासागर कालेज, कलकत्ता

७. प्रो० ए० मित्र,
रामकृष्ण मिशन पालीटेकनीक, बेलगढ़िया

८. श्री ए० मेहरा, "आकाश",
खालसा कालेज, अमृतसर (पंजाब) के सामने

९. श्री एम० पी० सिन्हा,
राष्ट्रीय एटलस संगठन

१०. प्रो० के० एल० जोशी,
गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, जालंधर, पंजाब ।

इस दल द्वारा निम्नलिखित स्थानों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया :—

(एक) गंगस्तांग प्रदेश के बर्फ के मैदानों और हिमनद का सर्वेक्षण ।

(दो) गंगस्तांग हिमनद और बाइलिंग लुम्पा घाटी की, जिस में से हिमनद गुजरता है, जमीन की बनावट का सर्वेक्षण ।

(तीन) बाइलिंग लुम्पा घाटी की मिट्टी का सर्वेक्षण और मिट्टी के नमूने इकट्ठे करना ।

(चार) प्राकृतिक वनस्पतियों का सर्वेक्षण और पौदों के नमूने इकट्ठे करना ।

(पांच) भूतत्वीय नमूने इकट्ठे करना ।

(छः) चार गांवों में जमीन के प्रयोग का सवक्षण ।

(सात) ऋतु सम्बन्धी सामग्री तथा आंकड़े इकट्ठे करना ।

(आठ) लाहौल और कांगड़ा के कुछ गांवों का सामाजिक आर्थिक अध्ययन ।

(ग) भारत की भौगोलिक संस्था ने सूचना दी है कि सर्वेक्षण के परिणामों का संकलन और संग्रह किया जा रहा है । संस्था ने यह भी बताया है कि दल द्वारा इकट्ठे किये गये विभिन्न नमूनों की जांच और विश्लेषण प्रयोगशाला में किया जायेगा । प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि पिछली शताब्दी के पूर्वार्द्ध में गंगस्तांग हिमनद का आकार और परिमाण काफी छोटा हो गया और हिमनद पीछे हट गया । हिमनद की मौजूदा स्थिति और उस के इर्द गिर्द के इलाकों के बिल्कुल सही सही नक्शे तैयार किये गये हैं। प्रयोगशाला में किये जा रहे परीक्षणों के परिणामस्वरूप और जानकारी उपलब्ध होगी । संस्था का विचार इस सर्वेक्षण और इस के परिणामों के सम्बन्ध में एक विशेष पुस्तिका प्रकाशित करने का है ।

(घ) और (ङ). जी हां । संस्था ने ५,००० रु० का अनुदान मांगा है और इस पर विचार किया जा रहा है ।

सोने का पकड़ा जाना

†१६५१. { श्री प्र० के० देव :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क पदाधिकारियों ने सितम्बर, १९६० में कलकत्ते में एक जहाज में काफी मात्रा में चोरी से लाया सोना पकड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो कितना सोना बरामद किया गया था और क्या दण्ड दिया गया ; और

(ग) किन परिस्थितियों में यह अवैध सोना पकड़ा गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) करीब ४,३७,००० रुपये की लगभग ३,२०७ तोले की सोने की २०० छड़ें बरामद हुई थीं । सोना जब्त कर लिया गया है । इस कारण जहाज के मास्टर को अभी तक कोई व्यक्तिगत दंड नहीं दिया गया है ।

(ग) एम० वी० "रूथ एवरेट" जहाज की तलाशी के दौरान २७ सितम्बर, १९६० को उपर्युक्त अवैध सोना बरामद किया गया था ।

रोहतक में बाढ़

१६५२. { श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहतक की हाल की बाढ़ पर काबू पाने के लिये कितने सैनिकों की सेवायें प्राप्त की गई थीं ;

(ख) सेना ने वहां कितना और कितने दिन तक कार्य किया ; और

(ग) क्या यह सच है कि सेना की सहायता से रोहतक नगर का अधिकांश भाग बाढ़ से बचा लिया गया ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है ।

(ग) सेना और वायु सेना द्वारा दी गई सहायता रोहतक नगर पर आये संकट को कम करने में एक निर्णायक साधन, प्रमाणित हुई ।

विवरण

रोहतक बाढ़ में सहायता कार्य सम्बन्धी सेना और वायु सेना द्वारा सेवा कार्य :—

रोहतक बाढ़ में सहायता के लिये ८१ अफसरों, १२४ जूनियर कमिशन अफसरों, ४०४५ जवानों और १७९ गैर लड़ाका भरती हुए जवानों की सेवा का, २८ अगस्त से १७ सितम्बर, १९६०

---

†मूल अंग्रेज़ी में

के बीच में उपयोग किया गया था। इस काम के लिये सैनिक सामान और साजसामान की एक बड़ी राशि भी प्रदान की गई थी।

सैनिक दलों ने रेलवे लाइन में पुलियों को बंद करने में पोलीस की सहायता की। उन्होंने रोहतक के पश्चिम में आठवें नाले के स्रोत को पक्का करते हुए उस में हुये छेदों को बन्द किया। तीन मील तक लम्बी रेलवे लाइन को रेत के थैलों से तीन तीन फुट और ऊंचा करते हुए, पानी को अपने वश में कर लिया गया और आठवें नाले में दो सौ फुट लम्बे छिद्र को भर दिया दिया।

सैनिक दलों ने नगर से बाढ़ का पानी निकालने में भी, पोलीस की सहायता की। सैनिक इंजीनियरों ने दो नहरें एक २ मील लम्बी और दूसरी ८०० गज खोदी कि नगर के काठमंडी क्षेत्र और बांध पर पानी का जोर कम किया जा सके। नगर को शीघ्र छुटकारा दिलाने के लिये एक ८५० गज लम्बा बांध भी बांधा गया।

सैनिक नौकाओं डीयू के डब्ल्यु ने ८५० घिरे लोगों और उनकी सम्पत्ति को बचाने और काम पर जाने वाले सेविवर्ग को उनके स्थानों तक पहुंचाने में काफी सहायता की।

सैनिक इंजीनियरिंग की मशीनें असैनिक अधिकारियों को उधार पर दे दी गईं कि रेलवे लाइन के दक्षिण की झील को आठवें नाले से मिला कर बाढ़ का पानी निकालने के लिये एक नहर खोदी जा सके।

वायु सेना ४ से ८ सितम्बर, १९६० तक और दुबारा २३ सितम्बर १९६० को ६ आटर, २ डकोटा और ८ हेलिकोप्टर विमान प्रदान करके वायु सेना ने भी रोहतक बाढ़ में सेवा कार्य में सहायता दी। इन विमानों को खाद्य पदार्थ गिराने में, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करने और पंजाब सरकार के अफसरों को लाने ले जाने के लिये प्रयोग में लाया गया।

स्टेनलैस स्टील संयंत्र

†१९५३. **श्री अजित सिंह सरहदी:** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ११ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनलैस स्टील तैयार करने के लिए छोटे कारखाने स्थापित करने के हेतु स्थान चुनते समय औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में प्रादेशिक असमानताओं के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कौन से स्थान चुने गये हैं और इस सम्बन्ध में लाइसेंस कब दिये गये थे ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). स्टेनसेंस स्टील तैयार करने के लिए अभी तक किसी भी छोटे कारखाने को लाइसेंस नहीं दिया गया है। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए कारखानों को लाइसेंस देते समय औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में प्रादेशिक असमानता के प्रश्न पर, तैयार माल की प्रादेशिक आवश्यकताओं, कच्चे माल की उपलब्धि और अन्य सुविधाओं आदि पर विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६० में सोने का पकड़ा जाना

†१६५४. श्रीमती ला पालचौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न प्रशुल्क पदाधिकायिों द्वारा वर्ष १९५९ में जब्त किये गये सोने की तुलना में वर्ष १९६० में कितना और कितने मूल्य का सोना पकड़ा गया ;

(ख) इन अवधियों में तस्कर व्यापारियों पर कितना जुर्माना किया गया ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) १९६० में (१–१–१९६० से ३१–१०–१९६० तक) सीमा शुल्क भूमि सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पदाधिकारियों ने चोरी से लाया गया ८२,१०० तोला सोना पकड़ा और उसका मूल्य लगभग १,०६,५०,००० रुपये था जब कि १९५९ की इसी अवधि में लगभग ५०,५५,००० रुपये का ४५,०३० तोला सोना पकड़ा गया।

(ख) इन अवधियों में तस्कर व्यापारियों पर क्रमशः ४,०४,००० रुपये और ४,७३,००० रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना किया गया।

भूतत्व शास्त्री

†१६५५. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कलकत्ते में भारत की भूतत्वीय, खनन और धात्वीय संस्था की वार्षिक बैठक में डा० सी० महादेवन के अध्यक्षीय भाषण (१५ सितम्बर) में इस कथन को देखा है कि "सरकारी संगठनों में काम का स्तर बहुत ही नीचा होने का कारण यह है कि उत्तरदायी पदों पर अनुभवहीन व्यक्तियों को रखा गया है जिन्हें न तो इस कार्य के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त है और न ही उन्हें वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का ज्ञान है ;" और

(ख) क्या इस आरोप की जांच की गयी है और यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) जांच करने पर इन आरोपों की पुष्टि न तो भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में हुई है और न ही भारतीय खान कार्यालय में।

असैनिक कर्मचारी

†१६५६. श्री मं० रं० कृष्ण : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अपनी प्रतिरक्षा संस्थापनाओं में असैनिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्णय किया है ; और

(ख) प्रतिरक्षा संस्थापनाओं में प्रतिवर्ष कितने असैनिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) अभी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अमरीका के एशिया फाउन्डेशन से किताबें

†१६५७. { **श्री प्र० के० देव :**
{ **डा० सामन्त सिंहार :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के एशिया फाउन्डेशन से किताबें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और किन किन विषयों की ; और

(ग) ये किताबें किस प्रकार बांटी जा रही हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी हां। विभिन्न विषयों पर ५१,९८९ पुस्तकें, वैज्ञानिक पत्रिकायें और विश्वकोष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राप्त हुए हैं।

(ग) उन्हें बांटने का तरीका और ढंग अभी निश्चित करना है।

हांकी अम्पायरों की मृत्यु

†१६५८. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो हॉकी अम्पायर रूस जाते समय विमान दुर्घटना में मारे गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्घटना के कारणों की कोई जांच की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उस की क्या रिपोर्ट है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) दो भारतीय हांकी अम्पायर जो २६ सितम्बर, १९६० को विमान दुर्घटना में मारे गये, रूस नहीं जा रहे थे, वरन् वे मास्को होते हुए योरप से भारत लौट रहे थे। आस्ट्रियन एयरलाइन्स ने विमान दुर्घटना की जांच की है किन्तु उस जांच की रिपोर्ट वियना स्थित हमारे दूतावास को अभी तक नहीं मिली है। संबंधित एयरलाइन्स ने दुर्घटना में मारे गये प्रत्येक सवारी के लिये ३९,६६७ रुपये ५० नये पैसे तक क्षतिपूर्ति देने की इच्छा प्रकट की है।

त्रिचूर में हिन्दी कालेज

†१६५९. **श्री वारियर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने त्रिचूर में एक हिन्दी कालेज स्थापित करने के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). केरल सरकार ने त्रिचूर में हिन्दी शिक्षकों का प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने के लिये एक योजना प्रस्तुत की है। हिन्दी शिक्षा समिति द्वारा मान्य पाठ्यक्रम के नमूने को देखते हुए योजना में कुछ परिवर्तन आवश्यक थे। अत: राज्य सरकार से एक पुनरीक्षित योजना प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

चूजल हवाई पट्टी के पास चीनी लोग

†१९६०. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी लोग चूजल हवाई पट्टी के बहुत निकट हैं ;

(ख) क्या वे चूजल हवाई पट्टी तक अपने टैंक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं ; और

(ग) चीनियों की इस चाल को देखते हुए क्या सरकार ने सीमा क्षेत्र की प्रतिरक्षा की दीर्घ-कालीन योजना तैयार की है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) चूजल हवाई पट्टी से कुछ ही मील की दूरी पर चीनियों के अड्डे हैं ।

(ख) सरकार को चीनी लोगों के ऐसे किसी इरादे की जानकारी नहीं है ।

(ग) लद्दाख सीमा की प्रतिरक्षा के लिये सरकार यथोचित कार्यवाही कर रही है ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय

१९६१. **श्री डामर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन शहरों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय हैं और वे किन-किन विभागों के हैं ; और

(ख) इन कार्यालयों में किस श्रेणी के कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सरकार के विभागों में राज्य सरकारों के पदाधिकारी

†१९६२. **श्री डामर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में हर प्रदेश के कितने पदाधिका ी काम कर रहे हैं ; और

(ख) इन में कितने आई०ए०एस०, आई०सी०ऐस० तथा आई०पी०एस० पदाधि-कारी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). इस समय अखिल भारतीय सेवाओं की विभिन्न राज्य पदालियों के ४७१ पदाधिकारी केन्द्र में कार्य कर रहे हैं । इन में से २२३ आई०ए०एस०, ११० पूर्वकालीन आई०सी०एस० तथा १३८ आई०पी०एस० पदाधिका ी हैं ।

केन्द्रीय सरकार के विभागों में राज्य सरकारी के पदाधिकारी

१९६३. **श्री डामर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभागों में विभिन्न राज्यों के कितने पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्हें १९४९ से आज तक डेपुटेशन पर सेवा में रखा गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसे पदाधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें डेपुटेशन की अवधि के पश्चात् वापस अपने राज्य की सेवा में जाना पड़ा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : भारतीय प्रशासन सेवा की राज्य पदालियों के पदाधिकारियों की संख्या इस प्रकार है :

(क) १५

(ख) २४५ ।

सिक्कों के लिये निकल रहित मिश्रित धातु

†१६६४. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय धातवीय प्रयोगशाला में सिक्कों के लिये निकल-रहित मिश्रधातु का निर्माण करने में सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सिक्के बनाने के लिये इस का प्रयोग किया जायेगा ।

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय धातवीय प्रयोगशाला में प्रयोगशाला-स्तर पर प्रयोग करने के परिणामस्वरूप मेंगनीज-तांबा-जिस्त की एक ऐसी मिश्रधातु तैयार की गई है, जिसमें 'निकल' नहीं है और उसमें सिक्के बनाने के लिए आवश्यक सभी गुण विद्यमान हैं । भारत सरकार की टकसाल के सहयोग से इस कार्य को और आगे बढ़ाया जा रहा है ।

दिल्ली पोलिटेकनीक में बहरे लोगों का प्रशिक्षण

†१६६५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री ११ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करगे कि बहरे लोगों को कलाएं सिखाने के लिए दिल्ली पोलिटेकनीक में एक विशेष अनुभाग खोलने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अखिल भारतीय शिल्पिक शिक्षा परिषद् आल इंडिया काउंसिल फार टेकनिकल एजूकेशन) द्वारा स्थापित व्यवहारिक कला के शिल्पिक अध्ययन मंडल (बोर्ड ऑफ टेक्नीकल स्टडीज़ इन अप्लाइड आर्ट्‌स) ने, जिसे यह योजना प्रस्तुत की गई थी, यह सुझाव दिया है कि एक विशेष अनुभाग खोलने के बजाय, दिल्ली पोलीटेकनीक में प्रवेश की अर्हताओं में ऐसा उचित परिवर्तन किया जाये कि अपंग छात्रों को लिया जा सके और सभी छात्रों के लिये एक अंतिम परीक्षा की योजना बनायी जाये । इस विषय की आगे और छानबीन की जा रही है ।

सेना इंजीयनरी सेवा

†१६६६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री ३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सेना इंजीनियरी सेवा में कुछ अस्थायी पदों को स्थायी बनाने के प्रस्तावों पर सरकार के विचार का क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : इस विषय पर अभी विचार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पंजाब में लोहा भट्टी

†१९६७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान, और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोहिन्दर गढ़ जिले में जहां काफी मात्रा में लौह अयस्क उपलब्ध है, सरकारी क्षेत्र में काफी बड़ी लोहा भट्टी स्थापित करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वह योजना किस दशा में है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई औद्योगिक क्षेत्रों में बैंक सुविधायें

†१९६८. **श्री दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का राज्य बैंक बम्बई शहर के आसपास और अधिक बैंक सुविधाएं देने की योजना पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है और वह संभवतः कब तक कार्यान्वित की जायगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). भारत के राज्य बैंक ने बम्बई शहर के आसपास औद्योगिक क्षेत्रों में विखरोली और भंडूप में अभी फिलहाल दो उप-कार्यालय खोलने का निश्चय किया है । इन उपकार्यालयों को खोलने का काम शुरू हो चुका है और आशा है कि वे शीघ्र ही चालू हो जायेंगे ।

मूल्यांकन एकक

†१९६९. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेकेण्डरी स्तर पर परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए किन किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने मूल्यांकन एकक स्थापित करना मंजूर कर लिया है ;

(ख) ये एकक क्या काम करते हैं और उन्हें अपना काम पूरा करने में कितना समय लगेगा; और

(ग) प्रत्येक एकक पर प्रत्येक वर्ष में कितना खर्च किया जायेगा और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच यह खर्च किस प्रकार बांटा जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के राज्यों में प्रस्तावित मूल्यांकन एककों जैसी संस्थापनाएं पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं ।

आन्ध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, मैसूर और राजस्थान के राज्यों ने मूल्यांकन एककों की स्थापना की योजना के सम्बन्ध में अपनी सहमति दे दी है ।

सब संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केवल एक ही मूल्यांकन एकक स्थापित करने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह एकक परीक्षण सामग्री तैयार करने और एकत्र करने, प्रादेशिक भाषाओं में परीक्षाओं की तैयारी करने, अनुसंधान कार्य के संचालन आदि से सम्बन्धित होता है।

एक बार स्थापित हो जाने पर ये एकक संभवतः स्थायी हो जायेंगे।

(ग) अनुमान है कि प्रत्येक एकक पर प्रति वर्ष एक से डेढ़ लाख रुपये के बीच खर्च होगा। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच खर्च का बंटवारा किस ढंग से होगा इसका अभी निर्णय करना है।

कोरापुट में चूने के पत्थर के निक्षेप

१६७०. श्री रघुनाथ सिंह: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले के सुनकी क्षेत्र में चूने के पत्थर के बहुत बड़े निक्षेप मिले हैं ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के खान निदेशालय द्वारा कोरापुट जिले के उम्पावली-तुमीगडा क्षेत्र में किये गये सर्वेक्षण से पता लगा है कि वहां पर करीब १०० मिलियन (दस करोड़) टन-क्रम के चूने के पत्थर के निक्षेप हैं। पर अभी इस का निश्चय व्यधन द्वारा करना होगा।

कांगड़ा में पुरातत्व संबंधी स्मारक

†**१६७१. श्री हेम राज :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के कांगड़ा जिले में कौन कौन से पुरातत्वीय स्मारक केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण और निरीक्षण में हैं; और

(ख) उन में से प्रत्येक की देखभाल, रख-रखाव और मरम्मत के लिए १९६०-६१ में कितनी रकम मंजूर की गयी थी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री** (डा० म० मो० दास): (क) और (ख) :

क्रम संख्या	स्मारक का नाम	१९६०-६१ के बजट में व्यवस्था
		रुपये
१	कांगड़ा का ध्वस्त किला	१०,९००
२	बैजनाथ का मंदिर	२,५८०
३	तीर-सुजानपुर में कटोच महल	
४	नूरपुर में ध्वस्त किला	१,०००
५	कोटला में ध्वस्त किला	२,४००

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३
		रुपये
६	धरमसाला से ६ मील दूर छितरू में भीमताल नामक बौद्ध स्तूप	..
७	बजौरा के पास हट में विशेश्वर महादेव का मंदिर	६८०
८	दस्सल (कुल्लू सब डिविजन) में गौरी शंकर का मंदिर, उसके अन्दर तथा बाहर पत्थर की चित्रकारी सहित . .	६५०
६	नगर में गौरी शंकर का मंदिर उसके अन्दर तथा बाहर पत्थर की चित्रकारी सहित . . .	६८०
१०	मसरूर में चट्टान में काटे गये मंदिर, उनके अन्दर तथा बाहर पत्थर की चित्रकारी सहित . .	६७०
११	जगत सुख में शिव मंदिर .	६५०
१२	पथियारा में शिला लेख	..
१३	कन्हैयारा में शिला लेख	..

हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कालेज

†१६७२. **श्री हेम राज** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल कितने कालेज, हायर सेकेन्डरी स्कूल, हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल खोलने का विचार था; और

(ख) अब तक कितने खोले जा चुके हैं और किन किन स्थानों पर कालेज, हायर सेकेन्डरी स्कूल और हाई स्कूल खोले गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :

(क) कालेज	. . . . .	४
	. . . . .	१४
	. . . . . .	२७
	. . . . . .	२६५

(ख)	संख्या	स्थान
कालेज . .	४	चम्बा, बिलासपुर, सोलन और रामपुर बुशहर
हायर सेकेन्डरी स्कूल . .	१४	जब्बल, रामपुर, पौन्टा, घुमरवीन, बरथीन, अरकी, लाडभरोल, सुन्दरनगर, चम्बा, सोलन चम्बा, मण्डी, नाहन और बिलासपुर

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३
हाई स्कूल	२७	जंगल, संगला, बड़ागांव, अरहल, देहर, पनारसा, निहरा, निहरी, हरगढ़, धरमपुर, द्रुब्बल, भरमौर, संडला, किलर, बरथरी, चकलू, शिल्लई, अम्बोया, बोधघर, गेरहवीं, जूखला, कुथेरा, झंडूगा, कनाम, घाना की हट्टी, कोटखाई और सुन्दरनगर
प्राइमरी स्कूल	२९५	जिला महासू (६०), मण्डी (७७) चम्बा (४४), सिरमौर (७२), बिलासपुर (३०), किन्नौर (१२)

न्यायाधीशों के काम का पुनर्विलोकन

†१६७३. { **श्री सै० अ० मेहदी :**
श्री आचार :
श्री प्र० गं० देव : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का वक्तव्य देखा है जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के काम के पुनर्विलोकन से संबंधित सरकार के सुझाव का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). सरकार ने केवल एक प्रेस प्रतिवेदन देखा है जो ४ नवंबर १९६० को, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय विधिवेत्ताओं की संस्था, हैदराबाद में भाषण देते समय, जून १९६० के विधि मंत्रियों के सम्मेलन के इस आशय के सुझाव के बारे में , कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति प्रति छः महीने में प्रत्येक अवर न्यायाधीश द्वारा किये गये काम का पुनर्विलोकन करे, भारत के उच्चतम न्यायाधिपति द्वारा व्यक्त किये गये बताये गये विचारों के बारे में है । अभी तक सरकार को इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधिपति से कोई औपचारिक संसूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

दार्जिलिंग क्षेत्र में चाय के बाग

†**१६७४. श्री आसर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनियों ने 'दार्जिलिंग क्षेत्र में चाय के बाग खरीदे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या चीनियों ने यह सौदा पूण करने से पूर्व अनुमति ली थी ;

(घ) क्या पश्चिमी बंगाल ने इस सौदे के बारे में कोई पत्र भेजा है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : : (क) और (ख) एक तिब्बती फर्म ने दार्जिलिंग जिला में कम्लिपोंग सब डिवीजन में ९०१.७२ एकड़ चाय सम्पदा पिछली वर्ष खरीदी थी जिसकी लागत १५०,००० रुपये थी ।

(ग) यह सौदा पश्चिम बंगाल भूमि अन्य-संक्रायण (विनियम) अधिनियम, १९६० से पहले हुआ था, जिसमें ऐसे सौदों के प्रभावी होने के लिये सरकार की पूर्व मंजरी का उपबन्ध है ।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयना परियोजना

†१९७५. **श्री आसार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयना परियोजना के लिये विश्व बैंक द्वारा मंजूर किये गये ऋण की पूरी राशि विश्व बैंक से मिल गई है ;

(ख) यदि हां तो कितनी राशि विश्व बैंक से मिली है ; और

(ग) क्या विश्व बैंक के अधिक ऋण के लिये और कुछ बातचीत हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). ३१ अक्तूबर, १९६० तक, विश्व बैंक द्वारा मंजूर २९० लाख डालर के ऋण में से ७८ लाख ४० हजार डालर लिये गये थे । शेष राशि ३० अप्रैल १९६५ से काफी पहले निकाल ली जाएगी, जो ऋण करार में निर्धारित अन्तिम तिथि है ।

(ग) परियोजना के दूसरे प्रक्रम के लिये ऋण के लिये विश्व बैंक से प्रार्थना की जा रही है ?

तेल संस्था प्रयोगशाला

†१९७६. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में कोई तेल संस्था प्रयोगशाला (आयल इंस्टीट्यूट लेबरेटरीज) स्थापित की जाएगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों तथा और कौन से स्थान चुने गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में देहरादून में एक भारतीय पेट्रोलियम संस्था (इण्डियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यट) स्थापित की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्वाचन आयोग द्वारा मुस्लिम लीग को मान्यता

†१६७७. **श्री कालिका सिंह** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुस्लिम लीग भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा शासकीय तौर पर मान्यता प्राप्त दल है ; और

(ख) क्या मुस्लिम लीग कुछ राज्यों में निर्वाचन के मान्यता प्राप्त दल है और यदि हां, तो किन राज्यों में ?

वित्त मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भारतीय संघ मुस्लिम लीग नाम के दल को केवल केरल राज्य में निर्वाचन के लिये मान्यता दी गई है ।

छावनी बोर्ड नियम तथा उपनियम

१६७८. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कितनी छावनियों में छावनी बोर्डों के नियम तथा उपनियमों का हिन्दी अनुवाद हो चुका है और कितनों का अनुवाद किया जा रहा है ; और

(ख) जिनका अनुवाद होना अभी शेष है वह सम्भवतः कब तक पूरा हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा उप मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) किसी में नहीं ।

(ख) सभी छावनी बोर्ड अपना काम अंग्रेजी में चला रहे हैं । यह प्रश्न नीति से सम्बन्ध रखता है, कि आया सभी छावनी बोर्ड अपना काम हिन्दी में चलाना शुरू कर दें, और यदि ऐसा हो तो कब से । इस प्रश्न पर निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिये इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि छावनी बोर्ड भी स्वायत्त निकाय हैं और अपनी प्रादेशिक भाषा लिये भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं ।

छावनी बोर्डों में प्रयुक्त होने वाले फार्म

१६७९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर भारत की छावनियों के क्षेत्र में नागरिकों से विभिन्न प्रकार के कर वसूल करने के लिये जो फार्म छावनी बोर्डों द्वारा काम में लाये जाते हैं क्या उनको हिन्दी में भी छपवा लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक ये सब फार्म हिन्दी में उपलब्ध हो सकेंगे ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) कण्टोण्मेण्ट अकाऊंट कोड १९२४ में निर्दिष्ट और भारत के विभिन्न भागों में छावनी बोर्डों में आमतौर पर प्रयोग में आने वाले सभी फार्म केन्द्रीय रूप में अंग्रेजी में छपवाये जाते हैं । केवल रसीदों के फार्म अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में छपवाये जाते हैं । तदपि उत्तरीय भारत के कई छावनी बोर्डों के कुछ अनिर्दिष्ट फार्म हिन्दी में छपवाये हैं जो उनके चालू प्रयोग में आते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सभी छावनी बोर्ड अपना काम अंग्रेजी में चला रहे हैं । यह प्रश्न नीति से संबंध रखता है , कि आया सभी छावनी बोर्ड अपना काम हिन्दी में चलाना शुरू कर दें, और यदि ऐसा हो तो कब से । इस प्रश्न पर अभी निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, कि छावनी बोर्ड भी स्वायत्त निकाय हैं और अपनी प्रादेशिक भाषा लिए, भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं ।

हिन्दी शिक्षण केन्द्र

१९८०. श्री प्रकाश वीर शास्त्री: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुसेना में कितने पदाधिकारियों तथा सैनिकों को हिन्दी सिखाने के लिये अब तक शिक्षण केन्द्र खोले गए हैं ;

(ख) इन केन्द्रों और इन में शिक्षा पाने वालों की संख्या क्या है ;

(ग) भारतीय स्थल सेना के पदाधिकारियों तथा सैनिकों का हिन्दी सिखाने के लिए कितने शिक्षण केन्द्र खोले गये हैं और उन में इस समय कितने व्यक्ति शिक्षा पा रहे हैं ; और

(घ) नौसेना के पदाधिकारियों तथा सैनिकों को हिन्दी सिखाने के लिये कितने शिक्षण केन्द्र खोले गये हैं और उमसे कितने व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) (क), से (घ) : हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र नाम का कोई मी केन्द्र शास्त्र सेदाओं में नहीं है । तीनों सेमाओं के अफसरों का एक हिन्दी परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है, अगर उमको मातृ भाषा हिन्दी न हो । यह परीक्षा वर्ष में दो बार होती है ।

जहां तक अवर श्रेणी सेवीवर्ग का प्रश्न है, सेना की हालत में हिन्दी प्रशिक्षण के लिये अलग केन्द्र खोलने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्रवर श्रेणी सेवीवर्ग को शिक्षा देने के लिए सभी निदेशन हिन्दी में होते हैं, और प्रशिक्षण कक्षा में सभी की उपस्थिति अनिवार्य होती है ।

वायु सेना में हवा बाजों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने के लिए, शिक्षकों के प्रबंध का प्रश्न विचाराधीन है ।

नौसेना की हालत में, जहां और जब भी कार्यान्वित हो सके, इस अभिप्राय से नियुक्त किए गए शिक्षकों की सहायता से, हिन्दी कक्षाओं का प्रबंध किया जाता है ।

हिन्दी में नोटिस बोर्ड

१९८१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसका कोई प्रबन्ध किया जा रहा है कि नई दिल्ली में प्रतिरक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सेना मुख्यालय में अंग्रजी के नोटिस बोर्डों और नाम प्लेटों आदि के साथ हिन्दी के नोटिस बोर्ड और नाम पट्ट भी लगाये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो सम्भवतः यह कब तक हो जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जब भी नए नोटिसबोर्ड की जाती हैं और अफसर चाहें, तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए दोनों में लिखे जाते हैं ।

(ख) कोई तिथि नियत नहीं की गई ।

राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार

१६८२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों को कोई ऐसा आदेश दिया था कि जिन राज्य सरकारों की सरकारी भाषा हिन्दी है उन्हें जब कभी पत्र या दस्तावेज भेजे जायें, तो उसके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो यह आदेश कब जारी किया गया था ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसे राज्यों को जिन का सरकारी कार्य अब हिन्दी में होता है सब पत्र हिन्दी में भेजने की कोई व्यवस्था की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). दिसम्बर, १९५९ में सभी मंत्रालयों को आदेश दिया गया था कि जिन प्रदेशों की राज्य भाषा हिन्दी है उन्हें यथासम्भव अंग्रेजी पत्रों के साथ हिन्दी अनुवाद भी भेजें जाएं ।

(ग) हिन्दी के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग को सुगम करने के लिये विभिन्न प्रारम्भिक कार्य आरंभ किये गये हैं ।

हिन्दी की पुस्तक

१६८३. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विषयों पर हिन्दी में जों पुस्तकें प्रकाशित होंती हैं क्या भारत सरकार की ओर से उनका समय समय पर ब्यौरा एकत्रित किया जाता है ;

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था भी की गई है जिसके अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों से संबंधित विषयों पर प्रकाशित हुई हिन्दी पुस्तकों की सूची नियमित रूप से उन्हें प्राप्त होती रहे ; और

(ग) यदि अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) भारत में हिन्दी और दूसरी भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों की सूची हर तीसरे माह प्रकाशित होने वाली "इन्डियन नेशनल बिब्लिओग्राफी" में छापी जाती है ।

(ख) सभी मंत्रालय इस ग्रंथ सूची को प्राप्त कर सकते हैं और उस को देख सकते हैं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी निदेशालय

१६८४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का विस्तार करने की एक योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कब तक अन्तिम निर्णय होने की संभावना है ; और

(ग) भारत सरकार के विभिन्न विभागों की नियम-संहिताओं और फार्मों के हिन्दी अनुवाद करने में निदेशालय को संभवत: कितना समय लगेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना १–३–१९६० को हुई है और आवश्यकताओं और बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक स्टाफ के प्रश्न का लगातार पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

(ग) वर्तमान अनुमान के अनुसार नियम-संहिताओं (मैनुअल) तथा अन्य साहित्य के लगभग ८४००० पृष्ठों का अनुवाद हिन्दी में होना है । इस मंत्रालयों को सौंपे गये कार्य के अधिकांश भाग के अनुवाद को समाप्त करने की अंतिम लक्ष्य-तिथि अप्रैल १९६३ है ।

प्रतिरक्षा संस्थापनों में ड्राइवरों के वेतन क्रम

†१६८५. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संस्थापनों में असैनिक सैनिक-ट्रक ड्राइवरों के लिये निर्धारित नये वेतन क्रम अभी तक लागू नहीं किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) द्वितीय वेतन आयोग द्वारा हलकी तथा भारी मोटरगाड़ियों के ड्राइवरोंके लिये जिन नये वेतनक्रमों की सिफारिश की गयी है, उन्हें अभी तक प्रतिरक्षा संस्थापनों को असैनिक सैनिक-ट्रक ड्राइवरों पर लागू नहीं किया गया है ।

(ख) यह विलम्ब ड्राइवरों के वर्गीकरण के कार्य के आने वाली कठिनाइयों के कारण हो रहा है । इस बारे में कार्य के गति देने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

कावेरी के बेसिन में तेल सर्वेक्षण

**†१६८६. { श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री तंगामणि :**

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के काबेरी बेसिन का भूकम्पीय सर्वेक्षण करने वाले दल ने अपना काय पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उस क्षेत्र में परीक्षण के रूप में कोई भू-छेदन कार्य किये गये : और यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(ग) जी, नहीं।

वेतन क्रमों के पुनरीक्षण के परिणाम स्वरूप बकाया राशियां

†**१६८७. श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति के बाद सेक्शन अफसरों के पद से ऊपर के सभी पदाधिकारियों तथा क्लर्कों के सभी ग्रेडों को अदा की जाने वाली कुल कितनी राशियां बकाया हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सेक्शन अफसरों के पद केवल सचिवालय में तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में भाग लेने वाले दफ्तरों में ही है, जबकि क्लर्कों के पद सचिवालय तथा गैर-सचिवालय दोनों के विभिन्न दफ्तरों में हैं। इसलिये प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं होता कि क्या इनमें केवल सचिवालय (और केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भाग लेने वाले दफ्तरों) के सेक्शन अफसरों के पद से ऊपर के पदाधिकारियों तथा सचिवालय और गैर-सचिवालय के सभी सरकारी दफ्तरों के क्लर्कों के सम्बन्ध में पूछा गया है या नहीं।

केन्द्रीय असैनिक सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, १९६० के अधीन कर्मचारियों को यह अनुमति दी गयी है कि वे वर्तमान वेतन क्रमों के पुनरीक्षण सम्बन्धी नियमों अथवा आदेशों के जारी होने की तिथि से चार महीने की अवधि के अन्दर पुनरीक्षित वेतन क्रमों के सम्बन्ध में अपना विकल्प दे सकते हैं। कुछ लोगों ने अभी तक अपना विकल्प नहीं दिया है और यह अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि जब तक नियमों की व्याख्या से उत्पन्न होने वाली कुछ भ्रान्तियां स्पष्ट नहीं हो जातीं तब तक के लिये इस तिथि को और बढ़ा दिया जाये। इसलिये जब तक सभी कर्मचारी अपना विकल्प न दे दें और बकाया राशियों के बिल तैयार नहीं कर लिये जाते तब तक कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को दी जाने वाली बकाया राशियों का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

अघोषित कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन बांटने वाले अधिकारी वास्तव में दफ्तरों के प्रधान होते हैं और घोषित कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह कार्य एकाउण्ट्स अफसर करते हैं।

कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग को दी गयी या दी जाने वाली राशियों के सम्बन्ध में जानकारी अलग अलग रूप से उपलब्ध नहीं है यह जानकारी उन प्राधिकारियों से इकट्ठी करनी पड़ेगी। लोअर और अपर डिवीजन क्लर्कों की संख्या लगभग २ लाख है और यह ख्याल किया जाता है कि इस जानकारी को इकट्ठा करने में जितना समय और श्रम खर्च होगा, वह प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

प्रादेशिक सेना में नियमित सैनिक कर्मचारी

†**१६८८. श्री नवल प्रभाकर** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब प्रादेशिक सेना में नियमित सेवा के कितने सेवा निवृत्त कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें से कितनों को पेंशनें मिली हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). नियमित सेवा के २२७३ सेवा निवृत्त कर्मचारी प्रादेशिक सेना में काम कर रहे हैं। उनमें से ४१८ को पेंशनें मिलती हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

†**१९८९. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(घ) क्या प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के सब असैनिक कर्मचारियों को, जिन्होंने जुलाई १९६० की हड़ताल में केवल भाग लिया था, उनके कामों पर वापिस ले लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) अन्तिम निर्णय शीघ्र करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) से (ग). अधिकांश कर्मचारियों को जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था, काम पर वापिस ले लिया गया है। कुछ लोगों के मामलों का, जिन्हें काम पर वापिस नहीं लिया गया, अभी परीक्षण किया जा रहा है। इन मामलों को शीघ्र निपटाने की कार्रवाई की जा रही है।

लौह अयस्क खानों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

†**१९९०. श्री चिन्तामणि पाणिग्राही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि १९५७ में श्री के० एन० कौल की प्रधानता में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था कि सरकार को लोहा खनन का अनुभव नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि इस विशेषज्ञ समिति ने बैलाडिला, मैसूर, सलेम और उड़ीसा के मयूरभंज जिलों को सरकारी क्षेत्र की लोहा खानों के लिये सर्वोत्तम स्थान बताया था; और

(ग) क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) श्री के० एन० कौल की प्रधानता में स्थापित विशेषज्ञ समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा था :

> "भारत में राज्य ने अब तक खनन क्षेत्र में काम नहीं किया है और इसे इसकी त्रुटियों का अनुभव नहीं है।"

(ख) इस समिति का क्षेत्र केवल उड़ीसा तक सीमित था। उस राज्य में अन्य निक्षेपों के अतिरिक्त, इसके राज्य द्वारा विकास और निकालने के लिये रक्षित रखने के हेतु मयूरभंज जिला में लोहा अयस्क के निक्षपों की भी सिफारिश की थी। मैसूर की विशेषज्ञ समिति ने भी रक्षित रखने के लिये कुछ क्षेत्रों की सिफारिश की थी। अभी तक मद्रास के लिये कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त नहीं की गई और इसलिये संक्षेप में निक्षेपों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(ग) प्रतिवेदन विभागीय उपयोग के लिये है और इसे सभा पटल पर रखने का विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रूसी तेलवाहक जहाज

†१६९१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बम्बई से कोचीन को रूसी तेलवाहक जहाज का व्यपवर्तन करने के लिये कुछ अधिक भाड़ा दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). भारतीय तेल कम्पनी के पास अगस्त १९६० के अन्त में रूस से हाई स्पीड डीजल तेल का पहला तेलवाहक जहाज आया। यह तेल बम्बई में दो टैंकों में डाल दिया गया जो कम्पनी ने सेना से लिये थे। दूसरा तेलवाहक जहाज जो रूस से मिट्टी का तेल लाया था, ७ नवम्बर १९६० को बम्बई पहुंचा। बम्बई में आने वाले मिट्टी के तेल के लिये जगह बनाने के लिये, कम्पनी ने फैसला किया कि बम्बई के अपने एक टैंक से लगभग ३६०० टन हाई स्पीड डीजल तेल को कोचीन वाले अपने टैंक को जो केरल राज्य तथा साथ वाले क्षेत्रों को पेट्रोलियम उत्पाद भेजने के लिये प्रमुख पत्तन है, भेज दे। बम्बई से कोचीन को हाई स्पीड डीजल स्टाक ले जाने के लिये रूसी तेलवाहक जहाज को जो किराया देना था, उसके बारे में यह समझौता हो गया है कि भारत सरकार के तटीय जहाज के लिये जो साधारण जहाज का किराया होता है उसके आधार पर यह किराया दे दिया जाएगा।

कुमायूं में खनिज सर्वेक्षण

†१६९२. **श्री जं० ब० सिं० विष्ट** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ से १९६० तक कुमायूं में खनिजों की खोज सम्बन्धी कार्य में क्या प्रगति हुई; और

(ख) क्या इन संसाधनों के उपयोग के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क) और (ख). कुमायूं में तांबे और सीसे की खोज के लिये १९५६ से विस्तृत जांच आरम्भ की गयी थी, इस क्षेत्र में अल्मोड़ा, पिठौरागढ़ और चमौली के जिले शामिल हैं।

१९५९ के अन्त तक ६१९ वर्ग किलोमीटर को १: ३१६८० के पैमाने पर और ७.७७ वर्ग किलोमीटर को समतल मानचित्रांकन में १ : १२०० के पैमाने पर दिखाया गया है। इसके अन्तर्गत देवलधार—शीशखानी-बलालदेव, बेरीनाग, गनई नंगाली और धनपुर-धोवरी के क्षेत्र आते हैं। इसमें पुराने खानों की सफाई और उनका भूरासायनिक नमूना लेना भी शामिल है। इस विस्तृत कार्य के फलस्वरूप यह पता लगा है कि शीशखानी और बलालदेव के क्षेत्रों को छोड़ कर इस क्षेत्र में खनिज बहुत कम और बिखरे रूप से हैं। इन दो क्षेत्रों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्धारण करने का काम जारी है।

तांबे और सीसे की खोज के साथ साथ मैगनेसाइट और खड़िया के खानों की भी खोज की गई। इसके काफी बड़े निक्षेप देवलथल, रेंग्रागर और शीशखानी बलालदेव क्षेत्रों में पाये गये। मार्च, १९६० के अन्त तक भारतीय खान व्यूरों ने देवलधार क्षेत्र में बर्मे से खुदाई कर ३५.५ लाख टन निक्षेप का होना सिद्ध किया है। इन निक्षेपों की खुदाई के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

न्यू सिटिजन बैंक आफ इंडिया का विलयन

†१९९३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू सिटीजन बैंक आफ इंडिया को बैंक आफ बड़ौदा में विलय करने की योजना अन्तिम रूप से निश्चित और मंजूर हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके विस्तृत विवरण क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :(क) जी नहीं । भारत रक्षित बैंक ने बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ४५ के उपबन्धों के अनुसार न्यू सिटीजन बैंक आफ इंडिया को बैंक आफ बड़ौदा के साथ विलय करने के लिये एक योजना बनाई है, जिसे दोनों बैंकों को उनकी राय जानने के लिये भेजा गया है ।

(ख) दोनों बैंकों को भेजी गयी योजना की एक प्रतिलिपि संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३५]** । योजना की व्यवस्था के मसौदे में की गयी व्यवस्था के अनुसार निक्षेपकों को आस्तियों के अदल बदल मूल्य के समान मूल्य की राशि प्राप्त हो सकेगी और इसके पश्चात् हस्तांतरित होने वाली संस्था द्वारा जो भी राशियां प्राप्त की जायेंगी वह दी जायेंगी ।

जम्मू और काश्मीर में एक पहाड़ पर दरार आना

†१९९४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर राज्य जम्मू से १५० मील दूर केस्थवाड़ में चिनाब के तट के निकट ८००० फीट ऊंचे पहाड़ पर एक दरार आ गयी है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढक जाने वाले क्षेत्रों में चुनाव

†१९९५. **श्री हेमराज** : क्या **विधि** मंत्री ६ सितम्बर, १९६० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के उत्तर के दौरान १ अप्रैल, १९६० को विधि मंत्री द्वारा दिये गये इस आश्वासन पर कि पजाब तथा हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढक जाने वाले क्षेत्रों में सामान्य चुनाव जल्दी ही किये जायेंगे, अग्रेतर क्या प्रगति हुई है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: चुनाव आयोग इस बात की संभावनाओं पर विचार कर रहा है कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढक जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में पिछले सामान्य चुनावों से पहले अर्थात् मई १९६२ के प्रथम सप्ताह में या उस अवधि तक मतदान हो जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में अशोधित तेल के निक्षेप

†१६६६. **श्री प्र० च० बरुआ** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में हाल ही में नाहरकाटिया, हुगरीजन और मोरान के जो वाणिज्यिक निक्षेप मिले हैं उनसे ३०० लाख टन अशोधित तेल प्राप्त होगा ; और

(ख) नाहरकाटिया और मोरान में अब तक कितने गहरे कुएं खोदे गये हैं और कितने सफल रहे हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) मैसर्स डी गोलयर ऐंड मैकनौटन द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार आयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्षेत्रों में १-७-१९६० को अशोधित तेल के अनुमानित निक्षेप इस प्रकार हैं :--

(१) शुद्ध प्रमाणित निक्षेप---१९६,०६२,००० इम्मीरिपल बैरल (लगभग २६७ लाख टन) ।

(२) शुद्ध संकेतित निक्षेप---८२,८८३,००० इम्पीरियल बैरल (लगभग १२५.६ लाख टन) ।

(ख) अब तक खोदे गये ८६ कूओं में से ७८ कूए सफल रहे हैं। ६ का अभी अग्रेतर परीक्षण हो रहा है और १२ सूखे हैं ।

हिमाचल प्रदेश में स्त्रियों का अपहरण

†१६६७. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के सिरमूर जिला पयोन्टा तहसील के डून क्षेत्र में पिछले लगभग छः महीनों में स्त्रियों के अपहरण के लगभग दो दर्जन मामले हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ठीक कितने मामले हुए हैं और किन-२ तिथियों को प्रत्येक मामला हुआ ; और

(ग) यदि कोई स्त्री वापिस लाई गई है और उसके घर वापिस भेज दी गई है, तो उनकी संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). जी नहीं, पिछले छः महीनों में ३ मामलों की सूचना मिली है, जिनमें ४ स्त्रियां अन्तर्ग्रस्त हैं। ये घटनायें १०/११ सितम्बर, १९६० और ४/५ तथा ५/६ अक्तूबर, १९६० की रात्रियों में हुई हैं।

(ग) तीन ।

तम्बाकू की अनधिकृत खेती

†१६६८. **श्री राम गरीब** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले छः महीनों में गुरदासपुर और कांगड़ा जिलों में तम्बाकू की अवैध खेती के कुछ मामले मालूम किये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अपराधियों को क्या जुर्माने किये गये हैं और क्या पहले से पकड़े गये अपराधियों को दंड भी दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या दंड दिये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों, १९४४ के नियम १५ के उल्लंघन में, तम्बाकू की अनधिकृत खेती के पांच मामले १–६–६० से ३०–११–६० तक गुरदासपुर और कांगड़ा जिलों में दर्ज हुए हैं।

(ख) और (ग). इन मामलों में ८१ रुपये तक जुर्माने किये गये हैं। और कोई दंड नहीं दिया गया।

विदेशी मुद्रा की आवश्यकता

†१६९९. **श्री क० उ० परमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आखिरी वर्ष के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ; और

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) इस वर्ष विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा के अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आखिरी वर्ष के लिये अनुमानतः १७० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये (संयुक्त राज्य अमेरिका पी० एल० ४८० करार के अन्तर्गत खाद्यान्नों के आयात के अलावा तथा अब तक प्राप्त की गई विदेशी सहायता को हिसाब में न लगाते हुए) अनुमानतः २,६०० करोड़ की कुल विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी जैसा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के अध्याय ४ के पैरा ३७ और ३८ में दिखाया गया है।

स्क्रैप (टूटी फूटी रद्दी धातु) का निर्यात

†१७००. **श्री क० उ० परमार** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, १९५७, १९५८, १९५९ और १९६० में अब तक कितना स्क्रैप (टूटी फूटी रद्दी धातु) बाहर भेजा गया ; और

(ख) निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क)

१९५७	९२,९४४ लांग टन
१९५८	१,१६,६१५ लांग टन
१९५९	२,९०,१२५ लांग टन
१९६० (अक्तूबर तक)	२,७३,५७१ मीट्रिक टन

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार ऐसे स्क्रैप का निर्यात बढ़ाने के लिये पहले ही कोशिश कर रही है जिसका देश में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि श्री सी० सी० बिस्वास का कलकत्ता में १० दिसम्बर, १९६० को देहान्त हो गया । उनकी आयु ७२ वर्ष की थी ।

श्री बिस्वास भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा और अन्तर्कालीन संसद् के सदस्य रह चुके थे । वे १९५०-५२ में वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा १९५२-५७ में विधि एवं अल्प संख्यक कार्य मंत्री भी रहे थे ।

हमें उनकी मृत्यु का हार्दिक दुख है, मैं उनके शोक संतप्त परिवार को सभा की ओर से हार्दिक समवेदना प्रेषित करता हूं । सदस्यगण दिवंगत के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये एक मिनट तक मौन खड़े हों ।

इसके पश्चात् सभासद एक मिनट के लिये मौन खड़े हुये ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

जीवन बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: मैं जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २९ के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे सहित सभा पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये** । एल० टी० संख्या २५२१/६०] ।

विशेषाधिकार समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं विशेषाधिकार समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

लोक लेखा समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री बर्मन** (कूच-बिहार रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं विनियोग लेखे (असैनिक), १९५८-५९ में पता चलने वाले स्वीकृत अनुदानों तथा भारित विनियोगों से अधिक व्यय के बारे में लोक लेखा समिति (१९६०-६१) का बत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

श्री ए० के० चन्दा की वित्त आयोग के सभापति के पद पर नियुक्ति

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री त० ब० विट्ठल राव की ओर से अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचना आई है । श्री स० मो० बनर्जी और श्री तंगामणि ने भी उक्त विषय पर सूचनायें दी हैं । श्री त० ब० विट्ठल राव की अनुपस्थिति में मैं ने उनको यह विषय प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

> "भूतपूर्व नियंत्रक—महालेखा परीक्षक श्री ए० के० चन्दा को वित्त आयोग का सभापति नियुक्त करना ।"

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : भूतपूर्व नियंत्रक—महालेखा परीक्षक श्री ए० के० चन्दा को तीसरे वित्त आयोग का सभापति नियुक्त करने के बारे में श्री त० ब० विट्ठल राव द्वारा उठाये गये विषय के सम्बन्ध में मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं ।

यह कहा गया है कि वित्त आयोग के सभापति के पद पर श्री चन्दा की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद १४८ के खंड (४) की भावना और शब्दों के प्रतिकूल है । इस अनुच्छेद के अधीन नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद से मुक्त होने के पश्चात् भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार के अधीन, नियुक्ति के लिये अपात्र हो जायेगा ।

मैं पहिले ही यह उल्लेख कर देना चाहता हूं कि आयोग के सभापति के पद पर उनकी नियुक्ति के लिये राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त करने के पूर्व इस प्रश्न पर कि क्या इससे संविधान के अनुच्छेद १४८ के खंड (४) के उपबन्धों का उल्लंघन होगा, विधि मंत्री के परामर्श से अत्यन्त सावधानी से विचार कर लिया गया था ।

सभा को ज्ञात है कि वित्त आयोग का संगठन संविधान के अनुच्छेद २८० के खंड (१) के अधीन किया गया है । इस आयोग का कर्तव्य अनुच्छेद २८० के खंड (३) में उल्लिखित मामलों पर सिफारिश करना है । जैसा कि अनुच्छेद २८० के खंड (२) और (४) में दिया गया है, आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिये आवश्यक अर्हतायें, वह रीति जिसके अनुसार उनको चुना जायेगा, आयोग द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया, तथा अपने कृत्यों के पालन के लिये आवश्यक शक्तियों का निश्चय, संसद् की विधि द्वारा किया जायेगा । तदनुसार संसद् ने वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) अधिनियम, १९५१ अधिनियमित किया ।

इस प्रकार वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो कि अपने कृत्यों के सम्बन्ध में संविधान द्वारा तथा अन्य मामलों में संसद् की विधि द्वारा विनियमित होती है । सरकार का उसके कार्यों पर, विशेषतः आयोग के सभापति तथा सदस्यों के ऊपर उनके कृत्यों के पालन में कोई नियंत्रण नहीं है । उक्त स्थितियों में आयोग के सभापतित्व अथवा उसकी सदस्यता को

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत सरकार के अधीन पद नहीं माना जा सकता है । इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद १४८ खंड (४) के अधीन वित्त आयोग के सभापतित्व के रूप में श्री चन्दा की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं लगती है ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी उल्लेख कर देना चाहता हूं कि यह अनर्हता सरकार के अधीन वेतन वाले पदों पर ही लागू होती है । श्री चन्दा को जो कि आयोग के आंशिक समय काम करने वाले सभापति नियुक्ति हुए हैं, कोई वेतन नहीं मिलेगा ।

सभा को स्मरण होगा कि १९५६ में भारत सरकार ने एक भूतपूर्व नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक श्री वी० नरहरि राव को, भारत के महाअधिवक्ता से परामर्श लेने के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया था । महाअधिवक्ता ने यह सलाह दी थी कि यद्यपि यह नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जा रही है, तथापि इसे संविधान के अनुच्छेद १४८ के खंड (४) के अन्तर्गत भारत सरकार के अधीन नियुक्ति नहीं कहा जा सकता है । वित्त आयोग के सभापति के रूप में श्री चन्दा की नियुक्ति भी ठीक इसी प्रकार की है ।

तारांकित प्रश्न संख्या २६९ के उत्तर की शुद्धि

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : २१ नवम्बर, १९६० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६९ से उत्पन्न एक अनुपूरक प्रश्न में डा० विजय आनन्द यह जानना चाहते थे कि क्या सरकार खेलों में सुधार करने के प्रश्न की जांच करने के लिये लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने को तैयार है ?

इसके उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री ने यह कहा था कि जिस समिति का उल्लेख किया गया है और जो समिति नियुक्ति की गयी है उसमें संसद् के दो सदस्य मौजूद हैं ।

वस्तुस्थिति यह है कि अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् द्वारा नियुक्त समिति में जो कि अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भारत के भाग लेने, विशेष रूप से रोम ओलम्पिक के बारे में उल्लेख करते हुए स्थिति का पुनरीक्षण करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियुक्त की गयी है, केवल एक संसद् सदस्य, श्री जयपाल सिंह हैं । श्री जयपाल सिंह उस समिति के समायोजक भी हैं ।

कांगो की स्थिति के बारे में वक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : क्या पहले मैं सिलचर की घटनाओं के बारे में बताऊं या कांगो के बारे में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों के बारे में ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आपने कहा था कि मुझे पहले कांगो की स्थिति के बारे में कुछ कहना होगा। अब सिलचर का प्रश्न भी उठाया गया है। अतः पहले किस सम्बन्ध में वक्तव्य दूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहला प्रश्न कांगो के बारे में है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां। पिछले वक्तव्यों में, मैं कांगो की स्थिति के बारे में कुछ न कुछ बताता रहा हूं; सुरक्षा परिषद में अब भी इसी स्थिति पर विचार हो रहा है और आशा है कि माननीय सदस्य उन सब बातों को पढ़ ही रहे होंगे। कांगो की असाधारण स्थिति के कारण हमें सदा चिन्ता बनी रहती है। आरम्भ में पृष्ठभूमि बताने के उद्देश्य से मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांगो एक दृष्टि से बड़ा धनवान देश है क्योंकि वहां पर हीरों आदि की खानें हैं। यह नहीं समझना चाहिये कि यह पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां कोई संसाधन नहीं है। एक तरह से खनिजों के प्राचुर्य के कारण यह देश सारे अफरीका महाद्वीप में समृद्धतम देश है। इसमें शक नहीं कि इस देश की बहुत सी दौलत वे लोग ले जा चुके हैं जिन का इस पर कब्जा था। कांगों के बड़े नगरों में बड़ी बड़ी सड़कें शानदार कार्यालय, ठाठ बाठ वाले होटल इत्यादि हैं।

इसके बावजूद यह बात भी ठीक ही है कि जब बेल्जियम वासी कांगों को छोड़ कर गये उस समय कांगो जैसे बड़े देश में जो, भारत के आधे क्षेत्र जितना तो है ही, एक दर्जन से अधिक ग्रेजुएट नहीं थे। बेल्जियम वालों ने केवल प्रारंभिक शिक्षा का उपक्रम ही वहां पर किया था। इस कारण वहां पर आरंभिक शिक्षा प्राप्त लोग तो काफी थे; आरंभिक शिक्षा दे कर आगे की शिक्षा रोक दी जाय, यह बात कुछ जानी बूझी नीति के आधार पर ही की गयी थी। शासकों की यह नीति थी कि वहां के लोगों को एक स्तर विशेष से आगे शिक्षा प्राप्त ही न करने दी जाय। इसलिये प्राइमरी शिक्षा के बाद वहां शिक्षा का अभाव था।

चिकित्सा सम्बन्धी सेवायें भी वहां पर अच्छी थीं; सैकड़ों डाक्टर थे। ८०० बेल्जियम डाक्टर थे। कांगों वासियों को डाक्टर बनने की शिक्षा ही न दी जाती थी: इसी तरह, तार डाक आदि कामों की दशा थी। प्राइमरी पाठशालायें तो वहां पर अनेक थीं परन्तु एक भी कांगो वासी अध्यापक न था; सारे अध्यापक बेल्जियन थे। इस प्रकार इस बड़े देश में विकास का क्रम तो जारी था परन्तु इस रीति से सारा काम हो रहा था जिससे कि कांगो वासियों को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त न था। परन्तु साथ ही यह बात जरूर कही जा सकती है कि आरंभिक शिक्षा भविष्य के लिये आधार बन गयी।

मैं यह चीज भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांगो वासी आद्य अथवा आदिम जातियों के से लोग नहीं हैं; वे अवसर पाकर सीख जाने वाले लोग हैं। वस्तुतः वहां के कुछ लड़के जो भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहते थे अन्य देशों के विद्यार्थियों की अपेक्षा होशियार पाये गये। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि वे लोग आद्य जातियों के समान हैं वरन् कांगो वासी पुरुषार्थी और उद्योगी लोग हैं जो अवसर मिलने पर बहुत कुछ सीख सकने हैं; शासकों ने जान बूझ कर एक स्तर विशेष से आगे उन्हें बढ़ने नहीं दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि बेल्जियम वालों ने देश को किस तरह से छोड़ा। जाने से कुछ सप्ताह या महीने पूर्व उन्होंने वहां का सारा सोना बेल्जियम भिजवा दिया। वहां धन भी काफी था ; क्योंकि कांगो धनवान देश है, इस अर्थ में नहीं कि वहां की जनता सम्पन्न है बल्कि इस कारण कि वहां के संसाधन अत्यधिक हैं। वहां बड़ी बड़ी खान कम्पनियां हैं जिन्हें बेल्जियम के लोग ही चलाते थे।

तो, बेल्जियम वासी चले गये और पहले पहल कांगो के सैनिकों में कुछ गड़बड़ हुई। उन्हें वेतन नहीं मिलता था या जो कुछ बात थी परन्तु इस चीज का काफी प्रचार किया गया कि कांगों के सैनिक विद्रोह कर उठे हैं और उन्होंने अपने अधिकारियों की हत्या करके लूटमार मचा रखी है और बलात्कार शुरू किये हैं। इस सम्बन्ध में काफी ज्यादा अतिश्योक्तिपूर्ण प्रचार हुआ। वस्तुतः लियोपोल्ड विल्लु स्टैनलेविल्ल आदि शहरों में कुछ ज्यादा हानि न हुई थी। चाहे उन्होंने कुछ भी कारणों से विद्रोह किया हो परन्तु जो हानि व्यक्तियों को पहुंची वह निस्संदेह शोचनीय थी किन्तु ज्यादा न थी। बाद में हमारे अपने लोगों से जो कांगो की सेना ने किया वह भी सभा को ज्ञात है।

बेल्जियम वासियों के कांगो को छोड़ते समय वहां खजाने में एक पैसा तक न था ; वे सब धन ले गये थे। प्रशासनिक कार्य चलाने वाला भी कोई न रहा ; कुछ छोटे क्लर्क रह गये थे। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक भी न रहे। कांगो जैसे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बड़ा महत्व है। अगर रोक थाम न की जाये तो वहां पर अनेक रोग और प्लेग जैसी महामारियां जल्दी ही फैल जाती हैं। पहले हस्पताल थे, डाक्टर थे परन्तु अब कुछ भी न रह गया। संचार व्यवस्था टूट गयी। हालत एक दम बिगड़ गयी।

बेल्जियम सरकार ने अपने देश के संविधान के अनुसार वहां पर एक संविधान लागू किया था और उसी के आधार पर वहां चुनाव हुए थे। निर्वाचित संसद ने श्री कसावुबु को राष्ट्रपति तथा श्री लुमुम्बा को प्रधान मंत्री बनाया और एक सरकार बनाई गई। किन्तु कुछ समय बाद दोनों की न बनी। और एक वक्त आया जब राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री को और प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति को बर्खास्त कर दिया। जहां तक हम उनके संविधान को समझ पाये हैं, हम तो यही समझते हैं कि इस प्रकार की कार्यवाहियां वैध न थीं। संसद् की मंजूरी के बिना यह सब काम अवैध था।

संसद् की बैठक भी हुई और दोनों की पदच्युति को मानने से इन्कार कर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति कासावुवु तथा प्रधान मंत्री श्री लुमुम्बा दोनों की नियुक्तियों की पुष्टि की। किन्तु इस बीच और कठिनाइयां आईं और दोनों मिलकर काम न चला सके। इस के बाद कर्नल मोबुटू मैदान में आ गया। उसे श्री लुमुम्बा ने सेनापति नियुक्त किया था। किन्तु उसने वहां के प्रशासन को ही अपने यानी सेना के हाथ में लेना चाहा। उसने घोषणा की कि वह संसद् को समवेत न होने देगा और सारा काम सेना से ही चलायेगा।

इस बीच में वहां के राष्ट्रपति श्री कासावुवु एक नया प्रधान मंत्री नियुक्त कर चुके थे जिन का नाम था श्री इल्यू। इस कारण वहां पर द्विविधा की स्थिति उत्पन्न हो गयी और उस स्थिति में हमारे सामने थी एक संसद् जो समवेत नहीं हो सकती थी क्योंकि सैनिक उसे चारों ओर से घेरे हुए थे, और इसके अलावा वहां पर थे राष्ट्रपति कासावुवु जिन्हें संसद् ने ही नियुक्त किया था ; उनके अलावा श्री लुमुम्बा भी थे जो कुछ लोगों के अनुसार प्रधान मंत्री थे परन्तु जिन्हें एक तरह से नजरबन्द सा कर दिया गया था। इसी प्रकार वहां पर नये प्रधान मंत्री

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

श्री इल्यू भी थे जिन्होंने एक भी दिन अपने पद का काम नहीं किया था और इन सब के साथ ही वहां पर थे कर्नल मोबुटू जो बलपूर्वक सैनिकों की सहायता से आगे बढ़े क्योंकि लियोपोल्डबिल की कुछ सेना उनकी समर्थक थी। अब यह देखिये कि यह सेना भी अनुशासनवद्ध न थी। आसपास की अफरीकी बस्तियों में ये लोग मनमाने अत्याचार करते फिरते थे। आम तौर पर यह सैनिक निर्धन अफरीकियों पर ही अत्याचार करते थे परन्तु उसकी ज्यादा सुध न ली जाती थी परन्तु जब कभी यही लोग, यूरोपवासियों आदि पर अत्याचार करते थे तो शोर मच जाता था। अतः इस प्रकार यह स्थिति विचित्र सी बन गयी थी।

किन्तु हमारे सामने वहां दो ही वैध पार्श्व थे, एक तो वहां की संसद् थी और दूसरे संसद् द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति कासावुबु। यों तो प्रधान मंत्री लुमुम्बा भी संसद् द्वारा ही नियुक्त किये गये थे। लेकिन बाद में जो हालात हुए उनसे यही स्थिति सामने आई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि अकेला राष्ट्रपति ही पूर्ण सरकार बना सकता था। हम उसके कृत्यों को मान्यता देते थे परन्तु कुछ सीमाओं तक चाहे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो या प्रधान मंत्री, उनकी कुछ सीमायें होती हैं और वे तानाशाही से काम नहीं चला सकते। इसी कारण हमने शुरू से ही यह सुझाव दिया है कि इस पारस्परिक कलह का निवारण केवल मात्र संसद् के समवेत होने से ही हो सकता है। वे आपस में लड़े झगड़े इसमें कोई बात नहीं परन्तु उन्हें ऐसा निर्णय करना होगा जिसकी वैध मान्यता हो और जो अधिकांश लोगों के लिए स्वीकार्य हो। किन्तु सब से विचित्र बात यह है कि उन्होंने संसद् को पुनः समवेत नहीं होने दिया क्योंकि कर्नल मोबुटू इसे कोई मान्यता ही नहीं देते। इससे भी विचित्र बात यह है कि कुछ लोग और देश कर्नल मोबुटू को इस तरह चलने के लिए बढ़ावा दिये चले जा रहे हैं। यह विचार स्पष्टतया कुछ बड़े देशों को पसंद नहीं आया और बेल्जियम वालों को तो बिल्कुल ही अच्छा न लगा।

अब मैं सभा का ध्यान संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि श्री राजेश्वरदयाल के दूसरे प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहूंगा। यह रिपोर्ट वस्तुनिष्ठ है और इसका अध्ययन करना आवश्यक है। उस प्रतिवेदन में बताया गया है कि कांग की राष्ट्रीय सेना काफी समय से बुरा व्यवहार करती चली आ रही है; कोई इस पर काबू नहीं रख सकता; यहां तक कि कर्नल मोबुटू भी इस पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर कोई भी केन्द्रीय प्राधिकारी नहीं जो स्थिति पर काबू पाये; वहां तो हर वह व्यक्ति जिसके पास थोड़ी भी ताकत हो मनमानी कार्यवाही करने लग जाता है। उसमें यह भी कहा गया है कि अब बेल्जियम वाले काफी बड़ी संख्या में वापस लौटे चले आ रहे हैं। बेल्जियम के कई एक संगठन उन्हें भर्ती कर कर के वापस भेज रहे हैं। वहां की सरकार अपने को असमर्थ कहती है क्योंकि उनके अनुसार ऐसा काम गैर सरकारी लोग कर रहे हैं। किन्तु इस प्रकार के बहाने पर विश्वास नहीं किया जा सकता, विशेषकर जबकि बेल्जियमवासी अधिकाधिक संख्या में लौटते चले आ रहे हैं।

इसके अलावा इस प्रतिवेदन से इस बात का भी ज्ञान होता है कि वहां संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायता कार्यों, प्रशासनिक कार्यों तथा अन्य कार्यों में बेल्जियम ही रुकावटें पैदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि कर्नल मोबुटू ने कुछ विद्यार्थियों को कमिश्नर लगा दिया है और यह विद्यार्थी वहां का कुछ प्रशासन कार्य चला रहे हैं। इन लोगों के सलाहकार बेल्जियन ही हैं। कमिश्नरों के अध्यापक ही जो पहले कभी इन्हें पढ़ाया करते थे अब प्रशासनिक मामलों में इनको सलाह देते हैं। कटंगा प्रांत में प्रधान मंत्री श्री टशोम्बे तो बेल्जियन परामर्शदाताओं से

पूरी तरह घिरे हुए हैं। इस प्रकार बेल्जियम वासी वहां पर अनेक हैसियतों से काम कर रहे हैं। कर्नल मोबूटू का आयुक्त "कालेज आफ कमिश्नर्स" भी बेल्जियम वासियों से भरपूर हैं और वही लोग इन्हें परामर्श देते हैं। इस चीज की ओर ध्यान दिलाकर श्री दयाल ने यह सुझाव दिया है कि बेल्जियिनों की रोक थाम का कोई उपाय किया जाना चाहिए। उन्होंने यही कहा है कि इस प्रकार समझौते में रुकावटें पैदा होती हैं।

किन्तु इनके बाद एक चीज और हो चुकी है। वहां पर संयुक्त राष्ट्र का दल औपचारिक रूप से इनमें से किसी को मान्यता नहीं देता। वे केवल श्री कासाबुबु को मान्यता देता है किन्तु "कालेज आफ कमिश्नर्स" आदि को वे वैध नहीं मानते। वे इनसे व्यवहार तो करते हैं परन्तु औपचारिक मान्यता नहीं देते। इस बीच श्री लुमुम्बा को एक प्रकार से दो दलों द्वारा नजर बन्द कर दिया गया, एक राष्ट्र संघीय दल और दूसरा कांगो की सेना का दल जो उन्हें गिरफ्तार करना चाहता था।

तब श्री कासावुबु न्यूयार्क गये ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ में उनका शिष्टमंडल अपना स्थान ग्रहण करे और बहुमत से उन्हें वह स्थान प्राप्त हो गया। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, कांगो में श्री कासावुबु तथा कर्नल मोबूटू के हाथ——जिनका वह बाद में समर्थन करने लगे——और भी मजबूत हो गये।

उसके बाद कांगो में अनेक घटनायें घटीं। कर्नल मोबूटू ने अनेक देशों के प्रतिनिधियों को वहां से निकाल दिया। कुछ को निकाला गया और कुछ ने वहां से अपने लोग वापस बुला लिये क्योंकि उनका अपमान वहां पर किया जाता था। वहां पर भारतीय अधिकारियों की मारपीट आदि भी हुई और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया।

हमने वहां पर युद्ध करने वाले सैनिक नहीं भेजे। हमारे ८०० आदमी वहां पर हैं। उनमें से अधिकांश चिकित्सा संबंधी सेवाओं से सम्बद्ध हैं और शेष परिवहन, सिगनलिंग तथा संभरण से।

वे इस प्रकार के शस्त्रों से लैस नहीं हैं जैसे कि लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों के पास होते हैं। यह बात अलग है कि अपने छोटे तरीके पर उनके पास पिस्तौल आदि होते हैं।

इस बीच में हालात और भी ज्यादा खराब हो गये हैं। हालांकि राष्ट्र संघ ने कासावुबु का अधिकार कांगो में मान लिया ताकि वह हालात ठीक कर सकें, परन्तु इसके बावजूद भी स्थिति पहले से भी अधिक खराब हो गयी है। वैध रूप से भी इसे ठीक प्रकार से समझा नहीं जा सकता। लियोपोल्डविले और कुछ अन्य स्थानों में कर्नल मोबूटू की सेनाओं का नियंत्रण है। किन्तु ओरियंटेल का प्रांत जहां पर स्टैनलेविल का नगर स्थित है, उनके कब्जे से बाहर है। कटंगा अपनी स्वतंत्रता का दावा करता है। कसाई भी जुदा होना चाहता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन परिस्थितियों में बेल्जियम वासी इसी तरह की फूट की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। यह भी कहा गया है कि कटंगा आदि स्थानों में उन्होंने काफी शस्त्रास्त्र एकत्रित किये हैं और वही लोग वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ के काम में वाधा उपस्थित कर रहे हैं।

सुरक्षा परिषद ने इस मामले पर अनेक बार सोचा है और अब भी सोच रही है। परिषद ने इस बात पर काफी जोर दिया है कि कांगो की अखंडता बनी रहनी चाहिये और बेल्जियनों को, सेना में काम करने वाले बेल्जियनों को चले जाना चाहिये। बताया गया था कि एक वक्त सारे बेल्जियन सैनिक वहां से चले गये थे और केवल ६०० के करीब लोग एक जगह रह गये थे। किन्तु उसके बाद पुनः बेल्जियन वापस आने लगे और अब शायद उनकी संख्या २० या २५ हजार होगी। कहा जाता है कि टेकनिशियन आदि के रूप में हजारों सैनिक लौट रहे हैं। इस कारण अब यह प्रश्न उठा है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सभा इस बात को जानती है कि श्री लुमुम्बा, भाग गये थे किन्तु फिर गिरफ्तार कर लिये गये और उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया —मारा पीटा गया जिससे उन्हें चोट आई । पहले तो नजरबन्द श्री लुमुम्बा से राष्ट्र संघ के लोग भी नहीं मिल सकते थे, हमारे पास खबरें आई थीं कि उनके साथ कांगो के सैनिकों ने अमानुषिक व्यवहार किया है । यह चीज बड़ी विचित्र है और इससे वहां राष्ट्र संघीय शिष्टमंडल के स्तर का ज्ञान होता है । वहां पर किसी डाक्टर तक को जाकर श्री लुमुम्बा को देखने की इजाजत न दी गयी, जो प्रधान मंत्री थे या रह चुके थे । यह हालत है वहां की । इससे पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र दल का प्राधिकार वहां पर अपने ही निर्णय के कारण या अन्य कारणवश कितना सीमित था । बाद में श्री कासावुबु ने एक डाक्टर को उन्हें मिलने की इजाजत दी । किन्तु उन्होंने यह भी कहा कि डाक्टर उस देश का हो जिसका वह अनुमोदन करें । राष्ट्र संघ को तो इतना भी अधिकार नहीं है । शायद उन्होंने कहा है कि उनको स्विस डाक्टर के जाने पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु कह नहीं सकते कि वह वहां गया है अथवा नहीं ।

इस समय कांगो में कोई प्रभावपूर्ण सरकार काम नहीं कर रही है । जो भी सरकार है उसका क्षेत्र बड़ा ही सीमित है । वहां की सेना ने राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया है । सलाहकारों की हैसियत से बेल्जियन ही सब तरफ हैं और सारा काम करवा रहे हैं । मोटे तौर पर बेल्जियमवासी ही वहां पर राष्ट्र संघीय सहायता नहीं आने देते हैं या कहिये उसका विरोध करते हैं कालेज आफ कमिश्नर्स को वे ही सलाह देते हैं । इस प्रकार वे लोग उन्हीं के हाथों में खेल रहे हैं । कुछ देशों ने तो अपने सैनिक दलों को वहां से वापस बुला लिया है और कुछ के प्रतिनिधि ों को इन लोगों ने भेज दिया है । विदेशियों को वहां पर काफी खतरा है । थोड़ी बहुत अनबन के बाद राष्ट्रपति कासावुबु ने कर्नल मोबूटू को मान्यता प्रदान कर दी है,इस तरह से उन्हें भी विधि का आवरण प्राप्त हो गया है । किन्तु वस्तुतः कर्नल मोबूटू ने अवैध तरीके से अधिकार छीने हैं अब यह बात अलग है कि क्या बाद में इनको विधि का आवरण पहनाया जा सकता है या नहीं । किन्तु इस सारे ढांचे में दो चीजें वैध हैं, एक तो राष्ट्रपति और दूसरे संसद् । संसद् को तो मिलने की आज्ञा ही नहीं दी जा रही और अब यूं समझिये कि जो कुछ हैं वे राष्ट्रपति हैं लेकिन उनके पास कोई ताकत नहीं और उन्हें कर्नल मोबुटू के द्वारा ही काम करना पड़ता है । विधि की व्यवस्था की हालत वहां पर काफी समय से उत्तरोत्तर खराब होती जा रही है । विधि और व्यवस्था सामान्य रूप से वही सरकार स्थापित कर सकती है जो स्वयं विधिवत बनी हुई हो ।

इस प्रकार स्थिति बहुत असाधारण है । वैसे यह कहना तो सरल है कि वहां यह काम किया जाय या वह चीज की जाय परन्तु करना कठिन है । वहां पर हमारा हुक्म नहीं चलता कि हम कुछ कर लेंगे । राष्ट्र संघ के लिये भी यह स्थिति बड़ी कठिन है क्योंकि या वह फिर जंग करने लग जाय या फिर कोई और तरीका निकाले ।

जहां तक विधि तथा व्यवस्था के प्रश्न से भिन्न दूसरी चीजों का प्रश्न है, कांगो में उनके बारे में काफी कुछ किया गया है । उदाहरणतः स्वास्थ्य संबंधी काम कठिनाइयों के बावजद भी खासे अच्छे ढंग से राष्ट्र संघ के अन्य अंगों जैसे विश्व स्वास्थ्य संघ ने पूरा किया है । किन्तु अफसोस की बात तो यह है कि सारा कांगो टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा है और हालत बिगड़ रही है तथा राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर सकता और उसके सामने ही आपत्तिजनक चीजें होती जा रही हैं । उन्होंने दखल न देने की ीति अपना ली है । उनके सामने यदि कोई अपराध भी होता है तो भी वे नहीं बोलते । किन्तु कुछ जगहों पर उन्होंने हस्तक्षेप किया है, उदाहरणस्वरूप उन्होंने अभी स्टैनलेविले में हस्तक्षेप किया जहां पर जनता ने यह धमकी दी थी कि यदि श्री लुमम्बा को रिहा न किया गया तो वहां वे बेल्जियमवासियों

के सिर काट देंगे । यह चीज गलत है। राष्ट्र संघ का वहां हस्तक्षेप करना उचित था परन्तु अन्य मामलों में अर्थात् सुरक्षा आदि के मामलों में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया । उन्होंने श्री लुमुम्बा के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है । वहां पर राष्ट्रपति का वैध अधिकार है और उसी के सहारे कर्नल मोबुटू तथा उनकी सेना भी वैध बन गयी है। इस कारण राष्ट्र संघ के लिये यह बड़ी कमजोर और प्रभावहीन सी स्थिति है ।

इसके अतिरिक्त कांगों में भी इन चीजों से लोग क्रुद्ध हैं। कमिश्नरों के काम से जनता नाखुश है । बहुत से एशिया और अफ्रीका के देश भी अप्रसन्न हैं और उन्होंने वहां से अपने प्रतिनिधि भी वापस बुलवा लिये हैं । इससे वहां पर राष्ट्रसंघ की स्थिति और भी कमजोर हो गयी है।

अब हम उन्हें क्या और कैसी सलाह दे सकते हैं ? राष्ट्र संघ में बोलते हुये भी मैंने वहां पर दो तीन चीजें रखी थीं--बुनियादी चीजें थीं वे । पहली तो यह थी कि हम यह नहीं चाहते कि कोई बाहरी देश वहां हस्तक्षेप करे । बड़े देश शासकों के समान व्यवहार करने लगते हैं। मैं नहीं चाहता कि राष्ट्र संघ स्वयं ऐसा व्यवहार करे । इस कारण हम यही चाहते हैं कि संसद् की बैठक हो। राष्ट्र संघ का यह कर्त्तव्य था कि वह ऐसी संसद् की बैठक होने की सुविधायें पैदा करता । यदि वह इतना भी नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते हैं ।

दूसरी चीज यह है कि बेल्जियम वासियों को वहां से चले जाना चाहिये । शायद कुछ लोग वहां ठीक काम भी कर रहे हों परन्तु उनके वहां पर रहने से खतरा ही बना रहेगा और वास्तव में वे संयुक्त राष्ट्र के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं ।

तीसरे संसद् के समवेत होने तथा अन्य बातों के लिये राजनैतिक बंदियों, श्री लुमुम्बा आदि को रिहा किया जाय और उन्हें संसद् में जाने तथा उनके वहां पर शांति से रहने के लिये पूरी व्यवस्था की जाय जो राष्ट्र संघ द्वारा हो ।

किन्तु विचित्र बात तो यह है कि श्री राजेश्वर दयाल के दूसरे प्रतिवेदन पर अभी तक वहां पर विचार ही नहीं किया गया है । देखिये, राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि की वस्तुविष्ठ रिपोर्ट वहां पर जाती है और सुरक्षा परिषद् इस पर विचार भी नहीं करती । शायद उन्ह वे निष्कर्ष पसन्द नहीं आये जो प्रतिनिधि ने निकाले हैं । यह असाधारण सी चीज है । सब से बड़ा निष्कर्ष यही तो है कि बेल्जियन वहां वापस आ गये हैं और उन्हीं के कारण झगड़ा है । वस्तुतः यह साम्राज्य स्थापित करने का नया ढंग ही है । निस्सन्देह वे लोग सफल तो नहीं हो सकते किन्तु इससे कांगो में दंगे फिसाद तथा गृह युद्ध होते ही रहेंगे ।

इस समय भी इस मामले पर सुरक्षा परिषद विचार कर रही है और ऐसी स्थिति में मैं ज्यादा विस्तृत सुझाव भी नहीं रखना चाहता । किन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि कांगो की संसद को अवश्य समवेत होना चाहिये और हर सदस्य को वहां आने की सुविधा दी जानी चाहिये । वे भले ही गलतियां करें परन्तु हालात को इस प्रकार छोड़ना ठीक नहीं है । राष्ट्र संघ को भी वहां से नहीं निकलना चाहिये क्योंकि ऐसा करना खतरनाक होगा । यह कहना आसान है कि हम वहां से अपने लोगों को वापस बुलाते हैं परन्तु इसका परिणाम यह होगा कि वहां हालात बिगड़ जायेंगे और गृह युद्ध छिड़ जायेगा । जब एक बड़ी ताकत हस्तक्षेप करेगी तो विरोधी ताकतें भी दखल देंगी और यह सारे खतरे पैदा होंगे । सारे अफ्रीका ही में आग की लपटें जलने लगेंगी । इस समस्या को राष्ट्र संघ की सहायता के बिना हल करने के अलावा दूसरा तरीका नहीं है परन्तु राष्ट्र संघ भी अधिकार प्राप्त करके ही वहां पर अपना काम चला सकता है ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हम वहां से वापस आयें या वहीं रहें इस प्रश्न पर हमने काफी विचार किया है और हम इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि ऐसा न हो कि कहीं हमारे काम से राष्ट्र संघ के काम में कमजोरी आये, इसलिये हमने अभी वहीं रहने का निर्णय किया है। यद्यपि हमने इस समय वहीं रहने का निर्णय किया है, परन्तु भविष्य में यह निर्णय इस बात पर आधारित होगा कि वहां की हालत क्या शक्ल लेती है और वहां हमारे लोगों से कैसा व्यवहार होता है। यदि उनसे अच्छा व्यवहार न किया गया तो हमें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा।

भैरवपुर (सिलचर) में डकैती के संबंध में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** मुझे अब सिलचर-पूर्व पाकिस्तान सीमांत पर भैरवपुर नामक गांव में २८ नवम्बर की रात्रि को हुई घटना के संबंध में और सूचना मिली है। उस रात्रि को लगभग २.३० बजे बन्दूकों तथा अन्य हथियारों से सज्जित १६ डकैतों ने सिलचर सब-डिवीजन के भैरवपुर गांव के, जो भारत-पाकिस्तान सीमांत से लगभग ४ मील दूर स्थित है, ब्रांच पोस्ट आफिस के पोस्ट मास्टर श्री श्याम चरण नाथ के घर में डाका डाला। डकैत दो सोने की चेनें और तीन अन्गूठियां घर में रहने वालों से लूट ले गये। उन्होंने कुछ फायर भी किये जिनसे ४ व्यक्ति घायल हुये, जिनमें से श्रीमती सुनीति बारदेवी की २९ नवम्बर को सिलचर अस्पताल में मृत्यु हो गई। डकैतों ने भैरवपुर के डाकघर को भी लूटा जो श्री श्याम चरण नाथ के निवास स्थान में ही स्थित है परन्तु यह अभी तक पता नहीं चला है कि डाकघर से कुछ नकद भी लूटा गया या नहीं।

आसाम सरकार ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि उन्हें यह सन्देह है कि पाकिस्तान के अपराधियों ने स्थानीय अपराधियों के साथ मिलकर यह डकैती डाली है। उस क्षेत्र में तैनात समस्त ग्राम प्रतिरक्षा अधिकारियों को सचेत कर दिया गया है, सीमांत चौकियों की पुलिस बढ़ा दी गई है और गश्त भी बढ़ा दिया गया है।

आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमांत पर जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा की स्थिति के संबंध में हाल में कोई गिरावट नहीं आई है। वर्तमान दुर्घटना के पूर्व सिलचर सीमांत पर डकैती की एक या दो घटनायें हुई हैं। परन्तु सीमांत दुर्घटनाओं की संख्या नगण्य बनी रही है।

†**श्री हेम बरुआ (गौहाटी):** मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस क्षेत्र में इस प्रकार की अनेक दुर्घटनायें हो चुकी हैं। आसाम के उपद्रवों के संबंध में इस क्षेत्र से जो प्रतिरक्षा सेनायें हटा ली गई थीं क्या उन्हें वहां फिर से तैनात नहीं किया गया है? अन्यथा इन दुर्घटनाओं का क्या कारण है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** जैसा कि मैं कह चुका हूं, सीमांत क्षेत्र में बहुत शांति रही है। माननीय सदस्य को संभवतः स्थिति की गलत सूचना मिली है। जहां तक डकैतों का प्रश्न है दुर्भाग्यवश हमारे समाज में केवल सीमांत में ही नहीं वरन् आंतरिक प्रदेश में भी डकैत पाये जाते हैं। इस मामले में हमें यह सूचना मिली है कि यह डकैती पाकिस्तानी डकैतों ने कुछ भारतीयों के साथ मिलकर डाली है।

†**श्री हेम बरुआ:** क्या उन भारतीयों को पहचान लिया गया है क्योंकि इस प्रकार की दुर्घटनायें बहुत समय से होती आ रही हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू: मेरा निवेदन है कि ऐसा बहुत समय से नहीं हो रहा है। डकैतियां होती हैं यह ठीक है परन्तु उनके रोकने के लिये सामान्य तथा असामान्य सभी प्रकार के कदम उठाये जाते हैं ।

समिति के लिये निर्वाचन

भारतीय विज्ञान संस्था परिषद, बंगलौर

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सास्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, भारतीय विज्ञान संस्था बंगलौर के विनियम २, १ और २, १, १ के साथ पठित उक्त संस्था की सम्पत्ति तथा निधि के प्रशासन और प्रबन्ध की योजना के खंड १४(५) के उपबन्धों के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६१ से भारतीय विज्ञान संस्था परिषद बंगलौर के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे यात्री किराया अधिनियम, १९५७ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य रेलवे यात्री भाड़ा अधिनियम, १९५७ की अनुसूचि में उल्लिखित दूरियोंको मील के स्थान में किलोमीटर में करना है । १ अप्रैल, १९६० से रेलवे द्वारा मीट्रिक प्रणाली अपना लिये जाने के कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया है। इससे जनता इस बात से परिचित हो सकेगी कि मीट्रिक इकाई में किस हिसाब से कर लिया जाता है । इस संबंध में बाट तथा माप के प्रमाप अधिनियम, १९५६ के द्वारा प्राप्त प्राधिकार के अनुसार १.६०९३४४ किलोमीटर को एक मील के बराबर मान लिया गया है ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुये]

विभिन्न दूरियों पर लगाये जाने वाले कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । अतः इससे करों की आय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री तंगामणि (मदुरै)** : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मीट्रिक प्रणाली को अपनाने के फलस्वरूप यह विधेयक प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री का ध्यान कुछ प्रश्नों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

रेलवे की आय बढ़ाने के विचार से १९५७ में यात्रियों पर कर लगाया गया था, उस समय तत्संबंधी समिति ने यह निश्चय किया था कि इस कर से औसतन १२.५० करोड़ रुपये की आय होगी, तथापि १९६०-६१ में इस कर से १२.७७ करोड़ रुपये की आय हुई। अब माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि इस परिवर्तन के फलस्वरूप आय में विशेष वृद्धि नहीं होगी, मैं इस संबंध में दो एक उदाहरणों से यह बात सिद्ध करना चाहता हूं कि इस परिवर्तन से रेलवे की आय में और भी वृद्धि होगी। उदाहरणार्थ कानपुर से डाल्टनगंज का किराया इस परिवर्तन के पूर्व १३.१३ नये पैसे था अब यह किराया किलोमीटर में परिवर्तन के पश्चात् १३.४० नये पैसे हो गया है। कई यात्रियों का यह अनुभव है कि जहां इसके पूर्व उन्हें रु०२.१३ देने होते थे वहां अब उन्हें रु०२.१५ देने होते हैं।

मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि वित्त मंत्रालय ने इस विधेयक में जो नीति अपनायी है वह मूल विधेयक के विपरीत है। सरकार ने इसमें आधे से कम किलोमीटर को एक किलोमीटर मान लिया है। इससे रेलवे की आय में वृद्धि होगी तथा जनता को हानि होगी।

रेलवे अभिसमय समिति ने यह निश्चय किया है कि राज्यों को केवल १२.५० करोड़ रुपये दिये जायें जब कि इस कर से आय के बढ़ने की गुंजायश है तथापि यह आय केन्द्रीय सरकार को नहीं मिलेगी अतः इस बात की आवश्यकता है कि इस कर में कमी की जाय।

विधेयक में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना निकाल कर इस कर को एकत्र कर सकती है। यह भी कहा गया है कि इसके एकत्र करने का दायित्व रेलवे पर रहेगा, तथापि लोगों का विचार है कि किलोमीटर के आधार पर यह कर लिया जाने लगा है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

इसके पूर्व १५ मील तक यात्रा करने वालों से कोई कर नहीं लिया जाता था, १५ से ३० मील तक की यात्रा करने वालों से केवल भाड़े का पांच प्रतिशत लिया जाता था, ३१ से ५०० मील वाले यात्रियों से १५ प्रतिशत कर लिया जाता था, इसके स्थान पर २५, ५० और ८०५ किलोमीटर रखे गये हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें किलोमीटर के अर्द्धांशों को पूरा किलोमीटर मान लिया गया है।

मेरा अनुरोध है कि रेलवे मंत्रालय को इन किलोमीटरों पर आधारित इन नयी दरों को लागू करने के पूर्व इन्हें प्रचारित करना चाहिये जिससे कि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न होने पावे।

श्री रामजी वर्मा (देवरिया): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है उसका मकसद यह है कि अब तक जो माइलेज रहा है उसकी जगह पर किलोमीटर कर दिया जाय। जब नाप और तौल के नये पैमाने आ गये हैं तो उसके अनुसार यह जो परिवर्तन किया जा रहा है वह सराहनीय ही है, और उसे होना ही चाहिये। इसके लिये मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहनी है कि जब आप यह चेंज कर रहे हैं तो इस चेंज के साथ साथ एक चेंज और भी करते। मेरा मतलब यह है कि उसे भी अमेंडमेंट के जरिये से करते और वह चेंज था फेअर्स के बारे में। हालांकि आप फेअर्स में कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी मैं सुझाव दूंगा और आशा है कि माननीय मंत्री जी उस पर ध्यान देंगे। इस मुल्क में बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, हालांकि पहले से उनकी तादाद काफी बढ़ गई है। लोगों को सुविधा देने के लिये ताकि वे मुल्क के एक हिस्से से दूसरे में आसानी से आ जा सकें और उनमें राष्ट्रीयता की भावना भी बढ़े, आप फेअर्स में भी

रिडक्शन करें। इसमें आप लोगों को सहूलियत दें ताकि वे सुगमता से ट्रैवल कर सकें, खास तौर पर विद्यार्थियों, प्रोफेसर्स और मास्टरों को। आज कल तो केवल बिजिनेसमैन ही यात्रा का फायदा उठाते हैं और वे एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। मेरा यह निवेदन है कि यदि इस संशोधन के साथ ही साथ आप फेअर्स में भी संशोधन कर दें तो अच्छा हो और इस सुविधा का परपज भी पूरा हो जाय।

जहां तक माइलेज की जगह पर कीलोमीटर आपने रक्खा है, उस पर किसी को भी ऐतराज नहीं है। परन्तु मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी शीघ्र ही नया और अच्छा अमेंडमेंट यहां पर फेअर्स के बारे में लायेंगे।

श्री ब० रा० भगत : बाद में ?

श्री रामजी वर्मा : जी हां।

†**श्री ब० र० भगत** : श्री तंगामणि ने यह कहा है कि इन परिवर्तन तालिकाओं को प्रचारित करना चाहिये। मैं उन से इस बात में सहमत हूं कि इस संबंध में जनता की कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया जाय। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि रेलवे मंत्रालय २५ नवम्बर, १९५९ को अधिसूचना निकाल कर नियमों में कुछ संशोधन करने के पश्चात् १ अप्रैल १९६० से किलोमीटर के आधार पर यह किराया वसूल कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि इस संबंध में रेलवे मंत्रालय आवश्यक प्रचार करेगा।

अब प्रश्न परिवर्तित दरों में केवल ५ प्रतिशत और लेने का रह जाता है। इस संबंध में प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या हम इस बहाने कुछ और राजस्व को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। जब कभी किराया या अन्य क्षेत्रों में जिस में, कर विधियां लागू होती हैं परिवर्तन होता है तो हम उन्हें भी मीट्रिक प्रणाली में बदल देते हैं। यह सिद्धान्त बाट तथा माप के प्रमाप अधिनियम में भी स्वीकार कर लिया गया था। उसमें एक मील १.६०९०० मीटर के बराबर माना गया है। परिवर्तन करने में क्योंकि कई अर्द्धांश आ जाते हैं अतः उन्हें अगला अंक मान लिया जाता है। वस्तुः यह इस उद्देश्य से नहीं किया गया है कि इससे अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। परिवर्तन करने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका यही हो सकता था। इसका दूसरा विकल्प यही था कि इसे पिछले अंक के बराबर मान लिया जाता।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि इससे राजस्व में कोई अंतर नहीं आयेगा। माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या १२.७७ करोड़ रुपया प्राप्त हो सकेंगे। हमारे अनुमान के अनुसार इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं आने पावेगा। संभव है यह १३ करोड़ हो जाय यह एक सामान्य विधेयक है और क्यों कि सभा अन्य कई मामलों में परिवर्तन के इस सिद्धान्त का समर्थन कर चुकी है, अतः मैं आशा करता हूं कि इसे इस विशेष मामले में भी स्वीकार किया जायेगा।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे यात्री किराया अधिनियम १९५७ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे । इस विधेयक पर कोई संशोधन नहीं हैं । प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड १ अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि त्रिपुरा उत्पादन शुल्क अधिनियम का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र में अलकोहल वाले द्रवों, अफीम तथा अन्य नशीली वस्तुओं पर इस समय त्रिपुरा उत्पादन अधिनियम (२) त्रिपुरा संवत १२९९, जो कि ईसवी सन् के अनुसार १८८९ होता है, उत्पादन शुल्क लिया जाता है, यह अधिनियम त्रिपुरा के तत्कालीन राजा द्वारा अधिनियमित किया गया था । यह अधिनियम खाका मात्र है तथा उसमें उत्पादन शुल्क लगाने अथवा उसके संग्रह करने का ब्यौरा नहीं दिया गया है । इससे मुख्य आयुक्त को यह अधिकार भी नहीं दिया गया है कि वह उत्पादन शुल्क के प्रशासन के दौरान आने वाली समस्याओं के संबंध में नियम बना सके । इसलिये इस संबंध में त्रिपुरा के प्रशासन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ।

त्रिपुरा अधिनियम में यह उपबन्ध किया गया है कि इजरा प्रणाली के द्वारा आबकारी महलों को पट्टे पर दिया जाय । इस प्रणाली के द्वारा गैर-कानूनी तरीके से शराब बनाने के लिये काफी गुंजायश रह जाती थी । अतः इसको स्थानीय शासक के शासन के दौरान ही बिना आवश्यक विधि संबंधी परिवर्तन किये हुए ही, केन्द्रीय शराब उत्पादन प्रणाली में बदल दिया गया था । अतः अनियमितताओं का पता लगने पर, जहां कि जमानत जब्त

---

†मूल अंग्रेजी में

हो जानी चाहिये थी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । त्रिपुरा अधिनियम में शोधित स्पिरिट और मिथिलेटेड स्परिट के रखने और उनकी बिक्री के लिये केन्टीनों को लायसेंस देने का भी कोई उपबंध नहीं है । उसमें मादक द्रवों के आयात निर्यात पर कर लगाने तथा उनके भांडागार के संबंध में भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है । इस संबंध में मुख्य आयुक्त भी कोई नियम नहीं बना सकता है ।

अधिनियम की सब से बड़ी कमी यह है कि गैर-कानूनी तरीके से शराब बनाने के लिये उसमें कोई अवरोधक दंड देने की व्यवस्था नहीं की गई है । आबादी के बढ़ने के साथ साथ शराब की खपत में जो वृद्धि परिलक्षित होती है, उसको ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था अपर्याप्त सिद्ध हुई । त्रिपुरा अधिनियम में उत्पादन शुल्क के संग्रह करने और उन्हें लगाने के लिये विधिवत प्रक्रिया भी नहीं दी गयी है, उसमें शराब के कारखानों के संचालन, अपराधों के न्याय निर्णयन और अपील इत्यादि के संबंध में भी कोई व्यवस्था नहीं है ।

इन त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि इस विधि को भी पड़ोसी राज्यों की विधियों के समान किया जाय । इस प्रयोजन के लिये बंगाल उत्पादन अधिनियम १९०९ जो कि इस समय पश्चिम बंगाल में लागू है बहुत उपयुक्त समझा गया । अतः यह विचार किया गया है कि इस अधिनियम को निरसन करके बंगाल उत्पादन अधिनियम १९०९ को संघ क्षेत्र (विधियां) अधिनियम १९५० के अधीन एक अधिसूचना निकाल कर आवश्यक संशोधन कर उसे त्रिपुरा में लागू कर दिया जाय ।

इस अधिनियम के त्रिपुरा मे विस्तृत हो जाने पर लायसेंसदारों के ऊपर मादक द्रवों के आयात, निर्यात, गोदामों तथा उनके जमा रखने के संबंध में कुछ अधिक प्रतिबन्ध लग जायेंगे । तथापि देश के अन्दरूनी भागों में गैर-कानूनी रूप से शराब के बढ़ते हुए उत्पादन तथा राजस्व की वसूली की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है ।

विधेयक में प्रस्तावित व्यवस्था को त्रिपुरा परामर्शदाता समिति के सम्मुख उनकी ११ फरवरी को हुई बैठक में रखा जा चुका है, और यह व्यवस्था उनके द्वारा स्वीकृत हो चुकी है । इस अधिनियम के द्वारा त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र में आबकारी प्रशासन को बल मिलेगा तथा वे कमियां दूर हो जायंगी जो कि आबकारी कर की वसूली में बाधक सिद्ध हो रही हैं, इससे बुराइयों के निराकरण में भी सहायता मिलेगी । मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि वे इस विधेयक को स्वीकार करें ।

†**श्री दशरथ देव (त्रिपुरा) :** मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से यह रवैया अख्तयार कर लिया है कि वे पड़ौसी राज्यों के विधानों को त्रिपुरा या मनीपुर में विस्तृत कर देते हैं । वे इस बात का कष्ट नहीं उठाते हैं कि उक्त राज्यों के लिये कुछ आदर्श विधान बनाये जायें जो कि वहां की स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हों। वस्तुतः संसद् को केवल स्वीकृति देने के लिये साधन बनाया जाता है, संसद् में विधानों के खंडों पर भी चर्चा नहीं की जाती है । मैं केन्द्रीय सरकार के इस रवैये का विरोध करता हूं ।

मूल विधेयक यहां पर नहीं है अतः उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है । परमर्शदातृ समिति में यह कहा गया था कि तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क लगाने का

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दशरथ देव]

विचार किया जा रहा है, मेरे विचार से यह शुल्क लगाना ठीक नहीं है। स्थानीय महाराजा के शासन के दौरान वहां के आदिम निवासियों को यह अधिकार प्राप्त था कि वे घर में धान इत्यादि की शराब बना सकते थे इस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था, मेरा सुझाव है कि आदिम जाति के लोगों के लिये यह रियायत अब भी कायम रहे। इससे यह भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये कि हम उन्हें शराब के प्रयोग के लिये प्रोत्साहन दे रहे हैं। त्रिपुरा राज्य गणमुक्ति परिषद वहां के आदिम जाति के लोगों की सब से बड़ी संस्था है, उसके अध्यक्ष के रूप में मैंने सदैव यह कोशिश की है कि शराब की खपत कम की जाय तथापि लोगों की रस्मों में एक दिन में परिवर्तन नहीं हो सकता है।

मेरा सुझाव है कि सरकार इस विधेयक के प्रत्येक खंड पर सावधानी से विचार करे और यदि कोई खंड त्रिपुरा के अनुपयुक्त हो तो उसे संशोधित कर दिया जाय। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री ब० रा० भगत** : माननीय सदस्य का यह कहना है कि हमें समवर्ती विषयों में पड़ोसी राज्यों की विधियों को संघ राज्य क्षेत्रों में नहीं लागू करना चाहिये। मेरे विचार से माननीय सदस्य को इस मामले में इतना भावुक नहीं होना चाहिये। वस्तुतः इन क्षेत्रों में राज्य विधान सभाओं को संसद से अधिक अनुभव होता है। जब कभी भी ऐसे अधिनियमों को यथा विक्री कर, स्थानीय उत्पादन शुल्क इत्यादि विधियों को लागू किया जाता है तो वह केवल इस कारण किया जाता है कि हमें पड़ौसी राज्यों में उन विधियों के प्रशासन का अनुभव है अतः उस अनुभव को अल्पाधिक उन्हीं अवस्थाओं में लागू करना लाभदायक होता है। हम इसे केवल सुविधा की दृष्टि से कर रहे हैं। इन क्षेत्रों के संबंध में हमने जो प्रथा अपनायी है वह लाभदायक सिद्ध हो रही है, और उससे अच्छा परिणाम प्राप्त हो रहा है।

जहां तक त्रिपुरा में बंगाल उत्पादन अधिनियम के लागू होने का प्रश्न है हम जानते हैं कि त्रिपुरा अधिनियम पुराना और अनुपयुक्त है तथा इससे उस भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है जिन पर हम प्रशासनिक तरीकों से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। वहां की परिस्थितियां भी अल्पाधिक वही हैं। हम उसे बिल्कुल उसी रूप में लागू नहीं कर रहे हैं अपितु उसमें देश काल के अनुसार कुछ परिवर्तन भी कर दिये जायेंगे। माननीय सदस्य जो कि इस संबंध में अनुभवी है उपयुक्त समय आने पर उन परिवर्तनों का सुझाव दे सकते हैं, हम बड़ी प्रसन्नता से उन सुझावों को स्वीकार करेंगे। इस संबंध में कोई सिद्धान्त अन्तर्ग्रस्त नहीं है अपितु यह सुविधा के कारण किया गया है। जहां तक आदिम जातियों के अपने उपयोग के लिये शराब इत्यादि तैयार करने का प्रश्न है मैं इस संबंध में यह कह सकता हूं कि उनकी वर्तमान रस्मों तथा उनके विशेषाधिकारों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि त्रिपुरा उत्पादन शुल्क अधिनियम का निरसन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†*सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ और ३ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†*सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पशु निर्दयता निवारण विधेयक

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या कष्ट पहुंचाने को रोकने और इस प्रयोजन के लिए पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण संबंधी विधि को संशोधित करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए ।"

मैं इस विधेयक की मुख्य बातों की व्याख्या कर देना चाहता हूं । सदस्यों को ज्ञात है कि पशु निर्दयता निवारण अधिनियम सर्वप्रथम १८९० में पारित किया गया था और ७० वर्षों से उस में कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं । ५ मार्च, १९५४ को श्रीमती रुकमणी अरुण्डेलकर ने राज्य सभा में पशु निर्दयता निवारण विधेयक नामक एक विधेयक पुर:स्थापित किया था । उस पर हुई बहस में प्रधान मंत्री ने इस समस्या के बुनियादी समाधान का समर्थन किया था परन्तु उन्होंने यह कहा था कि उस विधेयक में रखे गये कुछ खंड व्यवहारिक नहीं हैं । इसलिए यह आश्वासन दिया गया था कि उस के बुनियादी समाधान को स्वीकार किया जाना चाहिए और हमें उस पर विचार करना चाहिए । उसके पश्चात् एक समिति नियुक्त की गई थी । अन्ततः यह विधेयक हमारे सामने आया है जिसमें संयुक्त समिति ने बहुत काफी संपरिवर्तन किए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

इस विधेयक की मुख्य विशेषता यह है कि जब कि १८९० का अधिनियम इस देश के कुछ नगरों तक ही सीमित था, जिन में नगर निगम, बूचड़खाने आदि थे, यह विधेयक उसका विस्तार क्षेत्र बढ़ा देता है। यह विधेयक कुछ नगरों पर ही नहीं वरन् प्रत्येक स्थान में लागू होगा। यही खास चीज़ है कि हम पहली बार इस प्रकार का विधान बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो जानवरों के भाग्य को एक दम बदल देगा।

पशु निर्दयता निवारण अधिनियम संबंधी विभिन्न समितियों ने विभिन्न सुझाव दिए थे और वे सब इस विधेयक में रख दिए गए हैं। विधेयक को कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों सहित राज्य-सभा ने पारित कर दिया है। अब जो विधेयक सभा के समक्ष है वह पशु निर्दयता निवारण समिति की अधिकांश सिफारिशों को प्रभावी बनाना चाहता है।

यह विधेयक पारित हो जाने पर जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत में लागू होगा। जम्मू तथा काश्मीर को वैधानिक कारणों से छूट दी गई है क्योंकि उसका संघ सरकार में प्रवेश संघ सूची में परिगणित विषयों के संबंध में ही है। सहवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों के संबंध में नहीं। इसलिए हम संविधान के अन्तर्गत उसे जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू नहीं कर सकते हैं।

मैं जानता हूं कि यह एक आदर्श विधेयक नहीं है। जो लोग विधेयक को अधिक उदार बनाना चाहते हैं और उसे अधिकाधिक दंडनीय बनाना चाहते हैं उन के संशोधन हमारे पास आ चुके हैं। इसलिए मुझे कुछ समझौता करना है। मैं प्रारंभ में ही यह निवेदन करूंगा कि यह आदर्श विधेयक नहीं है। ७० वर्षों के बाद हम पहली बार इस प्रकार का विधेयक ला रहे है और हमें आशा है कि कुछ वर्षों के अनुभव के पश्चात् हम आदर्श की प्राप्ति कर सकेंगे।

इस प्रश्न पर विचार करने के दो पहलू हो सकते हैं—मानवीय पहलू और दांडिक पहलू। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि आप लोगों को कानून द्वारा अधिक दयालु नहीं बना सकते हैं। हम कोई अधिनियम पारित भले ही कर दें परन्तु वह मृतप्राय: रहेगा। लोगों को पशुओं के प्रति दया रखनी चाहिए, उन्हें पशुओं की रक्षा करनी चाहिये और उन के साथ हर प्रकार से मानवोचित व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार की आदतें डालने में वास्तव में लोगों को बहुत अधिक समय लगता है। कुछ पश्चिमी देशों में, जो वास्तव में शाकाहारी नहीं हैं, यद्यपि वे पशुओं का बध करते हैं परन्तु उन के साथ व्यवहार मानवोचित करते हैं। वास्तव में बहुत सी बड़ी बड़ी संस्थायें बनी हैं जिनकी सदस्य संख्या लाखों तक है तथा जो पशुओं के गौरव और स्तर को मान्यता देती हैं। ह्यूमेन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है।

[उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**]

यद्यपि वे मासाहारी हैं और पशुओं का बध करते हैं परन्तु पशुओं को यथा संभव इस तरह मारने का प्रयत्न किया जाता है कि उन्हें पीड़ा न हो।

इस संबंध में मैं चलचित्रों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। चलचित्रों में कभी कभी घोड़ों, बिल्लियों, तोतों आदि को काम में लाया जाता है। वे किसी भी पशु को ह्यूमेन एसोसिएशन को निर्देश किए बिना अपने काम में नहीं ला सकते हैं चाहे वह

कितना भी साधारण हो । जिस प्रकार मनुष्य का अपना गौरव और स्तर होता है उसी प्रकार पशुओं का भी अपना गौरव और स्तर है । हमारे चरित्र तथा रक्त में ये गुण भरने में संभवतः कई सदियां लग जायेंगी। इसलिए मानवीय पहलू की चीज ऐसी नहीं है जो केवल कानून पारित कर देने से एक दिन में प्राप्त हो जाएगी । हमें अपने व्यक्तिगत आचरण—मेरा तात्पर्य केवल सरकार के आचरण से नहीं है—द्वारा मानवीय पहलू पर जोर देना चाहिए ।

दांडिक पहलू के संबंध में विधानमंडल सहज ही कार्यवाही कर सकता है । यदि कोई व्यक्ति कानून द्वारा स्वीकृत सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है तो दंड निश्चय ही यथासंभव कठोर होना चाहिए ताकि लोग वैसा न करें। मानवीय पहलू में कुछ समय लगता है । मैं यह विस्तृत व्याख्या केवल इसलिए कर रहा हूं कि यहां ऐसे मानवतावादी विचारों के लोग बैठे हुए हैं जो यह सोचते हैं कि मुझे सभा के समक्ष एक आदर्श विधेयक उपस्थित करना चाहिए था, जहां तक मानवीय पहलू का सम्बन्ध है। मैं उन से सहमत हूं और मुझे वैसा करने में खुशी होगी परन्तु मैं व्यवहारिक मनुष्य होने के नाते यह जानता हूं कि यदि मैं ऐसा विधेयक उपस्थित करूंगा तो उसे व्यवहार में नहीं लाया जा सकेगा क्योंकि हमें उस के लिए प्रशिक्षण नहीं मिला है ।

मैं विधेयक के कछ महत्वपूर्ण खण्डों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिन पर संयुक्त समिति ने अपना ध्यान केन्द्रित रखा है । पहला खण्ड है खण्ड ४ जिस में एक पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना का उपबन्ध है । यह विधेयक की सब से अधिक महत्वपूर्ण धारा है । मैं सभा को यह आश्वासन े सकता हूं कि यद्यपि यह बोर्ड एक मंत्रणा निकाय होगा परन्तु सरकार वास्तव में इस बोर्ड की मंत्रणा के अनुसार ही कार्य करेगी । बोर्ड में सर्वोत्तम व्यक्ति होंगे क्योंकि बोर्ड का संगठन विधेयक में किये गए उपबन्ध के अनुसार होगा। इन सब चीजों में सरकार का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है । हम इस बोर्ड का निर्माण केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसकी मंत्रणा को आमंत्रित कर के ठुकरा दें। हम चाहते हैं कि शत प्रतिशत मामलों में बोर्ड द्वारा दी गई ठोस सलाह को स्वीकार किया जाय। यह इस पर निर्भर होगा कि बोर्ड कैसे काम करता है । इसलिए अन्ततः यह व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर होगा। यदि बोर्ड के अधिकांश सदस्य वास्तव में पशुओं के प्रति दयालु होंगे तो वे इस प्रकार के सिद्धान्त, पूर्वदृष्टान्त और अभ्यास कायम करेंगे जो अन्ततः मानवतावादी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होंगे। अन्ततः हम इस विधेयक में सुधार कर सकते हैं। इसलिए यह खण्ड अर्थात् खण्ड ४, जो बोर्ड के गठन का उपबन्ध करता है, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है ।

दूसरा महत्वपूर्ण खण्ड है खण्ड ११ जिस में यह बताया गया है कि पशुओं के प्रति निर्दयता क्या समझी जाएगी और उसमें निर्दयताओं की जो सूची दी गई है वह केवल उदाहरण-स्वरूप है और सर्वथा पूर्ण नहीं समझी जानी चाहिए। यदि अनुभव के आधार पर हम यह महसूस करते हैं कि कुछ अन्य निर्दयतायें भी इस में सम्मिलित की जानी चाहिए तो हम वैसा बड़ी खुशी से करने के लिए तैयार हैं। हम ने इस सूची में १५ या १६ निर्दयतायें सम्मिलित की हैं जिन के संबंध में अनेक संशोधन पेश किए गए हैं। यदि हम अपनी कल्पना को बढ़ाते चले जायें तो बहुत सी अन्य निर्दयताओं के सुझाव भी दिए जा सकते हैं परन्तु उन सब को इस अधिनियम के अन्दर सम्मिलित करना असंभव है। विधेयक में सामान्यतः उन निर्दयताओं के संबंध में कार्यवाही करने की शक्ति दी गई है जो यहा परिगणित हैं। यदि कोई ऐसी निर्दयता है जो इस विधेयक में

[श्री स० का० पाटिल]

सम्मिलित नहीं की गई है तो उस पर भी निश्चय ही विचार किया जाएगा । अभी मैं निर्दयताओं की सूची को केवल इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूं कि उस में कुछ समय लगेगा। यह विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित किया जा चुका है । यदि आप फिर इस में कुछ समय लेंगे तो उस से विधेयक के क्रियान्वयन में और भी विलम्ब होगा । जब यह विषय दूसरी सभा में रखा गया था तब से छै वर्ष का समय बीत चुका है । इसलिए यदि माननीय सदस्यों के अनुसार कुछ निर्दयतायें इस में परिगणित नहीं की गई हैं तो वे प्रतीक्षा कर सकते हैं क्योंकि हमें अनुभव होने पर विधेयक में समय-समय पर संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी और तब हम उन संशोधनों को सम्मिलित कर सकते हैं ।

खण्ड १५ में पशुओं पर किये जाने वाले परीक्षणों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिये एक समिति की स्थापना का उपबन्ध है । यद्यपि खण्ड की पदावलि इस प्रकार है कि "यदि किसी समय बोर्ड की सलाह पर केन्द्रीय सरकार ऐसा आवश्यक समझे" मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस समिति को यथाशीघ्र नियुक्त करना चाहते हैं। यह ठीक है कि उसकी नियुक्ति दो बातों पर निर्भर है कि पशु बोर्ड ऐसी समिति की नियुक्ति के पक्ष में अपनी राय दे और सरकार की भी वैसी राय हो। परन्तु यह केवल इसलिये रखा गया है कि पशु बोर्ड को सर्वोपरि समझा जाय और मेरा विश्वास है कि इस प्रकार का उपबन्ध अत्यन्त आवश्यक है । जब अस्पतालों, गवेषणा केन्द्रों, प्रयोगशालाओं आदि में परीक्षण हों तो हमें यह देखना चाहिये कि वे निर्दयतापूर्वक न किये जायें । इस सम्बन्ध में यह आवश्वासन आवश्यक है क्योंकि अधिनियम से ऐसा मालूम होता है कि वे चाहें तो वैसा करें अथवा न करें। इसलिये कुछ मित्रों ने यह जोर दिया था कि हमें बोर्ड को सीधे ही नियुक्त कर देना चाहिये । मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि जैसे ही यह अधिनियम लागू होगा पशु बोर्ड की सलाह पर ऐसी समिति नियुक्त कर दी जायेगी ।

एक खण्ड और भी है, अर्थात् खण्ड ३० जिसके सम्बन्ध में दूसरी सभा में माननीय सदस्यों ने विरोध प्रकट किया था । यह खण्ड कुछ मामलों में अपराध की धारणा के सम्बन्ध में है । हमें पशुओं के प्रति निर्दयता को रोकना चाहिये । हमारे मुसलमान मित्रों को भय है कि हलाल कर के बध करने का तरीका, जिसका वे धार्मिक आधार पर पालन करते हैं, इस अधिनियम के पर्यालोकन के अन्तर्गत आ जायेगा । उन मित्रों का भय दूर करने के लिये मैं ने दूसरी सभा में एक नया खण्ड सम्मिलित करना स्वीकार कर लिया है जिसमे यह उपबन्ध है कि इस अधिनियम में किसी भी बात के रहते हुए किसी जाति के धर्म के तरीके के अनुसार पशुओं का बध किया जाना अपराध नहीं माना जायेगा । यह नया खण्ड "विविध" शीर्षक के अन्तर्गत सब से पहले रख दिया गया है ताकि बाद में जो कुछ भी आये वह इस खण्ड से अनुशासित हो । इसलिये बाद में बध के अन्तर्गत जो कुछ भी आता है वह किसी जाति के धार्मिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है । इसलिये मूल खण्ड ३० का एक पृथक खण्ड रख कर संशोधन कर दिया गया है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्) : एक पशु का दूसरे पशु के सामने भी बध नहीं किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं यह विधेयक केवल प्रारम्भिक कदम के रूप में है । हम केवल विधेयक पारित कर के पशुओं के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। मैं श्री पट्टाभिरामन् के इस विचार से सहमत हूं कि हमें पशुओं के प्रति हर प्रकार की निर्दयता को रोकना चाहिये । परन्तु इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मैं एक व्यवहारिक व्यक्ति हूं और पशुओं के प्रति सद्व्यवहार चाहता हूं । यदि मैं आदर्श परिस्थितियों के उत्पन्न होने तक प्रतीक्षा करूं तो मैं अपने जीवनकाल में कभी ऐसा विधेयक पुरःस्थापित नहीं कर सकूंगा । मेरा विचार है कि यदि हम यह विधेयक पारित कर के पशु बोर्ड स्थापित कर देंगे तो इस सम्बन्ध में प्रचार अवश्य किया जायगा जिससे देश में अनुकूल वातावरण उत्पन्न होगा । यदि मैं विभिन्न जातियों के विवाद में पड़ जाऊं तो मुझे इस विधेयक के पुरः-स्थापन के लिये बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और मैं पशुओं के प्रति कोई सेवा नहीं कर सकूंगा ।

अन्त में मैं सभा से यही अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को बिना विलम्ब किये पारित किया जाये । इसमें ७ वर्ष लग चुके हैं और पुरःस्थापन के बाद भी २ वर्ष लग गये हैं । ४५ सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी जिसमें ३० सदस्य इस सभा के थे और १५ सदस्य राज्य सभा के थे । वह समिति इस विधेयक पर विस्तारपूर्वक विचार कर चुकी है इसलिये अब इसे बिना किसी संशोधन के पारित किया जाना चाहिये । मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि माननीय सदस्य जब भी उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिये कोई संशोधन करना चाहेंगे तो वैसा किया जा सकेगा और सरकार उसके लिये तैयार रहेगी । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री अमजद अली** (धुबरी) : इस विधेयक के सम्बन्ध में सब से पहले मैं "पशु" की व्याख्या को लेना चाहता हूं जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवधारी को, मनुष्य को छोड़कर सम्मिलित कर लिया गया है । मेरा निवेदन है कि यह व्याख्या ठीक नहीं है क्योंकि उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी मच्छर को भी मारेगा तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकेगा। इस प्रकार का अधिनियम १८९० से चला आ रहा है और प्रान्तों में भी इस प्रकार के अधिनियम रहे हैं परन्तु उन में से किसी में भी पशु की ऐसी व्याख्या नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह व्याख्या ऐसी होनी चाहिये कि न्यायालयों में चल सके। इसलिये "पशु" की व्याख्या में परिवर्तन आवश्यक है ।

फिर इस विधेयक में "अनावश्यक निर्दयता" शब्दों की कहीं भी व्याख्या नहीं की गई है। हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी बात को अनावश्यक निदयता समझे परन्तु दूसरा व्यक्ति वैसा न समझे । क्या आपने कभी सुअर को मारते हुए देखा है । यदि आप वह देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि उसे कितना कष्ट दे कर मारा जाता है । इसी प्रकार जब लोग मछली पकड़ने के लिये पानी में कांटा डालते हैं तो उससे मछली के मुंह से खून निकलने लगता है। इसलिये "अनावश्यक निर्दयता" की व्याख्या विधेयक में सम्मिलित करना आवश्यक है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मेरा निवेदन है कि खण्ड ११ में अनावश्यक निर्दयता का निर्देश किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : माननीय सदस्य जो बातें कह रहे हैं वे संयुक्त समिति में भी कही गई थीं। ऐसा कोई आदर्श विधेयक नहीं हो सकता है जिसमें सब पशुओं और उनके बध को सम्मिलित किया जा सके। हमने सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय व्याख्या को अपनाया है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो तर्क उपस्थित कर रहे हैं उनका कहीं भी अन्त नहीं होगा ।

†**श्री अमजद अली** : मैं श्री पट्टाभिरामन् की जानकारी के लिये उनका आभारी हूं । परन्तु फिर भी "पशु" की व्याख्या तो बदलनी ही होगी ।

श्री पाटिल ने खण्ड २८ का निर्देश किया। मेरा निवेदन है कि उन्होंने यह संशोधन स्वीकार करके बहुत अच्छा किया है क्योंकि मुस्लिम धार्मिक रिवाजों के अनुसार पशुओं का बध हलाल करके ही किया जाता है । अतः इस प्रकार का उपबन्ध अत्यन्त आवश्यक था। परन्तु विधेयक का खंड ३० ऐसा है कि उसके अन्तर्गत लोगों को परेशान किया जा सकेगा क्योंकि उसमें यह कहा गया है कि यदि किसी बकरे की ऐसी खाल मिलेगी जिसमें सिर का भाग जुड़ा हुआ हो तो यह समझा जायेगा कि उसे निर्दयतापूर्वक मारा गया है। समाज विरोधी तत्व इसका अनुचित लाभ उठायेंगे और बहुत भ्रष्टाचार फैलेगा। मैंने माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था परन्तु उन्होंने मेरी बात न मानकर अपने अधिकारियों की बात ही ठीक समझी।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैंने अधिकारियों के कहने से वैसा नहीं किया है वरन् अपनी समझ के अनुसार ही किया है । मैंने मुसलमान नाम जानबूझ कर प्रयोग नहीं किया है परन्तु खण्ड २८ में उनके लिये सामान्य उपबन्ध कर दिया गया है । इसलिये माननीय सदस्य को किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिये ।

†**श्री अजमद अली** : मैं माननीय मंत्री को इस स्पष्टीकरण के लिये धन्यवाद देता हूं । परन्तु मेरा निवेदन है कि "पूर्वकल्पना" शब्द कठिनाइयां पैदा करेगा। यदि उसे निकाल दिया जाये तो ठीक होगा । मेरा निवेदन है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा ४ के अनुसार सिद्धि भार उस व्यक्ति पर आ जाता है जो इस प्रकार से पशु का बध करता है। यदि वह उसे सिद्ध नहीं कर सकेगा तो उसे व्यर्थ तंग किया जायेगा । इसलिये विधेयक के खंड ३० और ३२ को निकाल दिया जाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री लोगों की रक्षा करने का प्रयत्न करेंगे ताकि उन्हें समाज विरोधी तत्वों द्वारा तंग न किया जा सके।

†**श्री सूपकार (सम्बलपुर)** : मेरा विचार है कि कुछ मामलों में यह विधेयक बहुत अस्पष्ट और कुछ मामलों में बहुत कठोर है । "अनावश्यक" और "अनुचित" शब्द इतने अस्पष्ट हैं कि जब कोई मामला न्यायालय में लाया जायेगा तो उनकी सही व्याख्या करना कठिन हो जायेगा ।

जहां तक कठोरता की बात का संबंध है मैं खंड १७ का निर्देश करना चाहता हूं । उसमें यह उपबन्ध किया गया है कि जहां संभव हो पशुओं पर परीक्षण न किये जायें। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जिन मामलों में छोटे पशुओं पर परीक्षण किये जा सकते हैं हों, उनमें बड़े पशुओं पर परीक्षण न किये जायें । इन उपबन्धों से स्कूलों तथा कालेजों में परीक्षण तथा अनुसंधान कार्य पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि जो नियम इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जायें वे ऐसे हों कि विद्यार्थी शल्य चिकित्सा के प्रयोजन के लिये आवश्यकतानसार परीक्षण कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक के संबंध में मेरा सबसे मुख्य निवेदन यह है कि पशुओं के प्रति निर्दयता के निवारण का कार्य राज्यों के हाथ में होना चाहिये। इसलिये मेरा विचार है कि यह अधिक अच्छा होता कि हम एक आदर्श विधान उपस्थित करते ताकि राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों के लिये वैसे कानून बना सकतीं।

फिर विधेयक के अन्तर्गत जो केन्द्रीय पशु कल्याण बोर्ड बनाया जायेगा उसमें नगरपालिकाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है तथा उसमें कुछ सरकारी अधिकारी और छः संसद् सदस्य भी होंगे। मेरा विचार है कि उसमें राज्यों के प्रतिनिधियों का रखा जाना अधिक अच्छा होता। यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के कानून का प्रशासन राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से कर सकती है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। पशुओं के प्रति निर्दयता के निवारण का प्रशासन राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिये क्योंकि उनका केन्द्रीयकरण ठीक नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हम इस विधेयक को पारित भले ही कर दें परन्तु यह अच्छा होगा कि राज्य सरकारों से इस प्रकार के बोर्ड बनाने के लिये कहा जाय ताकि विधेयक का उद्देश्य विकेन्द्रित ढंग से प्राप्त किया जा सके।

†**श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय मैं पशु निर्दयता निवारण संबंधी समिति का एक सदस्य था। यह समिति देश के सभी भागों में गई और वहां पर संगठनों तथा व्यक्तियों के विचार सुने। मेरा अपना विचार है कि यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है और इसके बारे में धीरे धीरे कुछ किया जाये तभी समस्या को सफलतापूर्वक हल किया जा सकेगा।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया और आज खाद्य मंत्री का भाषण सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बताया कि यह विधेयक ही इसके बारे में अन्तिम विधेयक नहीं है अपितु ज्यूं ज्यूं हमें अनुभव होता जायेगा त्यूं त्यूं संभव है इस विधेयक के उपबन्धों का संशोधन करना पड़े।

इस विधेयक के बारे में भारत की जनता के विचार अलग अलग हैं। क्योंकि भारत में कुछ नागरिक शाकाहारी हैं और कुछ मांसाहारी हैं। कुछ चाहते हैं कि इस विधेयक के दण्ड के खण्डों को और कठोर बनाया जाना चाहिये। मैं भी उनमें से एक हूं। मेरा यह भी विचार है कि सभी जीवन पवित्र होते हैं और उनका संरक्षण किया जाना चाहिये। परन्तु समाज के लिये खतरनाक व्यक्तियों तथा पशुओं के जीवन का संरक्षण करना मैं भी नहीं चाहूंगा और समझता हूं कोई भी नहीं चाहेगा।

मैं इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि सरकार ने जो पशु कल्याण बोर्ड बनाया है उसकी सभी सिफारिशों को मंत्रालय को उसी रूप में शीघ्रता से लागू कर देना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय ऐसी प्रथा बना लेगा और उनकी सिफारिशों को उसी रूप में लागू कर दिया करेगा। इसके अतिरिक्त मैं यह भी चाहता हूं कि इस कल्याण बोर्ड में वैज्ञानिकों, राज्य सभा सदस्यों तथा लोक-सभा सदस्यों के साथ साथ शिक्षा शास्त्रियों को भी रखा जाना चाहिये।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि विधेयक में "निर्दयता" शब्द की परिभाषा की जानी चाहिये और परिभाषा में बताया जाना चाहिये कि पशुओं को शारीरिक तथा भावनात्मक दोनों प्रकार की चोट पहुंचाना निर्दयता होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

यह व्यवस्था रखी गई है कि पशु कल्याण बोर्ड पशुओं के अस्पतालों तथा गवेषणा संस्थाओं का निरीक्षण करेगा। परन्तु वह ऐसा तभी कर सकता है जब उसके पास ऐसा करने के लिये धन होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री हमें बतायेंगे कि वह इस बोर्ड को कितना धन देंगे।

मैं यह भी समझता हूं कि इस विधान में एक दूसरा पशुओं के प्रति दयालुता का बोर्ड भी बनाया जाना चाहिये और उसको भी पर्याप्त धन दिया जाना चाहिये जिससे वह नागरिकों के मन में पशुओं के प्रति दयालुता जाग्रत कर सके।

मेरे विचार से इस विधेयक की कुछ धाराओं की क्रियान्विति की जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा नगरपालिकाओं और पंचायतों पर भी होनी चाहिये। मुझे इसकी भी प्रसन्नता है कि विधेयक में सिक्खों, मुसलमानों, यहूदियों आदि की धार्मिक भावनाओं पर ठेस न पहुंचे, इसके बारे में भी व्यवस्था है।

तमाशा दिखाने वाले पशुओं के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इनको पालते हैं वह इनका पालन पोषण इतनी अच्छी तरह से करते हैं जैसे माननीय उपमंत्री अपने घर में मुर्गी पालते हैं। इसलिये यदि कोई व्यक्ति अपना जीवनयापन करने के लिये एक अथवा दो पशु पालता है और उनका पालन पोषण अच्छी तरह करता है तो मैं उनको पालने में कोई गलत बात नहीं समझता हूं।

परन्तु फिर भी यह समझ कर कि हम यह प्रयोग कर रहे हैं और अनुभव प्राप्त होने पर इसमें संशोधन कर सकेंगे, इस विधेयक का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि भारत में भी एक ह्यूमैन संस्था बनाई जाये।

सेठ गोविन्द दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विधेयक का स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विधेयक से मेरे सदृश व्यक्तियों को जरा भी सन्तोष नहीं हो सकता। मैं श्रीमती रुक्मिणी अरुंडेल को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विषय को राज्य सभा में उठाया और उसके बाद मैं पाटिल साहब को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इसे सरकारी विधेयक के रूप में यहां पर पेश किया है क्योंकि मैं इस मामले में जो उनका मत है उससे अच्छी तरह परिचय रखता हूं। लेकिन मेरा तो इस संबंध में यह मत है कि किसी भी जीव का प्राण लेने का उसी को अधिकार है जो प्राण दे सकता है। हम किसी भी चीज को जीवन नहीं दे सकते, हममें वह शक्ति नहीं है कि हम प्राण का संचार कर सकें। ऐसी स्थिति में हमको यह भी अधिकार नहीं है कि हम किसी के प्राण लेवें और कोई हिंसा करें। इसीलिये जब कभी भी सरकार के मुर्गी, अंडों और मछलियों, इन सबके खाने के आंदोलन चलते हैं, प्रचार के आंदोलन चलते हैं, तो सरकार का एक बहुत बड़ा समर्थक रहते हुये भी, मेरे तो सिर से पैर तक आग लग जाती है। जहां तक भारतीय संस्कृति का सवाल है, हमारे ऋषियों महर्षियों ने, तत्ववेत्ताओं ने, दार्शनिकों ने, संतों और भक्तों ने, इस समस्त सृष्टि में एक ही तत्व का निरीक्षण किया था, और उनकी जो खोज है, उसके आगे आज भी वैज्ञानिक नहीं जा पाये हैं। यह समस्त सृष्टि एक ही तत्व है उसको हमारे दार्शनिकों ने माना था और आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं। इसलिये किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी प्रकार की हत्या, हमारी संस्कृति के खिलाफ पड़ती है, जिसका मैं एक छोटा सा उपासक हूं।

फिर इस विधेयक में कुछ विचित्र शब्द हैं जिनके अर्थ मैं नहीं समझा। "ह्यूमैन किलिंग" क्या चीज है? "किलिंग" का मतलब "किलिंग" है। किसी चीज को मारना "ह्यूमैन किलिंग" नहीं है।

इसी के साथ उसमें "अननेसेसरी क्रुएलिटी" लिखा हुआ है। मारने में जो "क्रुएलिटी" होती है वह "क्रुएलिटी" है ही। वह कब "अननेसेसरी क्रुएलिटी" हो जाती है और कब वह "नेसेसरी क्रुएलिटी" रहती है, यह भी मेरी समझ के बाहर है। फिर धर्म के नाम पर जो बलिदान होते हैं उन बलिदानों को करने में किन किन चीजों का उपयोग होता है, इस विषय में इस विधेयक में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। तो यद्यपि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं इस विधेयक से सन्तुष्ट नहीं हूं। एक कदम ठीक दिशा में उठा है, इसको मैं मानता हूं, और इसको मानते हुये इस अधूरे विधेयक का भी मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं पाटिल साहब से कहना चाहता हूं कि उन्हें कम से कम इस प्रकार के विधेयक से सन्तोष नहीं होना चाहिये। जिन बातों को मैं ने उनके सामने रक्खा है जैसे कि "ह्यूमैन किलिंग" और "अननेसेसरी क्रुएलिटी" के शब्द हैं, इन सब का भी कुछ अर्थ होना चाहिये।

जिस दिन यहां पर एक गैर-सरकारी दिवस को श्रीयुत कृष्णप्पा का भाषण हुआ, मुझे बड़ा खेद है कि मैं यहां पर नहीं था, नहीं तो मैं उनसे कहता कि जितना मैंने आपको समझा है, उस समझ के ठीक विपरीत आपका भाषण हो रहा है।

[**श्री जगन्नाथ राव** पीठासीन हुये]

उस भाषण में तो उन्होंने एक ऐसी बात का समर्थन किया था, गोवध तक का भी, जो समझ में नहीं आया उनको बोलते हुये भी, कि वह कैसे इस तरह की बात कह सकते हैं। वे तो फाडर अर्थात् चारे के संबंध में बोल रहे थे कि उसे बाहर न भेजा जाय। जिस समय उसके संबंध में वे बोल रहे थे उस समय उन्होंने गोवध के प्रश्न को क्यों उठाया, यह भी मेरी समझ के बाहर है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का स्वागत करते हुये भी मैं उससे सन्तुष्ट नहीं हूं।

मैं इस संबंध में बहुत कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन चूंकि गोसंवर्द्धन कौंसिल की बैठक हो रही है और उसमें मुझे जाना है, इसलिये मैंने उपाध्यक्ष जी से विशेष समय मांगा। वैसे तो जैसा मैंने कहा, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि पाटिल साहब इस विधेयक से सन्तुष्ट नहीं होंगे और इस संबंध में इसको पहला कदम मान कर, कुछ ऐसे सुधार इसमें लायेंगे जिसमें यह हमें ठीक दिशा की ओर ले जाये।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं आरम्भ में श्रीमती रुक्मिणी अरुंडेल को बधाई देता हूं कि उन्होंने छः वर्ष के अपने सतत प्रयत्न के द्वारा इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत कराया तथा श्री पाटिल को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इसे प्रस्तुत किया।

हमारे देश में आदिकाल से अहिंसा का प्रचार होता आया है। महावीर, बुद्ध, गांधी जी सभी ने अहिंसा का प्रचार किया है। हमने अपनी आजादी अहिंसा के द्वारा ही पाई है और मैं समझता हूं कि अहिंसा पर आधारित जब इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं तब राष्ट्रपिता की आत्मा अवश्यमेव प्रसन्न होगी। परन्तु इस विधेयक में दण्ड की व्यवस्था १८९० के अधिनियम की तुलना में कम की जा रही है इससे आशंका होती है कि कहीं अधिक पशुओं का वध न होने लगे। श्री पाटिल के यह कहने पर इस आशंका का थोड़ा सा निवारण हो जाता है कि यह केवल आरम्भ है और बाद में आवश्यक होने पर संशोधन किया जा सकेगा।

इंगलैंड और अमरीका का ज़िक्र किया गया। अमरीका में पशुओं पर जब भी कोई प्रयोग किया जाता है तभी अमरीकी संस्था का परामर्श लिया जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वहां पर पशुओं पर वैज्ञानिक प्रयोग नहीं होते हैं। वहां पर प्रयोग अवश्य होते हैं केवल इतना होता है कि जहां ३० कुत्तों की जरूरत होती है वहां पर दो तीन कुत्तों को ही मारा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्]

मुझे प्रसन्नता है कि हमने संसार को नहाना और दांत साफ करना सिखाया और अब शाकाहारी बनना सिखा रहे हैं। यह बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि अमरीका और योरोप में इस प्रकार का आंदोलन चल रहा है ।

१९५४ में इस विधेयक पर बोलते हुये प्रधान मंत्री ने बताया था कि इस प्रकार की विधियां बनाने पर तभी लाभ हो सकता है जब इनको ठीक प्रकार से लागू किया जाये। हमें इस बात को भी समझना चाहिये ।

धारा २८ में दिया गया है कि इस अधिनियम के अधीन धर्म में बताई गई रीति के अनुसार पशुओं को मारने पर अपराध नहीं माना जायेगा। मेरे विचार से मुहम्मद साहब महान सन्त थे और यदि वह अरब के बजाये भारत में उत्पन्न हुये होते तो कभी भी पशुओं की हत्या करने का उपदेश नहीं देते ।

आज बूचड़खानों में पशुओं को इस तरह मारा जाता है जिससे मन घृणा से भर उठता है। मैं समझता हूं कि यदि मांसाहारी संसद् सदस्य बूचड़खानों में जायें तो वह मांस खाना ही छोड़ दें ।

यदि माननीय मंत्री मैसूर होते हुये उटकमंड जायें तो उन्हें पता लगेगा कि गुडलूर से ऊपर हजारों गाय भैंसों की हत्या की जाती है जिससे उटकमंड, कुन्नूर, नीलगिरी के योरोपियनों को गाय का मांस मिल सके ।

यह बड़े ही शर्म की बात है कि हमारा पर्यटन विभाग पर्यटन का प्रचार करते हुये कहता है कि भारत में शिकार करने आइये । मिस्र, ग्रीस आदि किसी भी देश में पर्यटकों को शिकार खेलने के लिये नहीं बुलाया जाता है। मैं समझता हूं कि शिकार के कारण ही आज देश में जंगली पशुओं की बहुत कमी हो गई है। इसलिये आवश्यक हो जाता है कि शिकार आदि को विधि के द्वारा बन्द कर दिया जाये। मैं आशा करता हूं कि बोर्ड इसका ध्यान रखेगा।

तमाशा दिखाने वाले जानवरों के बारे में मैं सभा को बताना चाहता हूं कि शेरों के बच्चों को पकड़ कर उनका मुंह पीट पीट कर उनको प्रशिक्षित किया जाता है। जबकि वह आग से डरते हैं उनको आग के घेरे में से निकलना पड़ता है। क्यों ? क्योंकि वह अपने प्रशिक्षक से डरते हैं। ज्यूं ही यह जानवर डरना छोड़ देते हैं वैसे ही उनको गोली से मार डाला जाता है। मैं श्री दी० चं० शर्मा को बताना चाहता हूं कि मैं कुछ व्यक्तियों को जानता हूं जो बन्दरों तथा रीछों को पालकर उनको भली प्रकार खिलाते पिलाते नहीं हैं और उनको ठीक प्रकार से नहीं रखते हैं। मैं चाहता हूं कि तमाशा दिखाने वाले जानवरों का ध्यान रखने, निरीक्षण करने के अधिकार बोर्ड को दिये जाने चाहियें ।

पशुओं पर वैज्ञानिक प्रयोगों का मैं विरोधी हूं। मैं जानता हूं कि पशुओं को किस प्रकार दुख देकर टीके आदि तैयार किये जाते हैं । मैंने बड़े बड़े डाक्टरों की राय इसके बारे में सुनी है। उनका कहना है कि बहुत से यह प्रयोग अनावश्यक होते हैं

मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और आशा करता हूं कि श्री पाटिल द्वारा बनाया गया बोर्ड प्रभावोत्पादक रूप में कार्यवाही करेगा ।

†**श्री मुहम्मद इमाम** (चितलद्रुग) : हम सभी इस एक बात से सहमत हैं कि पशुओं का अनावश्यक उत्पीड़न न किया जाये। परन्तु इस बात से सहमत नहीं होंगे कि इतने दयालु हो जायें कि किसी पर भी, वनस्पतियों पर भी निर्दय न हों और केवल हवा और पानी पर रहें।

पेड़ पौधे वनस्पतियां हवा से अपनी खूराक लेते हैं और मनुष्य को किसी अन्य चीजों से अपनी खूराक लेनी होती है। और इसीलिये उनसे कुछ निर्दय अवश्य बनना पड़ेगा।

सभी जानते हैं कि प्रतिदिन लाखों मछलियां मनुष्यों के खाने के लिये पकड़ी जाती हैं। प्रतिदिन हजारों भेड़ तथा मुर्गियां मारी जाती हैं। यदि हम पेड़ पौधों में जीवन के सिद्धांत को मानते हैं तो शाकाहारी होने पर भी जीवहत्या करते हैं। खेतों में बैलों से कठोरता से काम लेकर ही खाद्यान्नों का उत्पादन कराने में हम सफल हो सकते हैं। इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि हम निर्दय हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह विधेयक व्यावहारिक न होकर भावनात्मक है।

इस विधेयक के अधीन एक बोर्ड बनाने की व्यवस्था है जिसका क्षेत्राधिकार समस्त देश होगा। यह वोर्ड सारे देश में गांव गांव में अपनी शाखायें खोलेगा। पदाधिकारी नियुक्त करेगा। मुझे सन्देह है कि ऐसा होने पर भी क्या यह बोर्ड इस समस्या को हल कर पायेगा?

खंड ११ के उपखंड १ में दिया है कि अधिक भार लादना, तेज चलाना, आदि को निर्दयता माना जायेगा। मैं समझता हूं कि बदमाश अधिकारी इस खंड के द्वारा किसी भी किसान को तंग कर सकेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि खंड ११ का उपखंड (१) बड़ा ही खतरनाक है और पशुओं के प्रति निर्दयता दूर करने के स्थान पर हम उसमें बदमाश अधिकारियों को ऐसे अधिकार दे रहे हैं जिनसे वह भोले भाले किसानों को तंग कर सकें।

कोई व्यक्ति, जिसके जीवनयापन का सहारा पशु हो कभी भी अपने पशु के प्रति निर्दय नहीं होगा। क्योंकि उसे उससे अपनी रोजी कमानी है।

तमाशा दिखाने वाले पशुओं के बारे में मैं समझता हूं कि जिन व्यक्तियों ने उनको प्रशिक्षित किया उन्होंने बड़ी कठिनाई से ऐसा किया। और जब वह पशु प्रशिक्षित हो गये तो उनको वन्य पशु कहना ही गलत बात है। मैं जानता हूं कि बन्दर तथा रीछ को पालने वाले इनका बड़ा ध्यान रखते हैं कि उनके ये जानवर हृष्ट पुष्ट तथा सन्तुष्ट रहें। इसके अतिरिक्त यह भी संभव हो सकता है कि सांप को मारना भी इस विधेयक के अधीन निर्दयता समझा जाये।

खंड २८ में व्यवस्था है कि पशुओं को धार्मिक कृत्यों के लिये मारा जा सकता है। परन्तु खंड २८ के साथ साथ खंड ३० रख कर खंड २८ का उद्देश्य ही समाप्त कर दिया है। इसलिये खंड ३० को इसमें से हटा देना चाहिये।

श्री पट्टाभिरामन् ने कहा कि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिये किसी भी पशु की हत्या नहीं की जानी चाहिये। सभी जानते हैं कि यदि टीके की ईजाद नहीं हुई होती तो आज मनुष्यों की आबादी दुनिया में आधी होती। वैज्ञानिक अध्ययन का आधार ही प्रयोग हैं। इसलिये हमें डाक्टरों तथा वैज्ञानिकों के प्रयोगों में बाधा नहीं डालनी चाहिये।

विधेयक में व्यवस्था की गई है कि इन प्रयोगों के लिये पशुओं का निर्धारण करने के लिये एक समिति बनाई जायेगी। मैं नहीं जानता कि ऐसी समिति जिसमें वैज्ञानिक न हों इसका निर्णय किस प्रकार कर पायेगी कि कौन सा जानवर प्रयोग के लिये उपयोगी होगा। मेरा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुहम्मद इमाम]

विचार है कि हमारे वैज्ञानिक भी मनुष्य होते हैं और दयालु होते हैं इसलिये हमें यह उन पर ही छोड़ देना चाहिये कि जिस जानवर पर वह चाहें उस पर प्रयोग करें।

मेरा विचार है कि यह विधेयक अव्यवहारिक है और इसको लागू करने में सरकार को पर्याप्त धन बेकार ही व्यय करना होगा।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : सभापति महोदय, मानवी जीवन में पशुओं का एक बहुत बड़ा स्थान है। पशुओं के साथ जो निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, उस पर रोक लगाने के लिये राज्य सभा में श्रीमती रुक्मिणी अरुंडेल ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया उसके लिये मैं इस मूल विधेयक की प्रेरिता श्रीमती अरुंडेल को और भारत सरकार को इस दृष्टि से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मूक पशुओं के साथ जो निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है उसकी रोकथाम के लिये इस सदन में यह विधेयक उपस्थित किया है। परन्तु साथ ही साथ इस विधेयक में जो कुछ न्यूनतायें हैं, उनकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इस विधेयक में आप ने इस बात की व्यवस्था की है कि पशुओं के साथ इस प्रकार के निर्दयतापूर्ण व्यवहारों पर रोक लगाई जाय जिससे आवश्यकता से अधिक उन पर बोझ न लादा जाय, आवश्यकता से अधिक समय होने पर उन से काम न लिया जाय, बीमारी की अवस्था में उन से काम न लिया जाय। जहां इस विधेयक में इन सब बातों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, वहां इस विधेयक की सब से बड़ी त्रुटि यह है कि पशुओं के पीटे जाने, समय से अधिक काम लेने, आवश्यकता से अधिक बोझ लादने आदि बातों पर तो हम प्रतिबन्ध लगाते हैं, इन मूक प्राणियों को हम इस निर्दयता से तो बचाना चाहते हैं, परन्तु जो पशुओं की धड़ाधड़ हत्या हो रही है, उसके लिये इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में कई बार सरकारी बेंचों से इस प्रकार की चर्चायें आई हैं, जिन के बारे में मुझे दुःख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि जो पशु अनुपयोगी हो चुके हैं, यदि उन का वध हो जाय तो उस में हम को दो दृष्टियों से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक तो यह कि अनुपयोगी पशु जो उपयोगी पशु हैं उन के हिस्से का चारा खा जाते हैं इस लिये उन का वध कर दिया जाय। पहली बात के सम्बन्ध में मेरा नम्रतापूर्ण निवेदन यह है कि गांधी जी ने इस सम्बन्ध में कुछ पहले एक सुझाव दिया था, कि जो पशु वृद्ध हो जाता है वह वृद्ध होने के पश्चात् अनुपयोगी नहीं होता। उन का कहना यह था कि वृद्ध पशु भी, उस की वृद्धावस्था में उस पर जितना व्यय किया जाता है, उस से अधिक मनुष्य समाज को दे देता है। वृद्ध होने के पश्चात् यह सही है कि उस की संतान उत्पन्न करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, या दूध आदि देने की शक्ति समाप्त हो जाती है, लेकिन वृद्ध पशु वृद्धावास्था में भी अपने गोबर से, अपने मूत्र से, खाल से, हड्डी से इतना देता है कि हम उस पर उतना व्यय नहीं करते। लेकिन इस के साथ ही गांधी जी ने जिस समय यह सुझाव दिया था उस समय यह भी कहा था कि यह सरकार का काम है कि जो अनुपयोगी पशु हैं उन के लिये गोसदन बनाये, और इस प्रकार के गोसदनों में अनुपयोगी पशुओं को रक्खा जाय। हम सामूहिक रूप से उन का पालन और रक्षण की व्यवस्था करें। यों भी जिस समय कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और किसी सरकारी सर्विस या दूसरे स्थान से रिटायर होता है तो शासन का यह नियम है कि वृद्धावस्था में उसे पेंशन दी जाती है। पूछा यह जाता है कि अब उसको क्यों पेंशन दी जा रही है जब वह मनुष्य सरकार के किसी काम के लिये उपयोगी नहीं है? उस समय यह युक्ति दी जाती है कि युवावस्था में उस ने हमारी सेवा की है तो नैतिकता का तकाजा है कि वृद्धावस्था में हम उस की सेवा करें।

क्या यही युक्ति पशुओं के बारे में लागू नहीं होती जिन्होंने युवावस्था में हमारे हल जोते हैं, युवावस्था में दूध दिया है, युवावस्था में बछड़े और बछिड़ियां दिये हैं और पशु समाज की वृद्धि की है। अगर यह पशु वृद्ध होने के पश्चात् पेंशन के रूप में थोड़ा बहुत दाना घास चाहते हैं तो आप उन की इस पेंशन को भी रोकना चाहते हैं? लेकिन जहां तक पशुओं पर निर्दयता-पूर्ण व्यवहार का प्रश्न है, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित तो हुआ लेकिन बड़ी देर के पश्चात् क्योंकि मानव समाज के ज्ञान का जो आदि ग्रंथ वेद है, उस में भी पशुओं के प्रति निर्दयता के निवारण के सम्बन्ध में व्यवस्थायें की गयी हैं।

एक और बात जिसे या तो आप ने इस विधेयक को ड्राफ्ट करते समय ध्यान में नहीं रक्खा या फिर जान बूझ कर उस की उपेक्षा की है। यहां दिल्ली में ही पशुओं के साथ इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है कि जो ग्वाले पशुओं का पालन कर रहे हैं और उनसे से दूध ले कर बाजारों तक पहुंचाते हैं, वे भी उन के साथ बहुत निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हैं। मैं एक बार अपने मित्र की दूकान पर, जो कि केमिस्ट हैं, बैठा हुआ था। सायंकाल के समय एक ग्वाला आया और कहने लगा कि भैंसों वाला इंजेक्शन दे दो। भैंसों वाला इंजेक्शन सुन कर मेरे कान खड़े हुए और मेरे मित्र के भी कान खड़े हुए। जब उसने जेब से निकाल कर एक रुपया दिया तो मैं ने उनसे पूछा यह कैसा इंजेक्शन है। पता यह लगा कि जो गाय या भैंस दिक्कत से दूध देती है उसे दूध देने से पांच मिनट पहले इंजेक्शन लगा दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि जितना दूध होता है वह भैंस के स्तनों में उतर आता है। बिना इंजेक्शन के जो भैंस सवा सेर या दो सेर दूध देती है, इंजेक्शन लगाने के बाद उसका सारा दूध लिया जा सकता है। परिणाम यह होता है कि उस का जो बच्चा है वह उसी प्रकार भूख से तड़पता रह जाता है। हमारे ग्रंथों में इस प्रकार की व्यवस्थायें हैं, जैसे कि मांस खाने वालों के लिये हैं उसी प्रकार मानव जाति के आदि ग्रंथ वेद में लिखा है:

"यः मानुषेयेण क्रविषा समंकतः
यो अश्व्येन पशुना यातुधानः
यो अघ्न्याया हरति क्षीर मग्ने
तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च।"

इस का अभिप्राय यह है कि जो गऊ घोड़े या इस प्रकार के पशुओं का मांस खाते हैं या और किसी प्रकार के मांस का सेवन करते हैं, जहां उन को दंड दिया जाय वहां उन लोगों को भी दंड दिया जाय जो दूध देने वाले पशुओं का इतना दूध निकाल लेते हैं कि उन के बच्चे तड़पते रह जायं। उन के लिये भी दंड की व्यवस्था का विधान किया गया है। मैं चाहता हूं कि पशुओं के प्रति निर्दयता के निवारण के सम्बन्ध में जो यह विधेयक सदन में आया है और हम उन मूक प्राणियों के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं, तो इस प्रकार के विषयों पर भी उसे लागू किया जाय। लेकिन इस विधेयक में सब से बड़ी न्यूनता है, जिस की ओर थोड़ा सा संकेत डा० गोविन्द दास जी ने भी किया था, परन्तु मैं विस्तार से करना चाहता हूं। इस विधेयक में इस प्रकार की धारा नहीं है कि धर्म के नाम पर जो वध होते हैं, धर्म के नाम पर जो हत्यायें होती हैं, उन पर भी किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाय। सम्भव है कि माननीय कृषि मंत्री इस विधेयक में इस प्रकार की धारा लाते समय इसलिये हिचक गए हों कि सरकार धार्मिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे आप इस बात के कहने की आज्ञा देंगे कि जब और दूसरी प्रकार की धार्मिक व्यवस्थाओं में सरकार हस्तक्षेप करती

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

है तो इस विधेयक में ऐसा करने से क्यों हिचकना चाहिए। अभी हाल में एक विधेयक रिलीजस ट्रस्ट्स की प्रापर्टी के सम्बन्ध में सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है जिसके द्वारा धार्मिक व्यवस्थाओं में हस्क्षेप होगा। उस विधेयक का उद्देश्य है कि किस प्रकार इन ट्रस्टों के धन का उपयोग किया जाए आदि। तो यह मेरी समझ में नहीं आता कि जब इन व्यवस्थाओं में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है तो जो धर्म के नाम पर इस प्रकार का वध चल रहा है उसके लिए इस विधेयक में कोई धारा क्यों नहीं आ सकती। यह इस विधेयक की एक बहुत बड़ी न्यूनता है कि जो धर्म के नाम पर पशुओं का वध होता है उसको रोकने के लिए कोई धारा इसमें नहीं है।

मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए एक विशेष विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि जहां आपने अमुक पशुओं के सम्बन्ध में निर्दयता निवारण के लिए इस विधेयक में व्यवस्था की है, वहां हमको इस विषय में गम्भीरता के साथ सोचना चाहिए कि हमारे देश का मूल आधार कृषि है और कृषि का मूल आधार गोधन है। इसलिए हमको गोवध को रोकने पर भी बल देना चाहिए। मैं ने कुछ बूचड़खानों में अपनी इन अभागी आंखों से गायों का वध होते देखा है। मैं ने हैदराबाद के कसाईखाने में देखा है कि किस प्रकार गायों का वध किया जाता है। अगर गाय सीधी खड़ी होती है तो एक कसाई उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ लगाता है, एक उसकी गरदन पर हाथ लगाता है और एक कमर पर हाथ लगाता है। उन लोगों को गाय के कमजोर अंगों का कुछ ऐसा ज्ञान है कि वह उस की गरदन को इस तरह झटका देते हैं कि उसकी गरदन टूट कर कमर पर आ जाती है और वह गिर जाती है। फिर छुरी से उसकी गरदन काटी जाती है और वह बहुत देर तक पड़ी सिसकती रहती है। मैं ने उन लोगों से पूछा कि तुम इस प्रकार क्यों मारते हो कि यह इतनी देर तक सिसकती रहती है, एक दम ही क्यों नहीं मार देते, तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसको एक दम मार दें तो इसका चमड़ा मुलायम नहीं रहेगा। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के वध को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए।

मैं तो समझता था कि जहां कृषि मंत्री पशुओं के प्रति की जाने वाली निर्दयता के निवारण की व्यवस्था करेंगे वहां इस प्रकार की निर्दयता को भी रोकने की व्यवस्था करेंगे।

इसी सम्बन्ध में मैं उनको भगवान तिलक के कुछ वचन स्मरण कराना चाहता हूं। जब देश परतंत्र था और देश में गोकुशी के प्रश्न को लेकर बड़ा आंतरिक झगड़ा होता था, उस समय श्री बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ में कहा था कि हम दोनों को मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस दिन देश स्वतंत्र हो जायेगा उस दिन एक कलम से गोकुशी को बन्द कर दिया जाएगा। लेकिन आज हमको स्वतंत्र हुए १३ वर्ष हो गए हैं लेकिन मुझे कृषि मंत्री जी से यह कहते हुए कष्ट होता है कि आज भी हिन्दुस्तान में गोवध जारी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां वह पशुओं के प्रति की जाने वाली निर्दयता को रोकना चाहते हैं वहां पशुवध को और विशेषकर गोवध को भी रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। तभी आने वाली पीढ़ियां उनकी आभारी होंगी।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर): मैं सब से पहले इस विधि के प्रस्तावक को धन्यवाद देता हूं। इस विधेयक के दो पहलू हैं, एक तो जानवरों की रक्षा करना तथा दूसरा उनकी हत्या करने के

†मूल अंग्रेजी में

बारे में हैं। जानवरों की रक्षा करना बड़े ही पुण्य का काम है। यद्यपि समाज में पशुहत्या का प्रचलन है तथापि यह चीज़ बुरी है।

श्री मुहम्मद इमाम ने कहा कि हम जो भी चीज़ खाते हैं उस में जीवन रहता है। यह ठीक है। जीवो जीवस्य जीवनम्। किन्तु वास्तविक बात यह है कि जानवरों की हत्या करना स्वयमेव बड़ा भारी अत्याचार है।

वास्तव में इस संसार में दो प्रकार के जीवधारी हैं। एक तो वे जो दिन में कार्यरत रहते हैं और दूसरे वे जो रात को सकर्मक होते हैं। प्राकृतिक नियम के अनुसार जो जीवधारी दिन में क्रियाशील रहने वाले हैं वे निराभिषभोजी हैं और रात को सक्रिय होने वाले आमिषभोजी हैं। निरामिषभोजी पशु अहिंसक तथा इकट्ठे मिलकर रहने वाले हैं जहां कि आमिषभोजी हिंसक और स्वार्थान्ध हैं।

चूंकि जानवरों की संख्या कम होती है इस कारण निरामिषभोजी जानवर यत्र तत्र बचकर भागते हैं परन्तु हिंसक पशु उन्हें पकड़ते ह और खा जाते हैं। उन की क्षुधा उन्हें हिंसा तथा स्वार्थान्धिता के लिए विवश कर देती है। इस के विपरीत बड़े निरामिषभोजी पशु जो घास फूस पर गुज़र करते हैं, बड़े बड़े दल बना कर एक ही स्थान पर रहा करते हैं।

किन्तु यह चीज बड़ी ही विचित्र है कि मानव में विचार शक्ति के अस्तित्व के होते हुए भी आमिषभोजिता की वृत्ति कैसी आय। बंदर तो मांस नहीं खाता। उसे देख कर कह सकते हैं कि शायद मानव का ह्रास हुआ है। अतः जानवरों को खाने के लिये मारना भी घोर अत्याचार है। इसी बात को मैं सभा के समक्ष रखना चाहता था।

†श्री टी० सुब्रह्मण्यम् (बेल्लारी) : इस विधेयक के लिए मैं, श्रीमती अरुंडेल को धन्यबाद देता हूं।

मानव होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम जानवरों के प्रति दया भाव प्रदर्शित करें। दया भाव से ही बाल्मीकि जैसे महर्षियों को रामायण सा महान काव्य रचने की प्रेरणा मिली थी। ऐसा कानून बनाना हमारा कर्तव्य था। यह चीज शुभ है कि इस विधेयक को समूचे देश पर लागू करने का विचार है।

इस विधेयक के अन्तर्गत एक पशु कल्याण बोर्ड बनाने की प्रस्थापना है। उस बोर्ड का प्रथम कर्तव्य यह होगा कि वह प्राधिकारियों को जानवरों की रक्षा तथा उन के संवर्धन के लिए अनेक सुझाव देगा। यह सेवा बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। बोर्ड का दूसरा काम यह होगा कि वह निरंतर इस विषय का अध्ययन करता रहेगा और उस कानून में समयोचित संशोधन करने का सुझाव देता रहेगा।

इस कानून के द्वारा जानवर रखने वालों पर उन को ठीक से रखने का उत्तर-दायित्व डाला जायेगा। आजकल बहुत से लोग अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और वे जानवर फिर इधर उधर नुकसान करते फिरते हैं। इस के अनुसार लोग जानवरों के अंग भी नहीं काट सकेंगे।

श्री इमाम ने कहा कि ऐसा कानून बन जाने पर कुछ अफसर जनता को यों ही तंग करते फिरेंगे। यह ठीक है परन्तु बोर्ड इस चीज़ की रोक थाम के लिए अच्छे नियम बना सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री टे० सुब्रह्मम्]

कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि यदि यह विधेयक पारित किया गया तो प्राणी विज्ञान की गवेषणा के काम में क्षति पहुंचेगी। परन्तु यह बात गलत है । इससे वैज्ञानिक प्रगति के मार्ग में रुकावट न आएगी।

†**श्री वारियर (त्रिचूर)** : जिस समय यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था । उस समय भी मैंने अपने विचार रखे थे। इस समय मैं केवल दो बातों पर ही विशेष रूप से जोर दूंगा। पहली बात तो यह है कि "अत्याचार" शब्द की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए और दूसरे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसे लागू करने के हेतु कार्य-पालिका को कितने अधिकार दिये जायेंगे ।

†**श्री अमजद अली** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। पहले इस बात पर आदेश दिया गया है कि सभा में से उठ कर अध्यक्ष के पास जाने की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए किन्तु अभी कांग्रेस के सदस्य आप तक पहुंच रहे हैं।

†**सभापति महोदय** : यह कोई औचित्य की बात नहीं ।

†**श्री वारियर** : भारतवर्ष में पहले जो कानून लागू था उस में "अत्याचार" शब्द की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए कुछ ऐसे साफ कार्यों की गणना की गयी थी जिन्हें अत्याचार का नाम दिया गया था । किन्तु इस विधेयक में ऐसे कार्यों को न गिना कर केवल मात्र अस्पष्टता से ही काम लिया गया है। इस प्रकार काम नहीं चल सकता। मच्छर या खटमल मार देना तो अत्याचार न होगा।

अस्पष्ट परिभाषाओं से लोगों को हर समय खतरा बना रहेगा। इस हालत में न्यायालय भी द्विविधा में पड़े रहेंगे कि ऐसे मामलों में क्या किया जाय। इस कारण पहले हमें अपने देश में होने वाले अत्याचारों को देखना चाहिए था और फिर उन्हीं के आधार पर अत्याचार शब्द की परिभाषा भी करनी चाहिए थी।

हमारे देश के पशु भूखे रहते हैं ; पशु तो क्या किसान तक भी भूखे रहते हैं इस कारण जब तक उनकी दुम न मरोड़ी जाय वे काम नहीं कर पाते । क्या यह अत्याचार नहीं किन्तु इसकी रोक थाम कैसे होगी। हर खेत में यह होता है । यही नहीं ; हमारे यहां केरल में यज्ञ के लिए बकरियों की बलि दी जाती है और उन्हें शस्त्रास्त्र से नहीं मारा जाता। कुछ लोग बकरी के वायु निकलने के द्वारों को भींच देते हैं और वह दम घुट कर मर जाती है । इसे धार्मिक कृत्य माना जाता है । फिर बकरी को भूना जाता है और उसका सर्व श्रेष्ठ भाग प्रधान ब्राह्मण खाता है । क्या ऐसे अत्याचार भी बंद होंगे । इस कारण आपको स्पष्ट परिभाषायें रखनी चाहिएं । कुछ लोग प्रसन्नता के लिए भी पशु हत्या करते हैं। उसे भी रोका जाना चाहिए।

यदि हम वास्तविक रूप से पशु धन की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें उन के चारे की समुचित व्यवस्था करनी होगी।

इसी प्रकार से सुअरों को मांस की प्राप्ति के लिए भी बड़े ही अत्याचारपूर्ण ढंग से मारा जाता है। उन्हें गढ़ों में डाल कर पीट कर मारते हैं। यह असह्य है । किन्तु मेरा आशय यह है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसी सारी बातों को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए ताकि "अत्याचार" शब्द की विस्तृत परिभाषा बने और इस के कारण किसी भी व्यक्ति पर अनावश्यक अत्याचार न हो ।

यदि हम परिभाषा को स्पष्ट न बना सके तो सरकारी कर्मचारी जनता को दुखित कर लेंगे । विदेशों में यह काम जनकल्याण करने वाली संस्थाओं के जिम्मे होता है परन्तु यहां पर पुलिस को छापे मारने का अधिकार दिया जा रहा है । यह लोग तो किसानों ही को तंग कर के उन से पैसे हड़प जायेंगे ।

जहां तक इस विधेयक के उद्देश्यों का प्रश्न है उन्हें हर कोई मानता है परन्तु यहां पर दार्शनिक बातें करने से क्या लाभ होगा । डा० मेलकोटे ने कहा कि बंदर मांस नहीं खाता; न खाये वह मछली तो खा लेता है। यह बात सब बातें व्यर्थ हैं। हमारे ऋग्वेद में की प्रथम ऋचा में भी इंद्र का आह्वान करते समय यही प्रार्थना की गयी है कि हे इन्द्र यहां आओ, सोम तथा मांस भेंट के लिए तैयार है और उसे ग्रहण करके तुम दस्युओं को पराजित करो। यह सब चीजें हैं परन्तु इनका लाभ क्या है । हां परिभाषा अवश्य ही स्पष्ट होनी चाहिए ।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची—पश्चिम—रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ है कि ऐसा विधेयक पेश करने में हमारे खाद्य मंत्री का भी हाथ है । उन्हें देश में अनाज का उत्पादन बढ़ाने का यत्न करना चाहिये । परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार की सोचने की शक्ति क्षीण हो गयी है और वह हमें किसी भी तरफ लगाये रखने को ऐसी चीजें सभा में पेश करती है । मैं तो चाहता हूं कि इस विधेयक को यहीं समाप्त कर दिया जाय।

इस प्रकार का कानून बन जाने से सभी लोग तंग हो जायेंगे । क्या अमीर क्या गरीब सभी की पकड़ धकड़ की जा सकेगी। इससे देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और अधिकारी लोग रिश्वत का बाजार गर्म कर देंगे।

सरकार कानून के द्वारा जनता को दया का पाठ नहीं पढ़ा सकती। दयावान बनाना तो एक ओर कानून से भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां तो दूर नहीं हुईं । मैं यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारतवासी परम्परागत दृष्टि से ही दयावान् हैं। इन परिस्थितियों में ऐसे कानन की जरूरत ही नहीं है ।

†**श्री गणपति** (तिरुचिन्दूर) : यद्यपि यह विधेयक अच्छा है किन्तु हमें खतरा है कि इससे लोगों को और भी ज्यादा तंग किया जायगा। इस के खंड ११(१)(क) के अनुसार जानवरों को मारा पीटा नहीं जा सकता तथा उन्हें भूखा रखना भी जुर्म है । यह चीजें ठीक हैं परन्तु इन्हीं की आड़ में निर्दोष लोग भी फांसे जा सकते हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

खेती का काम करने वाले लोग जानते हैं कि जब बैलों से काम लेना होता है तो उन्हें थोड़ा मारा पीटा भी जा सकता है। मार पीट भी काम लेने का साधन है इसे भी छोड़ा नहीं जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गणपति]

जहां तक पशुओं के चारे आदि की व्यवस्था का सम्बन्ध है मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार को इस दिशा में भी प्रबंध करना चाहिए। आजकल भारत की दशा वैसी ही दयनीय है।

खंड २८ में यह व्यवस्था है कि इस कानून के होते हुए भी लोग जानवरों की हत्या धार्मिक पूजा के लिए कर सकेंगे। किन्तु मद्रास में इस प्रकार की हत्याओं को रोकने के कानून हैं। क्या उन्हें निरसित किया जायगा या चालू रखा जायगा। मुझे इस चीज़ में सन्देह है।

अपराधियों को दंडित करने की एक यह व्यवस्था भी रखी गयी है कि पशु ही उससे जब्त कर लिया जायगा। यह ज्यादती है। आखिर कोई किसान व्यर्थ ही में किसी जानवर को तंग नहीं करेगा।

इसी के साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सिद्धि का भार अभिभोक्ता पर ही रखा जाय। अपराधी को अपने बचाव ही का अधिकार है। अन्त में मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार एक और कानून पेश करे जिस से कि हिन्दुओं द्वारा अपनायी जाने वाली वह प्रथा बंद हो जाय जो वे धार्मिक अवसरों पर पशुहत्या कर के पूरी करते हैं। उन वीभत्स दृश्यों को तो देखा भी नहीं जाता।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने अभी कुछ एक आध आनरेबुल मैम्बरों की जो तकरीरें सुनीं तो मुझे उन को सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं तो समझती थी कि बिल का नाम ही ऐसा है, जिस में किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है। आखिर इस बिल के जरिये जानवरों के प्रति क्या करने की कोशिश की गई है? इस बिल के जरिये जानवरों के साथ क्रुएल्टी, कठोरता और बेरहमी को रोकने की कोशिश की गई है। ऐसा कौन होगा इंसान जो अपने आप को इंसान कहे जिस को लोग इंसान समझें और जो यह कहे कि जानवरों के प्रति होने वाली बेरहमी रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। इस बिल में सिर्फ उस बेरहमी को रोकने की कोशिश की गई है।

अभी मेरे एक आनरेबुल मेम्बर ने कई बातें कहीं। मालूम तो यह हुआ कि वे बिल के खिलाफ बोल रहे थे मगर दरअसल में उन्होंने वह तमाम कारण दिये जिन कारणों से कि यह बिल पास होना लाजिम होना चाहिये। उन्होंने कहा कि जब किसान का बैल गिर जाता है तो उसे उठाने के लिये कौन सा तरीका अख्तियार किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह क्यों नहीं देखा जाता कि बैल किस लिये गिर जाता है। कोई हमेशा हठधर्मी नहीं होती है, कोई हड़ताल नहीं होती है, बल्कि बैल अपनी कमजोरी की बजह से, ज्यादा काम करने की वजह से और भूखा मरने की वजह से गिर जाता है और उठ नहीं पाता। इसी तरह कई कारण हो सकते हैं जिनकी कि वहज से वह गिर जाता है लेकिन उसे कोई एक जस्टिफिकेशन बनाना कि उस वजह से कोई कानून पास नहीं होना चाहिये और यह कि अगर ऐसा कानून पास किया गया तो किसान की पैदावार में कमी हो जायेगी सही और मुनासिब नहीं है। बैल के प्रति बर्ती जाने वाली कठोरता और बेरहमी को रोकने से वह किसान के प्रति कठोरता हो जायेगी यह मेरी समझ में नहीं आता है।

हमारे उन आनरेबुल मैम्बर ने यह भी कहा कि जब गाय दूध देने के काबिल और काम की नहीं रह जायेगी और वह दूर उस को बेचने के लिये ले जायेगा, २०, २२ मील बेचने के लिये ले जायेगा तो उस के खाने का प्रबन्ध वह कहां से करे। मैं तो उन की यह बात सुन कर हैरान हूं कि यह बिल पास नहीं होना चाहिये और मेरे तो उन की तकरीर सुन कर रोंगटे खड़े होने लग गये और मेरे दिमाग में यह

बात आई कि काश कोई जानवरों की पार्लियामेंट बैठ सकती, कोई लोक सभा जानवरों की बैठ सकती

उपाध्यक्ष महोदय : वह लोक सभा कैसे होती ?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : कोई जानवरों की इस तरह की सभा होती, ऐनिमल्स की लोक सभा में कह रही थी और उन मेम्बर साहब के मुताबिक एनीमल्स में सब आ जाते हैं, उन की कोई सभा होती और वह इंसान जो अपने आप को इंसान कहते हैं उस को देखते कि वह किस कदर जानवरों के साथ कठोरता करते हैं, किस तरह से उन के साथ बेरहमी के साथ पेश आते हैं तब उन की समझ में आ सकता था कि वाकई इंसान जानवरों के साथ कैसी बेरहमी का सलूक करता है। यहां हम लोगों की लोक सभा है जो अपने आप को जानवर नहीं कहते हैं, ऐनीमल्स नहीं कहते हैं, इंसान कहते हैं और अपने रोजगार के बहाने और अपने काम के बहाने उन क्रुएल्टीज को प्रीच करते हैं और उस बेरहमी को डिफेंड करते हैं जो कि उन्हें बद कर देनी चाहिये ।

हमारे उन माननीय सदस्य ने पुराने जमानों का हवाला देते हुए बतलाया कि पुराने जमाने में इंसान गोश्त खाते थे और सोम रस पीते थे लेकिन वह भूल गये कि आज वह किस जमाने में रह रहे हैं और तब से सभ्यता कितनी प्रगति कर गई है। अब मांस खाने की ही बात अगर कही जाय तो उनको मालूम होना चाहिये कि संसार में ऐसे भी मुल्क हैं जहां कि मनुष्य का मांस खाया जाता है, इंसान इंसान को खाता है, जानवर को खाने की कौन कहे अब इस बिल के जरिये तो जो अननेसेसरी पेन पहुंचाया जाता है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अब जो प्रयोग वैज्ञानिक क्षेत्र में आवश्यक समझे जायेंगे उन को तो रोका नहीं जा रहा है अलबत्ता बिल में तो यह कहा जा रहा है कि जो पेन आज उनको उन प्रयोगों में पहुंचाया जाता है उसको अगर रोका जा सकता है तो वह रोक दिया जाय लेकिन जो वैज्ञानिक प्रयोग उचित और आवश्यक जान पड़ें वे इस बिल के पास होने के बाद भी होते रहेंगे। मैं नहीं समझती कि इस में किसी को क्या ऐतराज हो सकता है।

लेकिन उन साहब का यह कहना कि अगर कोई अपनी गाय बेचने के लिये २० मील ले जाना चाहे और वह उस को खिलाने का इंतजाम न करे तो उस को इस के लिये छूट मिल जानी चाहिये और वह इस कानून की जद में नहीं आना चाहिये। तो मैं उनसे इस में सहमत नहीं हो सकती क्योंकि साफ तौर पर यह जानवर के साथ बेरहमी करनी होगी। मैं समझती हूं कि इस तरह की छूट देना उचित नहीं होगा। माननीय सदस्य की यह थ्यौरी निहायत खतरनाक है क्योंकि आज तो हम यह छूट किसानों के लिये मांगते हैं कल को हम कहेंगे कि जो शहर के रहने वाले हैं ज्यादा पैसे वाले हैं उन के हित में यह है कि वे किसानों पर जुल्म करें तो उन को भी इस किस्म की छूट मिलनी चाहिये, यह बहुत गलत चीज है। जानवरों के साथ बेरहमी करना निहायत गलत चीज है और इस नाते यह जो बिल लाया गया है वह एक सही कदम है और स्वागतयोग्य कदम है और मैं अपने आनरेबुल फूड मिनिस्टर साहब से कहूंगी कि इस बिल में जो कुछ अभी भी खामियां रह गई हैं उन को दूर कर के इस को पास करें और जहां तक संभव हो सके, जानवरों के प्रति होने वाली बेरहमी को रोकने की कोशिश करें। अगर हम अपने जानवरों को अच्छा खिलायेंगे पिलायेंगे और उन के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो जाहिर है कि वे हमें अच्छी सेवा दे सकेंगे और यह कहना कि जानवर बैल वगैरह बगैर डंडा मारे काम नहीं करते यह पुराने सरमायेदारों की सी दलील है कि मजदूरों से डंडे के जोर से काम लिया जा सकता है। यह पुराने जमाने की बात है जिसको कि हम पीछे छोड़ चुके हैं। जाहिर है कि अगर हम अपने जनवरों को अच्छा खिलायेंगे पिलायेंगे तो वे अच्छी तरह काम कर सकेंगे और वह हमारे लिये भी बेहतर होगा और जानवरों के लिये भी बेहतर होगा। इसलिये मैं और अधिक न कह कर इस बिल का समर्थन करती हूं।

†नरसिंहन् (कृष्णगिरि) : इस विधेयक के यहां तक आने में बहुत समय लगा है। अधिकांश योरपीय देश इस सम्बन्ध में अच्छे विधान बना चुके हैं। इसलिये हमारा पीछे रहना ठीक नहीं है। अतः यह अच्छी बात है कि हम ने अन्य सभ्य देशों के समान इस दिशा में कदम उठाया है कि पशुओं को उन का बध करने में यदि वह आवश्यक हो, कम से कम कष्ट दिया जाये। हम अशोक के समय से पशु कल्याण पर जोर देते आ रहे हैं। हमारे राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों में भी यह उपबन्ध है कि पशुओं की रक्षा की जानी चाहिये। वास्तव में यह विधेयक इसी उपबन्ध के अनुसरण में उपस्थित किया गया है।

जहां तक विधेयक का संबंध है उस में एक कल्याण बोर्ड का उपबन्ध किया गया है। यह ठीक है परन्तु शिक्षा भी आवश्यक है। इसलिये बोर्ड को सभी स्तरों पर जनता को पशुओं के प्रति अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा देने की कार्यवाही करनी चाहिये।

इस विधेयक को सभी का समर्थन मिलेगा इस के उपबन्धों के लिये पर्याप्त धन दिया जाना चाहिये मैं आशा करता हूं कि जब तीसरी योजना के संबंध में अंतिम निर्णय किया जायेगा तो इस का ध्यान रखा जायेगा। इस के साथ ही यह भी आवश्यक है कि जब बोर्ड का निर्माण किया जाय तो उस में ऐसे व्यक्ति रखे जायें जो पशुओं के प्रति दयालु हों।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं एक बात का निर्देश और करना चाहता हूं। इस में यह उपबन्ध है कि पशुओं का खेल के लिये न मारा जाय। परन्तु मैं ने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि ब्रिटेन की रानी के दौरे के सम्बन्ध में शेर के शिकार का प्रबंध किया जा रहा है। मेरा विचार है कि जब हम यह विधेयक पारित कर रहे हैं तो इस प्रकार का कार्य उचित नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस प्रकार के खेलों को प्रोत्साहन नहीं देंगे।

कार्य मंत्रणा समिति

उनसठवां प्रतिवेदन

†**श्री सिद्धनंजप्पा** (हसन) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का उनसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९६०/२२ अग्रहायण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे दिन तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, १२ दिसम्बर, १९६०
२१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर .	२४२३—४२
तारांकित प्रश्न संख्या		
८३०	दंड विधि का संशोधन .	२४२३—२५
८३१	पैराशूट तैयार करना .	२४२५—२६
८३२	बैंकों द्वारा उधार लेने पर निर्बन्ध	२४२६—२८
८३३	दोहरा कर दूर करना . .	२४२८—२९
८३४	राजनैतिक पीड़ितों के बच्चे . .	२४२९—३०
८३५	पहाड़ी राज्य का निर्माण . .	२४३१—३४
८३६	योगिक आसन . . .	२४३४—३५
८३८	रूरकेला में आक्सीजन संयंत्र . . .	२४३५—३७
८४०	केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था, मैसूर .	२४३७—४१
८४१	इस्पात के टुकड़ों का निर्यात . .	२४४१—४२
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२४४२—८९
तारांकित प्रश्न संख्या		
८३७	हिर्री डोलोमाइट खान	२४४२
८३९	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	२४४२—४३
८४२	केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व	२४४३
८४३	कोलार की सोने की खानें . .	२४४३
८४४	कोयला उद्योग	२४४३
८४५	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान	२४४४
८४६	पुरातत्वीय खुदाई	२४४५
८४७	भारतीय छात्रों के लिये विदेशी पुस्तकें .	२४४५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
८४८	दिल्ली में बकाया रकम	२४४६
८४९	लुब्रिकेटिंग ग्रायल का कारखाना .	२४४६
८५०	ग्रायुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली	२४४६–४७
८५१	तेल पर रायल्टी	२४४७
८५२	केन्द्रीय ग्रंग्रेजी इंस्टीट्यूट, हैदराबाद	२४४७
८५३	भविष्य निधि से रकम वापस लेना .	२४४७
८५४	भारत में चीनियों को भारत छोड़ने का नोटिस	२४४८
८५५	भारत ग्रन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र	२४४८
८५६	जामा मस्जिद, दिल्ली .	२४४८–४९
८५७	राष्ट्रीय प्रयोगशालाग्रों ग्रौर वैज्ञानिक तथा ग्रौद्योगिक ग्रनुसन्धान परिषद् के कर्मचारी	२४४९
८५८	तेल का मूल्य .	२४४९
८५९	दिल्ली में मूर्तियों की स्थापना	२४४९–५०
८६०	कच्चे लोहे ग्रौर इस्पात का उत्पादन	२४५०
८६१	जवाहरात का तस्कर व्यापार	२४५१
८६२	रूरकेला इस्पात कारखाने के प्राक्कलन	२४५१
८६३	साहित्य ग्रकादमी . .	२२५१
८६४	विमान दुर्घटनायें	२४५२
८६५	तेल सर्वेक्षण	२४५२
ग्रतारांकित प्रश्न संख्या		
१६२१	मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक ग्रनुदान	२४५२
१६२२	मध्य प्रदेश में पुरातत्वीय सर्वेक्षण	२४५३
१६२३	पंजाब में चाय पर उत्पादन-शुल्क .	२४५३–५४
१६२४	वर्ष १९६०–६१ में पंजाब में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता	२४५४
१६२५	ग्रान्ध्र प्रदेश में पुरातत्वीय खुदाई	२४५४
१६२६	इस्पात पुनर्वेलन कारखाना	२४५४–५५
१६२७	ग्रम्बाला छावनी बोर्ड . .	२४५५
१६२८	दिल्ली के कालेजों के शिक्षकों के वेतन-क्रम	२४५५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६२९	हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिये बस्तियां . .	२४५६
१६३०	उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा	२४५६–५७
१६३१	उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पीड़ित . . .	२४५७
१६३२	भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान . .	२४५८–५९
१६३३	हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज, गुलबर्गा . . .	२४५९
१६३४	यूनानी यात्री द्वारा सोने का तस्कर व्यापार . .	२४५९–६०
१६३५	मिट्टी के तेल आदि की आवश्यकता . . .	२४६०
१६३६	रेडियो इंजीनियर	२४६०–६१
१६३७	दिल्ली में चोरियां	२४६१
१६३८	उड़ीसा का भूतत्वीय सर्वेक्षण	२४६१
१६३९	इंडो-स्टानवक पट्रोलियम परियोजना . . .	२४६२
१६४०	प्रतिरक्षा संस्थापनों में असिस्टेंट सर्जन . . .	२४६२
१६४१	सोने का पकड़ा जाना	२४६२
१६४२	पंजाब के उपमंत्री के लिये विदेशी मुद्रा . . .	२४६३
१६४३	अभ्रक के सम्बन्ध में अनुसन्धान	२४६३
१६४४	दिल्ली के प्राइवेट स्कूल	२४६३
१६४५	गुरुकुल विश्वविद्यालय एक्ट	२४६४
१६४६	देहरादून में भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण विभाग का प्रादेशिक केन्द्र	२४६४
१६४७	जनता कालिज जांच समिति	२४६५
१६४८	लद्दाख के क्षेत्र में सौर शक्ति का उपयोग . . .	२४६५
१६४९	राष्ट्रीय छात्र सेना दल	२४६५–६६
१६५०	गंगस्तांग अभियान	२४६६–६७
१६५१	सोने का पकड़ा जाना	२४६८
१६५२	रोहतक में बाढ़	२४६८–६९
१६५३	स्टेनलैस स्टील संयंत्र	२४६९
१६५४	१९६० में सोने का पकड़ा जाना . . .	२४७०
१६५५	भूतत्वशास्त्री	२४७०
१६५६	असैनिक कर्मचारी	२४७०
१६५७	अमरीका के एशिया फाउन्डेशन से किताबें . .	२४७१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६५८	हाकी अम्पायरों की मृत्यु	२४७१
१६५९	त्रिचूर में हिन्दी कालिज . .	२४७१
१६६०	चूजल हवाई पट्टी के पास चीनी लोग . .	२४७२
१६६१	केन्द्रीय सरकार के कार्यालय . . .	२४७२
१६६२	केन्द्रीय सरकार के विभागों में राज्य सरकारों के पदाधिकारी .	२४७२
१६६३	केन्द्रीय सरकार के विभागों में राज्य सरकारों के पदाधिकारी .	२४७२–७३
१६६४	सिक्कों के लिये निकल रहित मिश्रित धातु .	२४७३
१६६५	दिल्ली पोलीटैक्नीक में बहरे लोगों का प्रशिक्षण .	२४७३
१६६६	सेना इंजीनियरी सेवा . .	२४७३
१६६७	पंजाब में लोहा भट्टी	२४७४
१६६८	बम्बई औद्योगिक क्षेत्रों में बैंक सुविधायें . .	२४७४
१६६९	मूल्यांकन एकक	२४७४–७५
१६७०	कोरापुट में चूने के पथर के निक्षेप . . .	२४७५
१६७१	कांगड़ा में पुरातत्व संबंधी स्मारक . . .	२४७५–७६
१६७२	हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कालिज . . .	२४७६–७७
१६७३	न्यायाधीशों के काम का पुनर्विलोकन . .	२४७७
१६७४	दार्जिलिंग क्षेत्र में चाय के बाग . . .	२४७७–७८
१६७५	कोयना परियोजना	२४७८
१६७६	तेल संस्था प्रयोगशाला	२४७८
१६७७	निर्वाचन आयोग द्वारा मुस्लिम लीग को मान्यता . .	२४७९
१६७८	छावनी बोर्ड नियम तथा उपनियम . . .	२४७९
१६७९	छावनी बोर्डों में प्रयुक्त होने वाले फार्म . .	२४७९–८०
१६८०	हिन्दी शिक्षण केन्द्र	२४८०
१६८१	हिन्दी में नोटिस बोर्ड	२४८०–८१
१६८२	राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार . . .	२४८१
१६८३	हिन्दी की पुस्तकें	२४८१
१६८४	हिन्दी निदेशालय	२४८२
१६८५	प्रतिरक्षा संस्थापनों में ड्राइवरों के वतन क्रम . .	२४८२
१६८६	कावेरी के बेसिन में तेल सर्वेक्षण . . .	२४८२–८३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमश:)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६८७ वेतन क्रमों के पुनरीक्षण के परिणाम स्वरूप बकाया राशियां २४८३
१६८८ प्रादेशिक सेना में नियमित सैनिक कर्मचारी . . २४८३—८४
१६८९ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल . . २४८४
१६९० लौह-अयस्क खानों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन २४८४
१६९१ रूसी तेल वाहक जहाज २४८५
१६९२ कुमायूं में खनिज सर्वेक्षण २४८५
१६९३ न्यू सिटिजन बैंक आफ इंडिया का विलयन . . . २४८६
१६९४ जम्मू और काश्मीर में एक पहाड़ पर दरार आना . . २४८६
१६९५ पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढके जाने वाले क्षेत्रों में चुनाव २४८६
१६९६ आसाम में अशोधित तेल के निक्षेप . . . २४८७
१६९७ हिमाचल प्रदेश में स्त्रियों का अपहरण . . २४८७
१६९८ तंबाकू की अनधिकृत खेती . २४८७—८८
१६९९ विदेशी मुद्रा की आवश्यकता . २४८८
१७०० स्क्रैप (टूटी फूटी रद्दी धातु) का निर्यात २४८८—८९

निधन सम्बन्धी उल्लेख २४८९

अध्यक्ष महोदय ने श्री सी० सी० बिस्वास के, जो भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा और अन्तर्कालीन संसद् के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया ।

इस के बाद सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र २४८९

जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २९ के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे सहित ।

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . २४८९

ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . २४८९

बत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २४९०–९१

श्री स० मो० बनर्जी ने भूतपूर्व नियंत्रक-महालेखा परीक्षक, श्री ए० के० चन्दा को वित्त आयोग का सभापति नियुक्त करने की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य २४९१

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने रोम औलिम्पिक में भारतीय टीम के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या २६९ पर डा० विजय आनन्द के एक अनुपूरक प्रश्न के २१ नवम्बर, १९६० को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . . २४९१—९९

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने निम्नविषयों के बारे में वक्तव्य दिये :—

(१) कांगो की स्थिति ।

(२) सिलचर के पास भारतीय गांव, भैरवनगर में सशस्त्र पाकिस्तानियों का हमला ।

समिति के लिये निर्वाचन २४९९

वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) ने भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर में एक सदस्य के रूप में काम करने के लिये लोक सभा के एक सदस्य को चुनने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित . . . . . . २४९९—२५०५

(१) वित्त उप मंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक, १९६० पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

(२) वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने त्रिपुरा उत्पादन-शुल्क निधि (निरसन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

विधेयक विचाराधीन . . . . . . २५०५—२४

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने पशु निर्दयता निवारण विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विषय पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . २५२४

उनसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंगलवार १३ दिसम्बर, १९६०/२२ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

पशु निर्दयता निवारण विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक पर विचार तथा उस का पारित किया जाना तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों व उपक्रमों संबंधी प्रकाशन के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा ।

GIPND—LSII—1630(Ai)LS—3—1—61—115